ISSN-0971-8397

विकास को समर्पित मासिक

योजना

मई, 2003 मूल्य: 7 रुपये

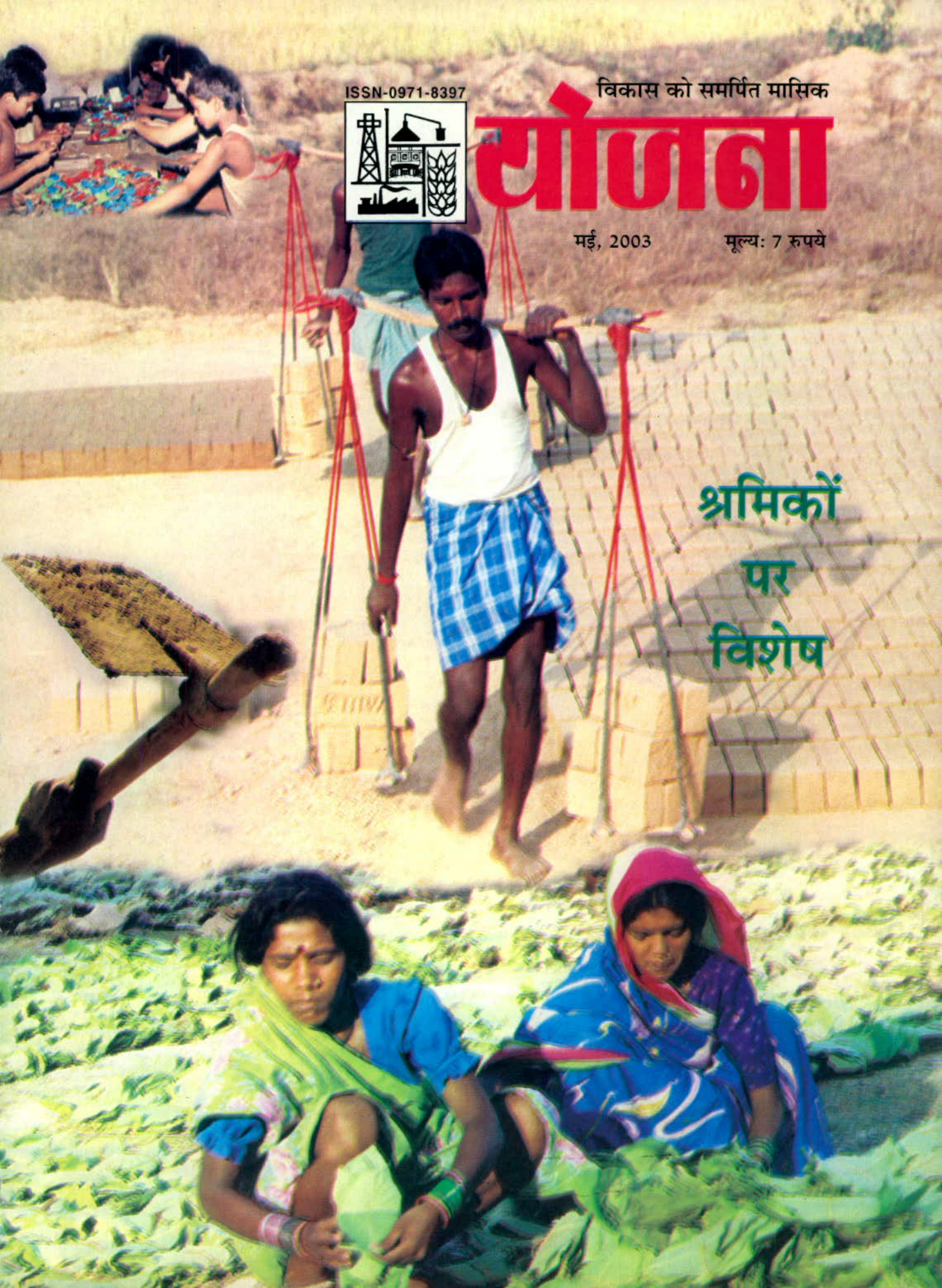

श्रमिकों पर विशेष

प्रधानमंत्री द्वारा डा. हेडगेवार पर पुस्तक विमोचित की गई

प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने महान राष्ट्रसेवक, समाज सुधारक एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डा. केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन पर आधारित एक पुस्तक का हाल ही में विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में विमोचन किया। इस अवसर पर बोलते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण में जिन भी महान राष्ट्र सेवकों ने योगदान दिया है उन्हें योग्य सम्मान दिया जाना चाहिए और उसमें वैचारिक मतभेद की बात के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए।

पुस्तक का प्रकाशन मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित 'आधुनिक भारत के निर्माता' शृंखला के तहत किया गया। इस संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने स्पष्ट किया कि विभाग इसी प्रकार की पुस्तकें डा. राम मनोहर लोहिया, सी.एन. अन्नादुरई, मोरारजी देसाई, चौ. चरण सिंह, शेख अब्दुल्ला, वीर सावरकर, भगत सिंह, डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ई.एम.एस. नंबूदरीपाद आदि नेताओं पर भी इसी शृंखला के अंतर्गत प्रकाशित करेगा।

डा. हेडगेवार के जीवन पर प्रकाशित इस पुस्तक में 21 अध्याय हैं। पृष्ठ संख्या 225 है जिनमें उनके कृतित्व, आदर्शवाद, निडरता, स्पष्टवादिता आदि गुणों से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का चित्रण किया गया है। यह पुस्तक देश के स्वतंत्रता आंदोलन के अब तक अछूते पहलुओं के अध्ययन में एक मूल्यवान कड़ी साबित होगी।

पुस्तक के लेखक श्री राकेश सिन्हा ने व्यापक शोध के पश्चात यह पुस्तक तैयार की है और डा. हेडगेवार तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संबंध में प्रचलित भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया है।

योजना

वर्ष : 47 अंक 2 मई, 2003 वैशाख-ज्येष्ठ, शक-संवत् 1925

प्रधान संपादक
विश्वनाथ रामशेष

कार्यकारी संपादक
अंजनी भूषण

उप संपादक
रेमी कुमारी

संपादकीय कार्यालय
कमरा नं. 538 ए, योजना भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110 001
दूरभाष : 23096738, 23717910
23096666/2508, 2566

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
डी.एन. गांधी

व्यापार प्रबंधक
जगदीश प्रसाद

आवरण
सर्वेश

इस अंक में

- **बदलाव की बीहड़ पगडंडियों में भटकता ट्रेड यूनियन आंदोलन** — शांतिमल जैन — 5
- **उदारीकरण और श्रम सुधार** — आफताब अहमद सिद्दीकी — 9
- **कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर विनियोग** — बी.डी. तातेड़, जे.के. पुरोहित — 13
- **सामाजिक सुरक्षा दायरा विस्तृत और मजबूत** — 16
- **मूल्य वृद्धि कर 'वैट'—करारोपण का सर्वोत्तम साधन** — राधे मोहन प्रसाद — 20
- **नारी अस्मिता और पत्र-पत्रिकाएं** — सुभाष सेतिया — 23
- **कॉल सेंटरों का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्व** — स्वामी प्रकाश श्रीवास्तव — 27
- **आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की दुनिया—नैनो टेक्नोलॉजी** — सुधीर कुमार शर्मा — 29
- **नए ऊर्जा स्त्रोतों का उपायोजन क्यों और कैसे?** — हरीशचन्द्र व्यास — 31
- **एड्स का फैलता घातक जाल** — सत्यपाल मलिक — 36
- **जहां चाह, वहां राह—बालवाड़ियों ने शुरू किया सामाजिक परिवर्तन** — नवीन पंत — 41
- **और कुल्हाड़ी चुप हो गई (कहानी)** — टी.सी. सुयाल — 43
- **नए प्रकाशन** — 45
- **स्वास्थ्य-चर्चा** — 46

योजना हिन्दी के अतिरिक्त **असमिया, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलुगू** तथा **उर्दू** भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। नई सदस्यता के नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें :-
विज्ञापन एवं प्रसार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110 066 टेलीफोन : 26100207, 26105590

चंदे की दरें : वार्षिक : 70 रु.; **द्विवार्षिक** : 135 रु.; **त्रैवार्षिक** 190 रु.; विदेशों में **वार्षिक दरें : पड़ोसी देश** : 500 रु.; **यूरोपीय एवं अन्य देश** : 700 रु.

'योजना' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से सम्बद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

संपादकीय

मई के इस महीने में गर्मी का स्वरूप कुछ उग्र हो चला है। ऐसे में कूलर एवं एयरकंडीशनरयुक्त घरों, दफ्तरों की सुविधा भोगने वाले हममें से कुछ संवेदनशील व्यक्तियों का ध्यान अनायास ही सड़कों, भवनों, पुलों आदि पर कड़ी मेहनत-मजदूरी करने वाले उन श्रमिकों की ओर चला जाता है, जिन्हें जीवन में आराम का, ठंडक का एक पल भी नसीब नहीं होता। मई 1 को पड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मद्देनजर यह अंक हम इन्हीं श्रमिकों को समर्पित कर रहे हैं जो देश की विकास प्रक्रिया को जारी रखने में अहम् भूमिका निभाते हैं। श्रमिक हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से निर्मित श्रमिक संघों का स्वरूप हमारे देश में कुछ अलग ही प्रकार का रहा है। यहां बड़ी संख्या में ट्रेड-यूनियनें काम करती रही हैं जो श्रमिको को मांगपूर्ति के लिए उकसाकर न केवल उनका अहित करती रही हैं, अपितु देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती रही हैं। इस समय हमारा देश भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण के दौर से गुजर रहा है। इस नई अर्थव्यवस्था की मांग यह है कि श्रमिक-संघ श्रमिकों को प्रबंधकों एवं सरकार के साथ मिलकर एक भागीदारीपूर्ण श्रम आंदोलन के विकास में सहयोग दें और श्रमिकों के प्रभावी कार्य घंटों में इजाफा कराने का प्रयास करें। हमारे यहां प्रति मजदूर उत्पादकता केवल 459 डालर है जबकि चीन में यह 8040 डालर और जापान में 37,950 डालर है। अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए हमें सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत 8 या 9 पर लाकर गरीबी मिटानी होगी और महत्वपूर्ण श्रम अधिनियमों में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। अस्तित्व के संकट की इस घड़ी में वे ही उद्योग अपना वर्चस्व कायम रख पाएंगे जो सक्षम, काम के प्रति समर्पित और श्रेष्ठ कार्य करने वाले होंगे। 'बदलाव की बीहड़ पगडंडियों में भटकता ट्रेड यूनियन आंदोलन' श्रमिक जीवन के इस पहलू से आपको रू-ब-रू कराएगा।

जहां चाह, वहां राह का हमारा स्थायी स्तंभ पाठकों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। इस अंक में हम पेश कर रहे हैं उत्तराखंड में बालवाड़ियों के माध्यम से शुरू हुए सामाजिक बदलाव की गाथा। उत्तराखंड सेवा निधि और पर्यावरण शिक्षा संस्थान (अल्मोड़ा) के मार्गदर्शन में इन दिनों मौन क्रांति हो रही है, छुआछूत और जातिबंधन शिथिल हो रहे हैं, पर्यावरण रक्षा के साथ-साथ विकास की नई हवा बह रही है।

—सम्पादक

आपकी राय

(संदर्भित अंक – फरवरी-मार्च)

देश-काल पर भी टिप्पणी करें

'योजना' फरवरी अंक हस्तगत हुआ। बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक लगा। 'भारत में राजमार्ग-क्रांति उच्चतर विकास की ओर उड़ान', 'हर गांव को सड़क' जैसे आलेख बेहद रुचिकर लगे। लेखक श्याम सुन्दर सिंह चौहान और नवीन पंत को साधुवाद। सी. जयंती का आलेख 'शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन की भूमिका' अतीत और वर्तमान को आंकड़ों से जोड़कर देखने का दर्पण है। 'जहां चाह, वहां राह' स्तम्भ के अंतर्गत मनोज कुमार पाण्डेय का आलेख अन्ना हजारे की कर्मभूमि 'रालेगण सिद्दीकी' जनमानस के बीच ईमानदारी से चित्रित तस्वीर है।

कुल मिलाकर पत्रिका सरस और सार्थक जान पड़ती है। आपसे गुजारिश है कि संपादकीय में देश-काल पर दो शब्द जरूरी टिप्पणी करने की कृपा करें।

—रामनारायण 'रमेश', भूड़ा, सुपौल (बिहार)

तमसो मा ज्योतिर्गमयः

मैं 'योजना' का नियमित पाठक हूं। मुझे यह पत्रिका अत्यंत प्रिय लगती है। यह कोई साधारण पत्रिका नहीं है बल्कि समाज के भविष्य की उज्जवल झलक है। महोदय इस पत्रिका का स्वरूप आदर्श है। मैंने फरवरी अंक में 'जहां चाह, वहां राह' पढ़ी जो समाज का प्रेरक स्तंभ है। पत्रिका में स्वास्थ्य चर्चा, जहां स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करता है वहीं अन्य लेख 'तमसो मा ज्योतिर्गमयः' है जो समाज की अंधविश्ववसिता, रूढ़िवादिता और अंधकार में ज्ञान की ज्योति प्रज्जवलित करता है। मैं परमेश्वर से इस पत्रिका की संजीवनी विकास की कामना करता हूं।

—सर्वोत्तम कुमार, सीलमपुर अहरा, पटना

सर्वश्रेष्ठ पत्र

विकास के लिए जनसहभागिता जरूरी

मार्च अंक सामयिक महत्व के सारगर्भित लेखों से सजाया गया है। विशेष रूप से, 'जहां चाह, वहां राह' शृंखला में प्रस्तुत डूमरोली गांव की कहानी प्रेरणादायी है। विकास का यह मॉडल यह शिक्षा देता है कि जब रेगिस्तान और पहाड़ों वाले राजस्थान के इस गांव में विकास एवं समृद्धि की धारा बह सकती है तो मैदानी राज्यों के गांवों में क्यों नहीं? अगर गांव एक इकाई के रूप में अपने विकास के लिए ईमानदारी से प्रयत्न करे तो बहुत कम सरकरी मदद से भी उसका कायाकल्प हो सकता है। विकास की अनेक योजनाएं मिलकर भी बिना जनसहभागिता के निष्फल होती हैं। दुर्भाग्य से, अधिकांश जगहों पर विकास योजनाओं की राशि और प्रबंधन मुट्ठीभर नेतानुमा स्वार्थी तत्वों के हाथ में फंसकर अपना लक्ष्य खो देते हैं। पंचायत स्तर पर भी घोटालेबाजी हो रही है। कितना खुशनशीब है डूमरोली, जहां इतने कर्मठ और ईमानदार लोग बसते हैं।

—अजय शंकर सिंह, पूर्वी चम्पारण (बिहार)

विकास में राजमार्ग की भूमिका अहम

मैं पिछले जुलाई (2002) से 'योजना' का नियमित पाठक हूं। इसका हर अंक ज्ञानवर्द्धक होता है लेकिन फरवरी अंक 'भारत में राजमार्ग क्रांति' सही मायने में सराहनीय है। जहां हम 2020 तक भारत को एक विकसित देश की सूची में शामिल करना चाहते हैं तथा अगले पांच वर्षों में विकास दर 8 प्रतिशत, शिक्षा 7.5 प्रतिशत, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 26 प्रतिशत से घटाकर 21 प्रतिशत, पूंजी विनिवेश 78,000 करोड़ रुपया, शिशु मृत्युदर 70 प्रतिशत से घटाकर 45 प्रतिशत तथा पांच करोड़ रोजगार के अवसर की कल्पना करते हैं या लक्ष्य रखते हैं तो उसमें आधारभूत संरचना वाले क्षेत्र की भूमिका अहम होगी। वैश्वीकरण के इस दौर में अपनी स्थिति मजबूत करनी है तो हमें कृषि उत्पादन, व्यापार तथा उद्योगों को बढ़ावा देना होगा इसमें राजमार्ग की भूमिका अहम होगी।

'योजना' के इस अंक से हमें ज्ञात हुआ की इस परियोजना को पूरा करने में निजी क्षेत्र की भूमिका, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव तथा क्या कठिनाइयां आएंगी तथा इसे पूरा करने के दौरान तथा पूरा होने के

बाद इससे लोगों को कितना फायदा होगा।

अंक में और भी जानकारियां हैं जैसे— वर्मीकल्चर, जहां चाह, वहां राह आदि से पाठकों को बहुत फायदा पहुंचेगा तथा उनमें भी उत्साह बढ़ेगा।

—संजय कुमार, वर्द्धमान कम्पाउण्ड, रांची (झारखंड)

औरत ही औरत की समस्याओं का कारण

मार्च अंक में 'बालिकाओं का बढ़ता यौन-शोषण' लेख पढ़ी। आज सिर्फ भारत की ही नहीं समूचे विश्व की यह गंभीर समस्या है। लेकिन देखा जाए तो कुछ हद तक यौन-शोषण की कारण औरत ही है। औरत की कमजोरी के कारण यह देश पुरुषप्रधान हुआ है। अगर यौन-शोषण में कमी लाना है तो सर्वप्रथम औरत को जागृत होकर खुद अपने हक, सम्मान के लिए लड़ना होगा। औरत अगर औरत की समस्याओं को समझे तो समाज से दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, शिशु हत्या और बलात्कार की समस्याएं अपने-आप दूर हो जाएगी। यह तभी संभव है जब विश्व की संपूर्ण महिलाएं एकजुट होकर अपने सम्मान के लिए लड़े और इसके लिए उन्हें पानी समान निरंतर आगे बढ़ते रहना होगा। तब समाज की बालिका जागरुक होकर आसमान की ऊंचाई छू सकेगी।

—सुषमा सिंह, कुलाबा, मुंबई (महाराष्ट्र)

यौन-शोषण के लिए महिलाएं भी जिम्मेदार

मार्च अंक में प्रकाशित 'बालिकाओं का बढ़ता यौन-शोषण' लेख पढ़ा। आंकड़े चौकाने वाले जरूर हैं लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि विगत 25-30 वर्षों से मीडिया के व्यापक प्रसार से ये आंकड़े सामने आए हैं। सेक्स निश्चय ही एक प्राकृतिक गुण है और इसे अन्य मानवीय गुणों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने यौन-शोषण को सही परिभाषित किया है। जहां तक बालिकाओं के साथ यौन-शोषण का प्रश्न है तो इसके लिए सिर्फ पुरुष प्रधान समाज ही जिम्मेदार नहीं है। वेश्यालयों में खरीद-बिक्री करने वाली अधिकांश या कहें कि शत-प्रतिशत महिलाएं ही होती हैं तथा इस शोषण प्रक्रिया की एक लंबी कड़ी महिलाओं से होकर ही गुजरती है। एक अमीर घर की लड़की अपने मौज-मस्ती के लिए या एक गरीब घर की लड़की अपनी अच्छी जिन्दगी के लिए अपनी मर्जी से अपना शरीर सौंपती है तो इसमें कोई बुराई नहीं। इसे यौन-शोषण नहीं कहा जा सकता।

—सुबोध कुमार सिंह, मुनिरका (दिल्ली)

रक्षक ही भक्षक

मार्च अंक में 'बालिकाओं का बढ़ता यौन-शोषण' पढ़ा। लेख सारगर्भित एवं आंकड़े चौकाने वाले थे। वास्तव में इस लेख द्वारा समाज के एक विकृत स्वरूप का पता चलता है। समाज को यौन-शोषण करने वाले को किसी भी प्रकार से बख्शना नहीं चाहिए। वह कठोर दंड का भागी है। महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा का दायित्व पुरुषों का होता है। परंतु जब वे ही रक्षक से भक्षक बन जाएं तो महिलाएं कहां जाएं? यौन-शोषण महज बालिकाओं का ही नहीं अपितु प्रत्येक आयु वर्ग की महिलाओं का हो सकता है। कामकाजी क्षेत्रों में विशेषकर मजदूरी पेशा महिलाएं/बालिकाएं इससे विशेष प्रभावित हो सकती हैं जैसा कि आलेख में उल्लेख भी किया गया है। इसकी रोकथाम के लिए आवश्यकता इस बात की है कि समाज यौन-शोषण रोकने को कृतसंकल्प हो। कानून में कठोर दंड का प्रावधान किया जाए। कानूनी व्यवस्था में सुधार किया जाए। यौन-शोषण करने वालों को समाज से बहिष्कृत किया जाए। तभी यौन-शोषण रोकने में हम सफल हो सकेंगे।

—शैलेन्द्र कुमार, सराय नसरुल्ला खां, खुर्जा (उ.प्र.)

उत्कृष्ट लेखों का संग्रह

'योजना' मासिक पत्रिका का मार्च, अंक उत्कृष्ट लेखों का संग्रह है। इसमें संकलित आलेख— जनसंख्या नियंत्रण का पंचायती राज मॉडल, बालिकाओं का बढ़ता यौन-शोषण एवं भारत में उपभोक्ता आंदोलन बेहद रुचिकर और ज्ञानवर्द्धक लगे। बचपन निराला और भोलेपन का नाम है। कोरे कागज के समान बालमन में कुछ भी अंकित किया जा सकता है। इन नौनिहालों को बाल मजदूरी तथा यौन-शोषण के जरिये खिलने से पूर्व ही मरोड़ना शर्मनाक और अन्यायपूर्ण है। ईंट भट्ठा, कालीन उद्योग, खेत-खलिहान एवं निर्जन स्थानों पर युवतियों को छेड़ना तो आम बात है। मगर अपने सहकर्मियों और रिश्तेदारों के द्वारा ही आज बालिकाओं का यौन-शोषण घर के अंदर होता है। जनसंख्या नियंत्रण का पंचायती राज मॉडल राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में सफल होना एक सुखद संदेश है। उपभोक्ता आंदोलन के जरिये हम अपने अधिकारों को जानकर उसे पाने का प्रयास करते हैं। इस तरह के आलेखों के लिए संपादक समेत शंकर लाल वर्मा, रवि प्रकाश यादव एवं राजेश कुमार केशरी को साधुवाद।

—रामनारायण 'रमेश' भूड़ा, सुपौल (बिहार)

बदलाव की बीहड़ पगडंडियों में भटकता ट्रेड यूनियन आंदोलन

○ शांतिमल जैन

***भा**रत में श्रमिक संघ आंदोलन ने श्रमिकों को कितना जोड़ा, कितना तोड़ा, यह अलग बहस का विषय हो सकता है पर इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि हमारे मुल्क का ट्रेड यूनियन आंदोलन एक अंधियारे गलियारे में भटक गया था। हमारा देश इस समय उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण के दौर से गुजर रहा है। अत: विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है कि महत्वपूर्ण श्रम अधिनियमों में आमूलचूल परिवर्तन किए जाएं।*

एक वक्त था जब आप भारत के किसी भी औसत दर्जे के कारखाने के बाहर चले जाने पर अमूमन ये नारे सुनते थे :

'चाहे जो मजबूरी हो,
मांग हमारी पूरी हो।'

'दुनिया भर के मजदूर एक हो।'

'जो हमसे टकराएगा,
मिट्टी में मिल जाएगा,
चूर-चूर हो जाएगा।'

इस संघर्ष-शक्ति से मजदूर-शक्ति का निर्माण हुआ एवं संगठित मजदूर-संघों का अभ्युदय सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ। उसके बाद विस्तार अन्य देशों में हुआ। भारत में मजदूर संघ आंदोलन के संकेत 19वीं सदी के उतरार्द्ध में पाए गए जबकि 1884 में मुंबई में कपड़ा मिल मजदूरों ने कार्य करने की स्थितियों में सुधार की मांग को लेकर मजदूर संगठन बनाया। आज हमारे देश में मजदूर आंदोलन एक शताब्दी से अधिक पुराना हो चुका है।

मजदूर लोग अपने श्रमिक जीवन की दशा सुधारने तथा औद्योगिकरण से अपनी कार्यदशाओं की कठिनता में सुरक्षा के लिए नियोजन की शर्तों का नियमन आदि महत्वपूर्ण कार्यों के लिए संगठित होने की दृष्टि से श्रम संगठनों के निर्माण हेतु प्रेरित हुए। नियोजक से सौदा करने की शक्ति संग्रहीत करके अपने अधिकारों की रक्षा, सुरक्षा एवं दमन और शोषण से मुक्ति के उद्देश्य से श्रमिकों ने संगठन बनाने का विचार किया। श्रमिक आंदोलन का संयोजित प्रयास प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद प्रारंभ हुआ।

सर्वप्रथम 1877 में नागपुर के एम्ब्रेस मिल में मजदूरी की दर के लिए हड़ताल का उल्लेख मिलता है। इसके बाद 1882 एवं 1890 में बंबई और मद्रास में कई हड़तालें हुईं किंतु भारत में श्रम आंदोलन 1908 में लोकमान्य तिलक की गिरफ्तारी के बाद प्रारंभ हुआ। 1926 में 'ट्रेड यूनियन एक्ट' पास हुआ जिसमें 1928, 1942, 1950 एवं 1970 में कुछ संशोधन किए गए। अंतिम संशोधन वर्ष 2001 में हुआ जिसमें समय की मांग के अनुरूप महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। बढ़ते औद्योगिकरण एवं प्रतिस्पर्धा के दौर में श्रम संघों द्वारा श्रमिक आंदोलन का सुख-दुख भरा लंबा सफर तय किया गया।

भारत में श्रमिक संघ आंदोलन ने श्रमिकों को कितना जोड़ा, कितना तोड़ा, यह अलग बहस का विषय हो सकता है पर इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि हमारे मुल्क का ट्रेड यूनियन आंदोलन एक अंधियारे गलियारे में भटक गया था। भारत जैसे विकासशील देश में एक दिन ऐसा नहीं जाता था जबकि छोटे-मोटे मुद्दों पर श्रमिक आंदोलन अथवा बलवा न करते हों। कारखानों में हड़ताल/कामबंदी और परिणामस्वरूप तालाबंदी आम बात हो गई थी तथा इस कारण उद्योग फटाफट बीमार

पड़ने लगे थे। ऐसे माहौल में ट्रेड यूनियन आंदोलन की स्थिति अधिक चलने वाली नहीं थी।

श्रम आंदोलन की गति से अधोगति तक की यात्रा का बखान करना एक लंबी अवधि को समेटना एवं उसका सर्वेक्षण करना होगा। ट्रेड यूनियन आंदोलन पिछले कुछ वर्षों में केवल तथ्यों और उदाहरणों की दृश्यावली ही नहीं रह गया था, भटकाव की राह चढ़ गया था। ऐसा आभास होता था कि किसी हद तक ट्रेड यूनियनों का दफ्तर मजदूरों की दृष्टि में वकीलों की दुकानों के रूप में बदल गया है। इतना ही नहीं, ट्रेड यूनियन में शक्ति-तंत्र कुछ इस तरह का बना है कि श्रमिक इस या उस पेशेवर नेता का कमजोर मुवक्किल मात्र बनकर रह जाता है। वर्षानुवर्ष कुछ सीमित नेता ही ट्रेड यूनियन के ओहदों पर बैठे होते हैं। उनके अपने हितों को ही ट्रेड यूनियनों के हितों के रूप में प्रचारित किया जाता था और ये नेता भी मजदूरों के बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करते थे।

ट्रेड यूनियनों में कुछ अग्रणी एवं कुछ दोयम दर्जे के नेताओं का प्रादुर्भाव हो गया है। बदलते हालातों में संकल्प एवं विकल्पों के बीच तत्कालीन मजदूर आंदोलन की प्रासंगिकता, उदारीकरण, खुली अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण एवं समूचे विश्व के एक व्यापक बाजार बन जाने से बदल गई है। इस युग में अंततः श्रम आंदोलन को मजदूर कल्याण की अपनी परंपरागत एवं पुरानी भूमिका से बाहर निकलकर अपने एवं उद्योग के विकास के सहअस्तित्व का सिद्धांत धारण करना पड़ रहा है। क्योंकि श्रम संघों का ऐतिहासिक वर्चस्व लगभग धराशायी हो गया है तथा लाल तिरंगे एवं भगवाधारी झंडे मजदूर संघों के लिए अप्रासंगिक हो गए हैं, श्रम संगठनों की भरमार समाप्त होने लगी

नई अर्थव्यवस्था की मांग है कि श्रमिक संघ श्रमिकों के प्रभावी कार्य घंटों में इजाफा कराएं

है संशोधित श्रम संघ अधिनियम में भी इसे विशेष महत्व देने का प्रयास किया गया है ताकि यूनियनों की अनावश्यक प्रतिस्पर्द्धा समाप्त हो एवं एक उद्योग की सेहत ही मजदूर आंदोलन के लिए एक सार्थक सरोकार बनकर रहे।

इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजीव रेड्डी का मानना है कि 'भारत में ट्रेड यूनियनों की प्रवृत्ति केवल मांग के लिए अड़े रहने और काम पर अधिक जोर नहीं देने की रही है। इसलिए अब यूनियनों में अब यह ताकत नहीं बची है कि वे मजदूरों को काम करने के लिए कह सकें। अब ट्रेड यूनियनों को चाहिए कि वे प्रबंधकों एवं सरकार के साथ मिलकर भागीदारीपूर्ण श्रम आंदोलन का विकास करें तथा बंद-बीमार कारखानों को चलाने के लिए श्रमिक क्षेत्र बनाएं।'

हमारे मुल्क का मजदूर आंदोलन पूरी दुनिया से अलग तरह का रहा है। यहां पर बड़ी संख्या में केंद्रीय ट्रेड यूनियन काम करती रही है जिसका उल्टा असर मजदूर हितों पर ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। अब वक्त आ गया है कि ट्रेड यूनियनें मालिक एवं सरकार की गल्तियां न ढूंढती रहें, बल्कि तटस्थ होकर श्रमिकों की गल्तियां भी सामने लाएं। काम से बचने, प्रमाद एवं लापरवाही करने तथा मांग करते रहने की प्रवृत्ति अब चलने वाली नहीं है। वामपंथी ट्रेड यूनियनों ने इस देश में अपने- आप को मांग करने वाली ट्रेड यूनियनों तक ही सीमित कर लिया है। नई अर्थव्यवस्था की यह मांग है कि श्रमिक संघ श्रमिकों के प्रभावी कार्य घंटों में इजाफा करावें। चीन में एक मजदूर प्रभावी रूप से 9 घंटे काम करता है जबकि भारत में मजदूर प्रभावी रूप से केवल 5 घंटे काम करता है। इस प्रकार चीन के मुकाबले यहां प्रतिदिन 9 करोड़ कार्य-दिनों का नुकसान होता है। जापान की प्रति मजदूर उत्पादकता 37 हजार 950 डालर है जबकि चीन में यह 8040 डालर, श्रीलंका में 849 डालर तथा भारत में केवल 459 डालर है। जब तक भारत का सकल घरेलू उत्पादन 8 अथवा 9 प्रतिशत या अधिक नहीं होता, यहां गरीबी भी दूर नहीं होगी। इन स्थितियों में आमूल परिवर्तन का संकल्प कर उसे चरितार्थ किए बिना उद्योगों एवं

उससे जुड़े कर्मकारों के रोजगार का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा।

हमारा देश इस समय उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण के दौर से गुजर रहा है। अत: विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि महत्वपूर्ण श्रम अधिनियमों में आमूलचूल परिवर्तन करें जिससे औद्योगिकरण का माहौल बरकरार रह सके। यह शिद्दत के साथ महसूस किया जा रहा है कि उद्योगों में अशांति, विवादों एवं मतभेदों का शीघ्र निवारण एवं निस्तारण न होने का मुख्य कारण उद्योगों में कार्यरत विभिन्न श्रम संगठनों की आपसी प्रतिस्पर्द्धा एवं प्रतिबद्धता है। साथ ही विविध श्रम संगठनों के आपसी कलह एवं विवाद तालाबंदी और हड़ताल का कारण बनते हैं।

प्रख्यात अर्थशास्त्री जयराम नरेश कहते हैं: 'मैंने विगत 10-12 सालों में तीन बड़े मौलिक परिवर्तन देखे हैं। पहला परिवर्तन आर्थिक बदलाव का है। भारतीय अर्थव्यवस्था स्वकेंद्रित से बहिर्मुखी हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रभुत्व वाली अर्थव्यवस्था बदल गई और निजी क्षेत्र का प्रभुत्व बना। ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुभवों के भय के बावजूद विदेशी कंपनियों को स्वीकार किया गया। इसके अलावा अर्थव्यवस्था सरकार के एकाधिकार एवं अन्य दबावों से भी मुक्त हुई। इसमें विदेशी तथा निजी निवेश का दबदबा बढ़ा। वास्तविकता यह है कि हम संकुचित दृष्टिकोण वाली अर्थव्यवस्था को छोड़कर व्यापक नजरिए वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। वैश्वीकरण के दौर में हम इन आर्थिक बदलावों के अभ्यस्त होते जा रहे हैं। विकास दर को सतत बनाए रखना विचारों और संस्थाओं द्वारा संचालित प्रक्रिया का दायित्व है। हमें सुर्खियों और दैनिक कुंठाओं से आगे जाना है और भारत के परिवर्तन के बड़े लक्ष्य को हासिल करना है। आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्यों के साथ खुद को आशावादी रखना भी निहायत जरूरी है।''

अधिकतम पूंजी निवेश हेतु अनुकूल वातावरण बने इसके लिए आवश्यक है कि उद्योगों में 'हायर एंड फायर' की नीति का अनुसरण हो। श्रम सुधारों के संदर्भ में दूसरे राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट भी महत्वपूर्ण है जिसमें छंटनी एवं तालाबंदी की पेचिदगियां समाप्त करके उद्योग की श्रेणी एवं संख्या के आधार पर वर्तमान 100 की संख्या को बढ़ाकर 300 कामगारों वाले उद्योग पर ये नियम लागू करके इसका क्षेत्र विस्तार करने का सुझाव स्वागतयोग्य है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी ऐसा चाहती हैं कि वे जब चाहे कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर सकें। उनको आमंत्रण देना है तो ऐसा करना आवश्यक भी है। किंतु श्रम सुधारों के क्षेत्र में जरूरत इस बात की है कि भारतीय परिस्थितियों में व्यावहारिक दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जाए। विकसित देशों में प्रचलित व्यवस्थाएं भारत के औद्योगिक विकास के लिए भी वर्तमान स्थितियों में आदर्श हों यह आवश्यक नहीं हैं। उत्पादकता बढ़ाने के नाम पर श्रम सुधारों के महत्व से इंकार नहीं किया जा सकता किंतु देश की परिस्थितियों, पूंजी और उसके लाभ की जगह सामाजिक परिणामों की तरफ ध्यान देना भी आवश्यक होगा। चीन जैसे कम्युनिस्ट देश में श्रम कानून सख्त हैं; श्रमिक विरोधी हैं किंतु भारत में कम्युनिस्ट प्रांत पश्चिम बंगाल में श्रम सुधार की अवधारणा वाम मोर्चा सरकार के गले में अतीत की हड्डी बन गई है। सरकार चाहते हुए भी श्रम-सुधार नहीं कर पा रही है।

इस युग में अंततः श्रम आंदोलन को मजदूर कल्याण की अपनी परंपरागत एवं पुरानी भूमिका से बाहर निकलकर अपने एवं उद्योग के विकास के सहअस्तित्व का सिद्धांत धारण करना पड़ रहा है। क्योंकि श्रम संघों का ऐतिहासिक वर्चस्व लगभग धराशायी हो गया है।

जब विविधताएं श्रमिककृत रहती हैं तब मजदूर आंदोलन ध्वस्त रहता है। जब विविधताएं ध्रुवीकृत होने लगती हैं तो मजदूर आंदोलन तनावग्रस्त हो जाता है। यही स्थिति आज मजदूर आंदोलन की है। गुणात्मकता के कंधे भावनात्मकता का झंडा फहराया जा रहा है।

श्रम संगठन आंदोलन यदि समय की जरूरतों के मुताबिक स्वयं को बदल पाने में विफल रहता है तो बहुत जल्द ही वह निरर्थक, अप्रासंगिक और अर्थहीन होकर रह जाएगा। यह सच है कि इतिहास के पन्नों पर मजदूर संघ आंदोलन ने एक जमाने में बेहद जज्बाती और 'मास अपील' वाली इबारत लिखी थी लेकिन यदि आज यह आंदोलन वक्त की सच्चाइयों से रूबरू नहीं हो पाया तो उसे हाशिए पर जाने में जरा भी देर नहीं लगेगी।

'वक्त को जिसने नहीं समझा
उसे मिटना पड़ा है,
बच गया तलवार से तो
फूल से कटना पड़ा है,
क्यों न कितनी बड़ी हो,
क्यों न कितनी ही कठिन
हर नदी की राह से
चट्टान को हटना पड़ा है।'

— नीरज

विगत एक दशक में आर्थिक उदारीकरण और समूचे औद्योगिक जगत के वैश्वीकरण ने सचमुच उद्योग, उत्पादन, मालिक-मजदूर संबंध, उत्पादन प्रतिस्पर्द्धा जैसे शब्दों के अर्थ ही बदल दिए हैं। नए व्याकरण का सृजन हो गया है। कड़ी प्रतिस्पर्द्धा, गुणवत्ता के प्रति अटूट आग्रह और उत्पादन के प्रति समर्पण जैसे सकारात्मक तत्वों ने मिलकर विश्व स्तर पर उद्योग, उत्पादन और श्रम को नए मुहावरे प्रदान किए हैं। जब से यह नई औद्योगिक भाषा प्रचलन में आई है तब से श्रम जगत एवं औद्योगिक जगत की पुरानी, जर्जर और निरर्थक मान्यताओं का ढांचा तेजी से ध्वस्त हो रहा है। अब उद्योगों में अकर्मण्यता, अनुशासनहीनता, उत्पादन क्षति, श्रमिक अशांति आदि तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है। वक्त तेजी से बदल रहा है। इस बदलते वक्त के साथ आप, हम, सबको बदलना है। पुराने हो गए अनावश्यक मुहावरे निकालकर नए और सार्थक अर्थ गढ़ने होंगे। आंदोलन की परिभाषाओं को आम मजदूरों के हितों से जोड़ना होगा। मजदूर यूनियनों को दूकान की शक्ल में बदल देने वाले आडंबरों को समाप्त करना होगा। श्रमिकों के लिए तथाकथित संघर्ष का पाखंड करने वाले इन श्रमिक संघों को आज नहीं तो कल, वक्त की नजाकतों एवं सच्चाइयों से रूबरू होना होगा। मजदूरों की सच्ची नुमाइंदगी करने वाली यूनियन एवं वक्त के तकाजे को समझने वाले समझदार श्रमिक नेतागण ही मजदूर आंदोलन की सार्थकता सिद्ध कर सकेंगे।

एक वक्त था जब हमारे औद्योगिक संबंध त्रिकोणीय थे। इस त्रिकोण में नियोजक, नियोक्ता एवं सरकार शामिल होते थे। नए परिप्रेक्ष्य में सरकार की भूमिका लगभग नगण्य हो गई है। देश की औद्योगिक धुरी पर उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा में लाकर उबारने का दायित्व अब मात्र नियोजक एवं श्रमिकों का हो गया है। अब इन दोनों का अस्तित्व उभयाश्रयी है। दोनों को श्रेष्ठतम पूर्णता की खोज करनी है।

बदलते वक्त के साथ मजदूर आंदोलन को अपनी सार्थक भूमिका तलाशनी होगी। उदारीकरण और भूमंडलीकरण की विश्वव्यापी अवधारणा ने समूचे औद्योगिक मूल्यों, मजदूर-मालिक संबंधों और उत्पादन एवं बाजार रिश्तों में मूलभूत परिवर्तन ला दिया है। बाजारवादी प्रतिस्पर्द्धा इतनी कड़ी है कि किसी भी तरह के प्रमोद, आलस्य अथवा लापरवाही की कीमत उद्योग को अपनी बर्बादी के रूप में चुकानी पड़ सकती है। और जब उद्योग ही नहीं होगा तो मजदूर और मजदूर संगठन कहां होंगे? हम इस यथार्थ को समझने में जितना अधिक विलंब करेंगे, उतना ही अधिक नुकसान उठाएंगे।

यह सच है कि इतिहास के पन्नों पर मजदूर संघ आंदोलन ने एक जमाने में बेहद जज्बाती और 'मास अपील' वाली इबारत लिखी थी लेकिन यदि आज यह आंदोलन वक्त की सच्चाइयों से रूबरू नहीं हो पाया तो उसे हाशिए पर जाने में जरा भी देर नहीं लगेगी।

मजदूर आंदोलन का एक अहम पहलू यह होना चाहिए कि वह श्रमिक-कल्याण पर कम केंद्रित रहते हुए उसके बहुआयामी विकास में ज्यादा रुचि ले। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि श्रम संगठन मालिकों, राजनैतिक दलों एवं सरकार से स्वतंत्र रहें ताकि स्वस्थ एवं संतुष्ट श्रमिक उद्योगों की सहभागिता ग्रहण कर सकें व श्रमिक में एक ऐसी मानसिकता जागृत कर सकें कि वह अपने-आपको प्रबंध का ही एक हिस्सा मानने लगे।

कुल मिलाकर मजदूर आंदोलन को आज एक इंकलाब का नारा देना पड़ेगा जिसके तौर-तरीकों, औजारों एवं व्याकरण की हमने ऊपर चर्चा की है। उत्पादकता, गुणवत्ता एवं श्रेष्ठता का उद्योगों एवं श्रम आंदोलनों में कोई विकल्प नहीं रहेगा। आज का नारा होगा—'चाहे जो मजबूरी हो, रोजगार जरूरी है।'

यह सही है कि दोयम दर्जे के पेशेवर यूनियन नेताओं को यह परिवर्तन रास नहीं आएगा किंतु समय की अपेक्षाएं एवं विकासशील काम की संस्कृति ऐसे नेताओं को अप्रासंगिक बनाती जा रही है एवं यह क्रिया अनवरत जारी रहेगी। तब ही हमारा उद्योग जगत घोर प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने में समर्थ हो सकेगा।

अब वह दौर नहीं रहा, जब मजदूर संघ अपनी संगठन शक्ति के दम पर नियोजकों को ब्लैकमेल करते हुए हड़ताल, कामबंदी और उत्पादन ठप्प करने जैसे हथियारों का इस्तेमाल करते थे। आज कोई भी उद्योग हड़ताल और कामबंदी की विलासिता सह पाने की स्थिति में नहीं है। सीधे-सादे शब्दों में, अस्तित्व के संकट के इस दौर में केवल सक्षम, काम के प्रति समर्पित और अपना सर्वश्रेष्ठ देने वाले उद्योग ही अपना वजूद कायम रख पाएंगे। ❑

(लेखक भवानीमंडी, राजस्थान की टैक्सटाइल मिल्स में उपाध्यक्ष (कार्मिक) हैं।)

उदारीकरण और श्रम सुधार

○ आफताब अहमद सिद्दीकी

उदारीकरण के नए दौर में भारत का जो आर्थिक एवं औद्योगिक परिदृश्य उभरकर सामने आया, उसमें एक ओर विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के अनुरूप खुली अर्थनीति की बाध्यता रही, तो दूसरी ओर देश के करोड़ों श्रमिकों के संरक्षण एवं श्रम कानूनों के सुव्यवस्थीकरण की।

आर्थिक विकास हेतु नियोजन काल से ही भारत में नियमन, नियंत्रण एवं संरक्षण की नीति अपनाई गई तथा समाजवादी समाज की स्थापना पर बल दिया गया। किंतु कालांतर में यह अनुभव किया गया कि इस नीति में निहित जटिलताओं के कारण संवृद्धि दर अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुंच पाई है और घरेलू उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी नहीं बन सके हैं। परिणामस्वरूप देश के समक्ष भुगतान संतुलन का गंभीर संकट पैदा हो गया। इन परिस्थितियों में 1991 में उदारीकरण की नीति अपनाई गई। उदारीकरण की नीति उद्योगों पर नियंत्रण शिथिल करने, उद्यमियों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति विकसित करने, वर्जित क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को प्रवेश देने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विदेशी पूंजी के अंतर्प्रवाह पर जोर देती है। इसका उद्देश्य संवृद्धि दर तीव्र करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, उत्पादन को निर्यातोन्मुखी बनाना एवं जीवन स्तर में सुधार करना है।

उदारीकरण के नए दौर में भारत का जो आर्थिक एवं औद्योगिक परिदृश्य उभरकर सामने आया, उसमें एक ओर विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के अनुरूप खुली अर्थनीति की बाध्यता रही, तो दूसरी ओर देश के करोड़ों श्रमिकों के संरक्षण एवं श्रम कानूनों के सुव्यवस्थीकरण की। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कुछ समय से भारत सरकार पर दबाव डालते रहे हैं कि वह ऐसे श्रम सुधार कानून लागू करें जिनके तहत कारखानों के मालिकों को यह अधिकार दिया जाए कि वे श्रमिकों को एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थानांतरित कर सकें और जरूरी समझें तो कर्मचारियों को नौकरी से हटा भी सकें। यहां यह भी बताना उचित होगा कि उद्योगपति एवं श्रम-सुधारों के समर्थक काफी दिनों से मांग कर रहे हैं कि बिना सरकार की अनुमति के छंटनी करने की सुविधा 100 कर्मचारियों वाले उद्यमों से बढ़ाकर 1000 कर्मचारियों वाले उद्यमों को दी जाए। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक एक बार श्रमिकों की संख्या 100 से 1000 बढ़ा देने पर 92.2 प्रतिशत पंजीकृत कारखाने श्रमिकों को बिना सरकारी अनुमति के निकालने की स्थिति में आ जाएंगे। इसका सीधा-सा अर्थ यह है कि जहां अभी तक लगभग 30 प्रतिशत श्रमिकों को बिना सरकारी अनुमति के नौकरी से निकाला जा सकता है, वहां उपर्युक्त सीमा में वृद्धि होने पर 75 प्रतिशत श्रमिकों को बिना सरकारी अनुमति के नौकरी से निकाला जा सकेगा। विश्व अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के समाकलन, ढांचागत समायोजन कार्यक्रमों के कारण देश में रोजगार सुरक्षा के संबंध में नई चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं। सरकार ने इन्हीं चिंताओं पर विचार करने, श्रमिकों के हितों को संरक्षण प्रदान करने तथा प्रथम श्रम आयोग (1966) की सिफारिशों के आधार पर बनाए गए कानूनों में तीन दशकों के बाद बदलाव की जरूरत को देखते हुए व्यापक कानून बनाने हेतु आवश्यक सुझाव देने के लिए पूर्व श्रम मंत्री श्री रवीन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में 15 अक्तूबर, 1999 को दूसरे श्रम आयोग का गठन किया था जिसने अपनी रिपोर्ट 29 जून, 2002 को सरकार को सौंप दी थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने दूसरे श्रम आयोग की बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को लेकर विभिन्न हलकों से उठ रहे विरोध को देखते हुए सरकार ने घोषणा की कि उदारीकरण और आर्थिक सुधार के बीच श्रमिकों के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी। श्रम सुधारों के नाम पर विरोध एवं सरकारी आश्वासनों के बीच दूसरे श्रम आयोग की रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेना जरूरी होगा।

दूसरे श्रम आयोग ने अपनी रिपोर्ट में नियोक्ता को पूर्वानुमति के बिना छंटनी का अधिकार देने, वेतन बोर्ड एवं श्रम संगठनों की बहुलता की आवश्यकता समाप्त करने तथा छुट्टियों की संख्या घटाने जैसी क्रांतिकारी सिफारिशें की हैं। आयोग ने अपनी 1751 पृष्ठों की रिपोर्ट में अवकाशों की संख्या घटाकर सिर्फ 5 (जिसमें 3 राष्ट्रीय अवकाश शामिल हों) करने की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त 10 वैकल्पिक अवकाशों की भी अनुशंसा की है। आयोग ने केंद्र को

IAS / PCS 2003 - 2004

लोक प्रशासन

(हिन्दी माध्यम)

BY

अशोक कुमार दूबे

FOUNDATION (Main's Cum Pre) + MAIN'S 2004

MAIN'S 2003

Free Workshop

on 5th & 6th June at 10.00 A.M.

Admission Open From 27th May

(छात्रों एवं छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा उपलब्ध)

Contact :

ASHOK KUMAR DUBEY

290, GROUND FLOOR, OPP. TEACHERS TRANSIT HOSTEL (D.U.)

NEAR DASHARA GROUND, DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009

Ph. No. : 27659896 MOBILE : 9811291166

कार्यस्थल पर काम-काज की दशा सुधारने के लिए व्यापक कानून बनाने का सुझाव दिया है तथा असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की आवश्यकता बताई है। श्रमिकों से संबंधित मौजूदा कानूनों को युक्तिसंगत बनाना तथा बाल श्रम उन्मूलन को शिक्षा से जोड़ना आयोग की सिफारिशों में शामिल हैं। बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए 2000 करोड़ रुपये की विशेष निधि की स्थापना का सुझाव भी रिपोर्ट में दिया गया है। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि केंद्र को एक समान राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन कानून बनाना चाहिए और न्यूनतम वेतन का निर्धारण राज्यों पर छोड़ देना चाहिए, जो राष्ट्रीय स्तर से कम नहीं होना चाहिए।

आयोग ने सिफारिश की है कि किसी भी नियोजन आकार वाले प्रतिष्ठान में तालाबंदी और छंटनी के लिए सरकार की पूर्वानुमति लेना आवश्यक नहीं होना चाहिए लेकिन तीन सौ या इससे अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों में यदि तालाबंदी 30 दिनों से अधिक जारी रहती है तो सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। कर्मचारियों की बकाया देय राशि का छंटनी की स्थिति में तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए। छंटनी के मामले में लाभ कमाने वाली इकाइयों को सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के मुआवजे के रूप में 60 दिनों की मजदूरी का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार हानि उठा रहे प्रतिष्ठानों को मुआवजे के रूप में 45 दिनों की मजदूरी का भुगतान करना होगा। यदि किसी प्रतिष्ठान में 100 से कम कर्मचारी नियोजित हैं तो उन्हें उपरोक्तानुसार आधी राशि का भुगतान करना होगा।

आयोग की सिफारिशों का विश्लेषण किया जाए तो तीन तरह की बातें उभरकर सामने आती हैं — ऐसी सिफारिशें जो बिल्कुल नई कार्य-संस्कृति को रेखांकित करती हैं, जैसे — राष्ट्रीय अवकाशों में कटौती तथा असंगठित क्षेत्र के लिए न्यूनतम सुरक्षा प्रावधान। इन सिफारिशों से किसी को भी ज्यादा परेशानी नहीं है। शेष दो तरह की सिफारिशों में से कुछ उद्योगपतियों के हितों की रक्षा करती हैं तो कुछ श्रमिकों के हितों की। जैसे एक ओर उद्योगों को सरकार की अनुमति के बिना बंद करने तथा छंटनी की स्थिति में पर्याप्त मुआवजे की व्यवस्था कर्मचारियों की दृष्टि से लाभप्रद है। उल्लेखनीय है कि दूसरे श्रम आयोग ने अपनी सिफारिशें तैयार करते समय चीन के श्रम कानूनों का व्यापक अध्ययन किया

दूसरे श्रम आयोग ने अपनी सिफारिशें तैयार करते समय चीन के श्रम कानूनों का व्यापक अध्ययन किया क्योंकि चीनी श्रम-कानून भारत की अपेक्षा अधिक उदार हैं जिसके कारण वहां विकास दर एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवक तीव्र रही है। चीन की तरह भारत में भी ट्रेड यूनियन की आवश्यकता को दूसरे श्रम आयोग ने अनिवार्य माना है ताकि भारत में आए दिन हो रही हड़तालों पर अंकुश लग सके।

क्योंकि चीनी श्रम-कानून भारत की अपेक्षा अधिक उदार हैं जिसके कारण वहां विकास दर एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवक तीव्र रही है। चीन की तरह भारत में भी ट्रेड यूनियन की आवश्यकता को दूसरे श्रम आयोग ने अनिवार्य माना है ताकि भारत में आए दिन हो रही हड़तालों पर अंकुश लग सके। अनुबंधित श्रम (कांट्रेक्ट लेबर) के संदर्भ में भी आयोग की सिफारिशों पर चीनी श्रम-कानूनों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है किंतु आयोग का यह भी कहना है कि देश में 'अनुबंधित श्रम व्यवस्था' और 'जब तक काम, तब तक दाम' (हायर एंड फायर) की नीति अपनाने से पहले सामाजिक सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित कर लेने चाहिए। अन्यथा सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। अत: इसे तत्काल लागू करना ठीक नहीं है।

दूसरे श्रम आयोग की सिफारिशों पर आ रही प्रतिक्रियाओं पर यदि ध्यान दिया जाए तो पता चलता है कि नियोक्ता वर्ग ने आमतौर पर इस रिपोर्ट का स्वागत किया है। एसोसिएटेड चेंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज़ (एसोचैम) का मानना है कि भारत आर्थिक विकास की दौड़ में अन्य एशियाई मुल्कों जैसे — चीन, मलेशिया, सिंगापुर से श्रम क्षेत्र में उदारीकृत दृष्टिकोण न अपनाए जाने के कारण ही पीछे रहा है। एसोचैम की सितंबर, 2001 में प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया था कि श्रम उत्पादकता की सूची में भारत का स्थान विश्व में 49वां एवं एशिया में 7वां है। भारत में प्रति व्यक्ति प्रति घंटे उत्पादकता दर मात्र 2.42 डॉलर है और कुल उत्पादकता में उसका योगदान 5.452 डॉलर का है जबकि सूची में प्रथम स्थान पाने वाले लक्जमबर्ग में प्रति व्यक्ति प्रति घंटा उत्पादकता दर 41.90 डॉलर है और कुल उत्पादकता में उसका योगदान 73.99 डॉलर का है। एशिया में मलेशिया के कर्मचारियों की उत्पादकता भारत के कर्मचारी की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है। इसीलिए एसोचैम ने माना है कि आयोग का अनुबंधित श्रम एवं एक श्रम संघ की आवश्यकता वाला प्रावधान निश्चित ही श्रम उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होगा।

योजना आयोग के टास्क फोर्स ने भी उदारीकरण के इस दौर में श्रम कानूनों में सुधार करके नियोक्ताओं के हितों की रक्षा की सिफारिश की है किंतु आर्थिक सुधारों के अंतर्गत अपनाए गए ढांचागत सुधार कार्यक्रम (सैप) किस तरह महिलाओं और बच्चों को प्रभावित कर सकते हैं, इसकी झलक मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के एक

गांव में किए गए अध्ययन में मिलती है। अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि सब्सिडी में कटौती के परिणामस्वरूप खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी से होने वाली बढ़ोत्तरी के मद्देनजर गरीब महिलाओं को बतौर 'अनियमित मजदूर' पहले से अधिक काम करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में स्कूल जाने वाली लड़कियों की शिक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अनियमित मजदूरी होने के कारण चूंकि काम भी शार्ट नोटिस पर मिल सकता था, अत: उसके लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु महिलाओं को अपनी बेटियों को घर पर बिठाना पड़ता है।

दूसरे श्रम आयोग की बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट के बीच यदि हम वर्तमान श्रम परिदृश्य पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक अरब की आबादी वाले देश में श्रमिकों के सामने कई तरह की समस्याएं हैं। विडंबना यह है कि जिन श्रम कानूनों को लेकर आज इतना शोरगुल हो रहा है, उनका लाभ केवल 10 फीसदी श्रमिक आबादी को ही मिल पाता है जो संगठित क्षेत्र में काम करती हैं जबकि देश की कुल श्रमिक आबादी का 90 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। असंगठित क्षेत्र में पारिश्रमिक किसी तयशुदा फार्मूले पर आधारित नहीं है और न तो श्रमिक-कल्याण से जुड़ी अन्य बातों का यहां ध्यान रखा जाता है। कई मामलों में तो इन गरीब कामगारों के बुनियादी मानवाधिकारों का भी ध्यान नहीं रखा जाता। इस क्षेत्र के श्रमिकों की एक बड़ी आबादी ऐसी है जिन्हें न्यूनतम मजदूरी तक मयस्सर नहीं है। इसके अतिरिक्त, इन श्रमिकों की काम की स्थितियां भी काफी भयावह हैं। यदि भविष्य में होने वाले श्रम सुधारों में असंगठित क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये सुधार अधूरे समझे जाएंगे।

उधर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का मानना है कि दूसरे श्रम आयोग के 'कांट्रेक्ट लेबर' एवं 'हायर एंड फायर' संबंधी प्रावधानों के लागू होने से श्रम बाजार में अराजकता का माहौल बन जाएगा। ठेका प्रणाली लागू होने से मजदूर संगठनों की प्रासंगिकता ही समाप्त हो जाएगी क्योंकि तब सामूहिक सौदेबाजी के सिद्धांत की जगह नियोक्ता और व्यक्तिगत रूप से श्रमिक के बीच ही मजदूरी तय होने लगेगी। ऐसे में नियोक्ता अत्यधिक शक्तिशाली हो जाएंगे और श्रमिकों की स्थिति एक बार पुन: बंधुआ मजदूरों जैसी हो जाएगी। चूंकि भारत में श्रमिकों का एक बड़ा तबका लिख-पढ़ नहीं सकता, इसलिए श्रम बाजार में सरकार का हस्तक्षेप अपरिहार्य हो जाता है। बिना सामाजिक सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए श्रमिकों को बाजार के भरोसे छोड़ देने से सामाजिक अस्थिरता फैलने का डर है। भारत में श्रमिकों के कल्याण से जुड़े ऐसे अनेक कानून हैं जिनका उचित ढंग से पालन एवं क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। अत: दूसरे श्रम आयोग की रिपोर्ट पर निर्णय लेने से पूर्व श्रम सुधार प्रक्रिया के पहले चरण में इन कानूनों का पालन पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

भारत में श्रमिकों की स्थिति में सुधार के बारे में एक सामाजिक अभियान शुरू किए जाने की जरूरत है। इस अभियान में बुद्धिजीवियों और गैर-सरकारी संगठनों की मदद ली जा सकती है। भारत के श्रमिकों को मौजूदा जरूरत के अनुरूप ढालने के लिए देश में प्रशिक्षण का स्तर सुधारा जाना चाहिए तथा एक 'कौशल विकास फंड' की स्थापना की जानी चाहिए ताकि युवाओं को किशोरावस्था से ही आजीविका के लिए तैयार किया जा सके। आयोग की रिपोर्ट पर अंतिम राय बनाने से पूर्व सरकार को श्रम संगठनों से सलाह-मशविरा करना चाहिए। खुशी की बात है कि सरकार ने यह प्रक्रिया आरंभ कर दी है। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 28-29 सितंबर, 2002 को नई दिल्ली में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 38वें सत्र के उद्घाटन अवसर पर बोलते हुए कहा था कि श्रम सुधारों के प्रति आपसी बातचीत के द्वारा सर्वसम्मत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया था कि आर्थिक सुधार में तेजी लाने के प्रयासों में सरकार श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा के दायरे को व्यापक करने की अपनी प्रतिबद्धता से कभी भी पीछे नहीं हटेगी क्योंकि यह सरकार का नैतिक एवं संवैधानिक दायित्व है। इस श्रम सम्मेलन में सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था कि वह सामाजिक सुरक्षा पर होने वाले खर्च को दो गुना करे (अभी सरकार सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1 प्रतिशत ही इस मद पर व्यय करती है) ताकि छंटनी के कारण नौकरी जाने के बाद श्रमिक को एक अवधि तक जीवनयापन के लायक न्यूनतम राशि मिलती रहे। अब श्रम संगठनों को भी चाहिए कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों का अंधाधुंध विरोध करने के स्थान पर इन्हें आत्मसात करने के लिए श्रमिकों को प्रेरित करे। श्रम संगठनों को स्पष्ट करना होगा कि वे श्रम सुधारों के विरोधी नहीं हैं अपितु इन सुधारों के परिणामस्वरूप श्रमिकों की स्थिति पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के विरोधी हैं। यदि सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करके श्रम सुधार किए जाते हैं तो वे देश हित में निश्चित रूप से इसका समर्थन करेंगे।

निष्कर्ष के रूप में आयोग की रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद कहा जा सकता है कि यदि वैश्विक परिवेश में उद्योग एवं व्यापार संगठनों के लिए रोजगार की शर्तों में परिवर्तन करना आर्थिक जरूरत बन गया है, तो उतना ही जरूरी यह भी है कि इस परिवर्तन के लिए व्यापक सामाजिक स्वीकृति बनाई जाए और सामाजिक सुरक्षा की मजबूत व्यवस्था की जाए। ऐसा न हो कि नियोक्ता केवल अपना लाभ देखें और श्रमिक का भविष्य अनिश्चित हो जाए। ❑

(लेखक सहोद्रा राय शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) में आधुनिक कार्यालय प्रबंधन विभाग के विभाग प्रभारी हैं।)

कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर विनियोग

○ बी.डी. तातेड़
○ जे.के. पुरोहित

कार्यस्थल पर कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य संवर्द्धन कार्यक्रम का संचालन कंपनी की व्यावसायिक व्यूह-रचना का अभिन्न अंग होना चाहिए। इसका कारण यह है कि 'स्वस्थ श्रमिक उत्पादक श्रमिक होता है।'

उदारीकरण, वैश्वीकरण एवं निजीकरण के इस युग में विज्ञापन और शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय को भी विनियोग माना जाने लगा है। इसी क्रम में अब कर्मियों पर किए जाने वाले व्यय को विनियोग मानने की विचारधारा बलवती होती जा रही है। कर्मचारी स्वास्थ्य में सुधार के परिणामस्वरूप बेहतरीन कार्य मनोवृत्तियां, उच्च मनोबल, कार्य संतुष्टि एवं अनुपस्थिति में कमी आती है। इसलिए कार्यस्थल पर कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य संवर्द्धन कार्यक्रम का संचालन कंपनी की व्यावसायिक व्यूह-रचना का अभिन्न अंग होना चाहिए। इसका कारण यह है कि 'स्वस्थ श्रमिक उत्पादक श्रमिक होता है।'

आवश्यकता

कर्मचारियों को प्राय: चिकित्सा, पुनर्भरण, कल्याण योजनाओं एवं चिकित्सा-बीमा के लाभ कंपनियां देती रहती हैं। साथ ही कर्मियों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं सुरक्षा हेतु स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा, साहित्य एवं पोस्टर आदि भी उपलब्ध कराए जाते हैं। कर्मचारियों का कार्य-वातावरण, जोखिम तत्व, धूम्रपान, उच्च कोलेस्ट्रोल आदि से संबंधित बीमारियों से बचाव एवं सुरक्षा हेतु अब स्वास्थ्य संवर्द्धन कार्यक्रम अति आवश्यक माने जाने लगे हैं।

अमेरिका, कनाडा एवं जापान में हुए अध्ययनों एवं प्राप्त अनुभवों से पता चलता है कि स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में सुधार से बेहतर कार्य व्यवहार, उच्च नैतिकता, कार्य संतुष्टि मिलती है तो छुट्टियां एवं अनुपस्थिति भी कम होती हैं। परिणामस्वरूप उत्पादकता वृद्धि, श्रम, समय एवं धन की बचत तथा श्रम एवं प्रबंध के मध्य मधुर संबंधों को बल मिलता है। हमारे देश में भी अब इस दिशा में सोचा जा रहा है तथा स्वास्थ्य सुधार की दिशा में विभिन्न कंपनियों द्वारा कदम उठाए जाने लगे हैं।

नियोजन

स्वास्थ्य-सजगता एवं जीवन पद्धति के बदलाव का लक्ष्य तुरंत प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसमें समय, जानकारी बढ़ाने के प्रयास एवं क्रियान्वयन हेतु अभिप्रेरणा सम्मिलित है। निस्संदेह यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें उच्च प्रबंध का सतत सहयोग आवश्यक होता है। निरंतर शिक्षण, सकारात्मक दबाव एवं समर्थन इस प्रक्रिया के दूसरे अनिवार्य घटक हैं।

स्वास्थ्य कार्यक्रम का क्रियान्वयन कदम दर कदम एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसमें संगठनात्मक विश्लेषण भी आवश्यक है। नियोजन और कार्यक्रम शुरू करने से पूर्व एक कंपनी को कर्मचारियों एवं संगठन की आवश्यकता के अनुसार संसाधनों की जांच करनी चाहिए। कंपनी की चिकित्सा उपयोगिता की जानकारी किए बिना चिकित्सा-दावों, अनुपस्थिति और स्वास्थ्य रुचि एवं व्यवहार के कारणों को जानना कठिन है। इसके अभाव में कर्मचारियों की आवश्यकताओं का सफलतापूर्वक नियोजन एवं कार्यक्रम बनाना असंभव है। इस संबंध में तीन स्त्रोतों से सूचना प्राप्ति आवश्यक है: 1. संगठन 2. कर्मचारी एवं 3. बाह्य स्त्रोत।

यह कंपनी के सामान्य संचालन से संबंधित होना चाहिए। पर्याप्त समय एवं उचित नियोजन के अभाव में इस पर किया गया व्यय व्यर्थ होगा। नियोजन प्रक्रिया की तीन अवस्थाएं होती हैं: 1. लक्ष्य निर्धारण, 2. कार्यक्रम विकास और 3. कार्यक्रम योजना का रेखाचित्र बनाना (बजट सहित)।

कार्यक्रम में स्वास्थ्य संवर्द्धन नीति और प्रक्रिया को शामिल किया जाना चाहिए। कार्यक्रम कार्य के दौरान लागू होगा अथवा जब कार्य न किया जाए उस समय लागू किया जाएगा, इसका निर्धारण किया जाना चाहिए। कर्मचारियों की सहभागिता संबंधी

लोक प्रशासन

By **Atul Lohiya**

(A person who believes in hard work and scientific approach)

UGC-NET
QUALIFIED IN TWO SUBJECTS
HISTORY & PUB. ADMINISTRATION

ADMISSION OPEN
From 1st June, 2003

NEW BATCH STARTS
From 8th June, 2003

लोक प्रशासन का चयन
उचित निर्णय
और
व्यावसायिक दृष्टिकोण

लोक प्रशासन

Mains के साथ-साथ
Pre. के लिये भी
बेहतर विकल्प

'अतुल लोहिया'

शिक्षक, मार्गदर्शक और मित्र भी

पत्राचार पाठ्यक्रम भी उपलब्ध
MAINS - 2,000/-
MAINS + PRE. - 3,000/-
डाक खर्च - 200/- अतिरिक्त

There's never a wrong time, To do the Right thing

AN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION

FLAT No. 301, TOP FLOOR, A-14, BHANDARI HOUSE COMM. COMPLEX, BEHIND BATRA CINEMA, DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009 • Ph.: 27655134. CELL.: 9810651005

क्या नीति बनाई गई है आदि बिंदुओं पर भी कंपनी को ध्यान देना चाहिए ताकि कर्मचारी अभिप्रेरित हो सकें।

क्रियान्वयन

जब एक बार नियोजन का कार्य पूर्ण कर लिया जाता है तब कंपनी को उसके अगले कदम 'क्रियान्वयन' की ओर बढ़ना चाहिए। स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु निम्न कदम उठाए जा सकते हैं:

1. पत्रों, परिपत्रों, पोस्टरों, बैठकों तथा विचार-विमर्शों के माध्यम से कर्मचारियों से संपर्क स्थापित करना।
2. कार्यक्रमों का आयोजन, संगठन की स्थिति एवं स्थान निर्धारण करना।
3. व्यूह रचनाओं, दिगामी हलचलों, विचारों, वस्तुओं के पर्यवेक्षण एवं अनुवर्तन को विकसित करने के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम समितियों का गठन करना।
4. कर्मचारियों को इन कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराना या जानकारी संप्रेषित करना।

गतिविधियां

स्वास्थ्य संवर्द्धन गतिविधियों में निम्न को सम्मिलित किया जाना चाहिए:

1. स्वस्थ जीवन जीना—इसके लिए यह आवश्यक है कि स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों का पता लगाया जाए तथा स्वस्थ जीवन पद्धति के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पर विचार किया जाए।
2. बुद्धिमता से खाएं—इसके अंतर्गत शरीर के भार-प्रबंध तथा पोषण तत्वों के नियंत्रण का ध्यान रखा जाए।
3. शारीरिक व्यायाम एवं शारीरिक अनुकूलता पर ध्यान दिया जाए।
4. धूम्रपान वर्जित हो।
5. दबाव प्रबंध
6. स्वयं की सुरक्षा, दुर्घटना की रोकथाम एवं कार्यस्थल पर स्वास्थ्य बनाए रखना एवं सुरक्षात्मक कदम उठाना।

कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व यह आवश्यक है कि सभी कर्मचारियों को स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने को कहा जाए जिससे वे अपने स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन करें ताकि उन्हीं के मूल्यांकन के अनुरूप उनके स्वास्थ्य एवं आदतों में सुधार हेतु कुछ उपाय सुझाए जा सकें। सहभागियों को अच्छे स्वास्थ्य के रहस्य बताए जाने चाहिए एवं उनके स्वास्थ्य का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

मूल्यांकन

कंपनी द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य संवर्द्धन कार्यक्रम प्रभावशाली हैं या नहीं इस हेतु कार्यक्रम का औपचारिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि मूल्यांकन उस कार्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा हो। मूल्यांकन एक व्यवस्थित एवं निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए जो पूरी कार्यक्रम अवधि में लागू रहनी चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में एक मिथ्या धारणा है कि इसका क्रियान्वयन बहुत कठिन होता है। लेकिन ऐसी धारणाओं से बचना चाहिए। कर्मचारियों को जवाबदेह बनाने का प्रयास करना चाहिए।

यहां जिन बिंदुओं की चर्चा की गई है हालांकि वे स्वास्थ्य कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिए कंपनी में केवल एक ढांचे का कार्य करते हैं, फिर भी वे उच्च प्रबंध के लिए ऐसे स्वास्थ्य संवर्द्धन कार्यक्रमों की क्रियान्विति में काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं।

कार्यक्रम का मूल्यांकन खर्चीला, विस्तृत तथा बाहरी पेशेवरों से निर्देशित नहीं होना चाहिए। यह कर्मचारियों के सहयोग से होना चाहिए। सार रूप में स्वास्थ्य कार्यक्रमों का मूल्यांकन निम्न तीन स्तरों पर किया जा सकता है:

1. प्रक्रिया मूल्यांकन, 2. प्रभाव मूल्यांकन, 3. परिणाम मूल्यांकन

मूल्यांकन डिजाइन कई प्रकार के होते हैं। पूर्ण व्यावहारिक मूल्यांकन डिजाइन का चुनाव करते समय कंपनी के संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखना आवश्यक है। मूल्यांकन कई कारणों से महत्वपूर्ण होता है जैसे:

1. मूल्यांकन कर्मियों के स्वास्थ्य स्थिति की सूचना देता है जिसके आधार पर सुधार की कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है तथा उनके स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखा जाता है।
2. कार्यक्रम की प्रगति एवं प्रभाव के मापन में सहायक होता है।
3. मूल्यांकन कंपनी को यह अवसर देता है कि कार्यक्रम में और सुधार की संभावनाओं का पता लगाया जाए।
4. एक अच्छा मूल्यांकन उच्च प्रबंध को वित्तीय रूपरेखा एवं सहयोग के लिए मार्गदर्शन करता है।

यहां जिन बिंदुओं की चर्चा की गई है हालांकि वे स्वास्थ्य कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिए कंपनी में केवल एक ढांचे का कार्य करते हैं, फिर भी वे उच्च प्रबंध के लिए ऐसे स्वास्थ्य संवर्द्धन कार्यक्रमों की क्रियान्विति में काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। आवश्यकता है ऐसे स्वास्थ्य संवर्द्धन कार्यक्रमों के प्रबंधन एवं सफल संचालन की। अब वे दिन दूर नहीं जब हमारे देश में भी इस प्रकार के कार्यक्रमों का महत्व समझा जाएगा और एल्टन मैयो की मानवतावादी प्रबंध की अवधारणा वास्तविक रूप में साकार होगी। ❑

(लेखकद्वय क्रमशः राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाड़मेर एवं जैसलमेर (राज.) में वरिष्ठ प्राध्यापक हैं।)

सामाजिक सुरक्षा दायरा विस्तृत और मजबूत

श्रम कानूनों में परिवर्तन करने के लिए द्वितीय श्रम आयोग का गठन किया गया ताकि श्रम कल्याण के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके साथ ही रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा हो सकें, निवेश बढ़े और औद्योगिक विकास दर तेज हो सके। श्रम मामलों पर श्रम आयोग ने एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। इसके विशेष सुझावों पर संबद्ध पक्षों से विचार-विमर्श चल रहा है।

इस उदारवादी युग में भी सरकार की प्राथमिकता संगठित तथा असंगठित श्रम शक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की रही है।

श्रम मंत्रालय सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है। यह देश में सौहार्द्रपूर्ण औद्योगिक संबंधों को विकसित करने के लिए सदैव से प्रयासरत है। वर्तमान सरकार त्रिपक्षीयवाद की संस्कृति और मूल्यों के प्रति वचनबद्ध है तथा इन्हें नए सिरे से स्थापित करने के लिए अनेक कदम उठा रही है।

श्रम कानूनों में परिवर्तन करने के लिए द्वितीय श्रम आयोग का गठन किया गया ताकि श्रम कल्याण के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके साथ ही रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा हो सकें, निवेश बढ़े और औद्योगिक विकास दर तेज हो सके। श्रम मामलों पर श्रम आयोग ने एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। इसके विशेष सुझावों पर संबद्ध पक्षों से विचार-विमर्श चल रहा है। इसके आधार पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक विस्तृत विधेयक तैयार किया जा रहा है जिसे संसद के इसी सत्र में पेश किया जाएगा।

बदलते आर्थिक परिवेश के मद्देनजर मंत्रालय सामाजिक भागीदारों से विचार-विमर्श कर रहा है, ताकि वर्तमान कानूनों में परिवर्तन लाने अथवा नए कानून बनाने के लिए आम सहमति प्राप्त की जा सके। श्रमिक संघ (संशोधन) विधेयक, 2000 संसद द्वारा वर्ष 2001 के मानसून सत्र में पारित किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य श्रमिक संघों की संख्या में कमी करके, उन्हें और अधिक लोकतांत्रिक तथा प्रभावशाली बनाना था।

संगठित क्षेत्र में कल्याणकारी उपाय

मुआवजा राशि : श्रमिक प्रतिपूर्ति विधेयक को संशोधित किया गया है, ताकि मृत्यु अथवा विकलांग होने की स्थिति में श्रमिकों को अधिक मुआवजा मिल सके। श्रमिक प्रतिपूर्ति विधेयक के अंतर्गत विकलांग होने की स्थिति में श्रमिक को मिलने वाली मुआवजा राशि 2 लाख 74 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 लाख 48 हजार और मृत्यु की स्थिति में 2 लाख 38 हजार रुपये से बढ़ाकर 4 लाख 56 हजार रुपये की गई है।

कर्मचारी राज्य बीमा : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने प्रतिदिन 40 रुपये से कम अर्जित करने वाले कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा निधि में अंशदान से छूट दी है। इस उपाय से कम आमदनी वाले गरीब 6 लाख 10 हजार कर्मचारियों को लाभ हुआ है। 2,48,213 अन्य संगठनों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की योजनाओं के दायरे में लाया गया है, जिससे करीब 3 करोड़ 10 लाख श्रमिकों तथा उनके परिवारों को लाभ हुआ है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना के अंतर्गत त्रिची, ओखला, रोहिणी, नागदा, दुर्गापुर, शाहबाद, राऊरकेला और बेलगाम में एक-एक कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल खोला गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम प्रत्येक राज्य में एक आदर्श अस्पताल खोलने के बारे में सोच रहा है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में पहले से ही व्यावसायिक रोग केंद्र काम कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 6 अन्य अस्पतालों को अपने हाथ में लिया है। ये अस्पताल आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़ और केरल में हैं और इन्हें आदर्श अस्पतालों में परिवर्तित किया जाएगा। तीन राज्यों ने अभी स्पष्ट स्वीकृति नहीं दी है। गोवा ने अभी तक इस बारे में स्वीकृति नहीं दी है। हिमाचल प्रदेश ने सशर्त स्वीकृति दी है। उड़ीसा में राऊरकेला के स्थान पर भुवनेश्वर के अस्पताल के अधिग्रहण के बारे में राज्य की मंजूरी की प्रतीक्षा है। शेष जिन राज्यों ने अपनी स्वीकृति

दी है, वहां अस्पतालों के अधिग्रहण को राज्य सरकारों द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है।

विस्तारित बीमारी लाभ प्राप्त करने वाली 29 असाध्य बीमारियों की सूची में निगम ने 4 और बीमारियों को शामिल किया है। निगम ने विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित योजना को अपने हाथ में लिया है। इस योजना से देश में काम कर रहे औद्योगिक श्रमिकों में एचआईवी/एड्स की शुरू से पहचान करने और उसकी रोकथाम करने में मदद मिलेगी।

कर्मचारी भविष्य निधि : जून, 2001 से कर्मचारी भविष्य निधि के लिए वेतन सीमा 5000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 6500 रुपये कर दी गई है। इस प्रकार कर्मचारी भविष्य निधि के बारे में आने वाले कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी।

इस समय पेंशन योजना के तहत 11 लाख 68 हजार से अधिक पेंशनभोगियों को पेंशन प्राप्त हो रही है। कराई गई मूल्यांकन योजना के अंतर्गत आज तक पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे मूल्यांकन के बाद क्रमश: 4 प्रतिशत, 5.5 प्रतिशत, 4 प्रतिशत और 4 प्रतिशत की दर से पेंशन राहत प्रदान की।

ईपीएफ और एमपी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले ऐसे कर्मचारियों की, जिनकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, जमा राशि पर बीमा लाभ की अधिकतम सीमा 35,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दी गई है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी भविष्य निधि को अग्रणी सेवा प्रदाता के रूप में पुन: स्थापित करने की एक व्यापक आधुनिकीकरण योजना बनाई है। कर्मचारी भविष्य निधि को ऐसा सेवा प्रदाता बनाया जा रहा है, जो भविष्य निधि, पेंशन तथा गुणवत्ता, सामयिकता और कुशलता के विश्व मानकों पर खरे उतरने वाले अन्य वृद्धावस्था सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराने में अग्रणी रहेगा। 25 फरवरी, 2003 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की स्वर्ण जयंती समारोहों के अवसर पर देश के प्रत्येक कर्मचारी को एक विशेष सामाजिक सुरक्षा नंबर प्रदान किया गया, जिससे दावों के निपटान में लगने वाले 30 दिन के समय को घटाकर 2 या 3 दिन करने में मदद मिलेगी।

कर्मचारी भविष्य निधि लाभार्थियों के लिए एक 'गृह योजना' शुरू की गई है, जिससे कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा में एक नया आयाम जुड़ जाएगा।

डाकघरों में माध्यम से पेंशन भुगतान : जुलाई, 2001 से कर्मचारी भविष्य निधि के करीब 10 लाख पेंशनभोगियों को देश भर के 26,000 डाकघरों के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने की छूट मिली है। यह उन कर्मचारियों की सुविधा के लिए किया गया है, जो सेवानिवृत्ति के बाद ग्रामीण तथा दूर-दराज इलाकों में स्थित अपने घरों में बस जाते हैं, और जहां बैंक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होतीं।

मणिसाना वेतन बोर्ड : समाचार-पत्र उद्योग में कार्यरत पत्रकारों और गैर-पत्रकारों के लिए मणिसाना वेतन बोर्ड ने पत्रकारों और गैर-पत्रकारों के वेतनों और भत्तों में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। सरकार ने वेतन-बोर्ड के सुझावों को मामूली संशोधन के बाद स्वीकार कर लिया है।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर ध्यान

एक महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले के तहत मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की समस्याओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। ये श्रमिक देश की कुल 40 करोड़ श्रम शक्ति का 93 प्रतिशत हैं। इनमें से ज्यादातर बहुत ही कम वेतन अर्जित करते हैं तथा गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करते हैं और इन्हें किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभ प्राप्त नहीं हैं। मंत्रालय ने इन श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को नियमित रोजगार प्रदान करने, सेवा शर्तों में सुधार करने तथा उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा और कल्याण आदि कल्याण के लिए मंत्रालय ने एक विधेयक तैयार किया है। संसद के चालू सत्र में विधेयक को पेश करने की कोशिश की जा रही है।

जुलाई, 2001 से खेतिहर मजदूरों के लिए एक अद्वितीय सामाजिक सुरक्षा योजना 'कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001' चालू की गई। तीन वर्षों के दौरान इस योजना द्वारा 10 लाख खेतिहर मजदूरों को बीमा सुरक्षा हासिल होगी। देश के 50 चुने हुए जिलों में इस योजना के तहत 2 लाख से अधिक खेतिहर मजदूर पहले से ही पंजीकृत किए गए हैं। जीवन दुर्घटना बीमा, निधि भुगतान, पेंशन, बुढ़ापे में काम न कर पाने की स्थिति में सहायता राशि जैसे लाभ अब इस योजना के अंतर्गत खेतिहर मजदूरों को भी हासिल हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त, 10 अगस्त, 2000 से सरकार ने 'जनश्री बीमा योजना' आरंभ की है, जो गांवों और शहरों में रहने वाले गरीब लोगों को जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करेगी। इस योजना से गरीबी रेखा के नीचे तथा थोड़ा सा ऊपर जीवन व्यतीत करने वाले संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी लाभ पहुंचेगा।

मंत्रालय द्वारा बीड़ी मजदूरों, गैर-कोयला खदान और सिने कामगारों के लिए बनाई गईं कल्याण योजनाओं में अनेक सुधार किए गए हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से खतरनाक कामों में श्रमिक समूहों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना इन कल्याणकारी योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है। और अधिक कल्याणकारी योजनाओं को हाथ में लेने के उद्देश्य से बीड़ी मजदूर कल्याण निधि 21 करोड़ रुपये बढ़ाकर 40 करोड़ रुपये कर दी गई है।

44 लाख बीड़ी मजदूरों में से करीब 39 लाख बीड़ी मजदूरों को परिचय-पत्र जारी किए गए हैं। 6 राज्यों में करीब 1.15 लाख

मजदूर लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट खदानों में काम कर रहे हैं। नालन्दा (बिहार शरीफ) सागर (मध्य प्रदेश) और मुक्कूदर (तमिलनाडु) में बीड़ी मजदूरों के लिए 30 बिस्तरों वाले 3 नए अस्पतालों के निर्माण की परियोजनाएं हाथ में ली गई हैं। बीड़ी मजदूरों के लिए बनाई गई सामूहिक बीमा योजना को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए इसकी समीक्षा की जा रही है।

सिने मजदूरों को सिने वर्कर्स कल्याण निधि अधिनियम, 1981 के दायरे में लाने के लिए प्रयास किए गए। आमदनी पात्रता सीमा को बढ़ाने के लिए इस विधेयक में संशोधन किए गए। इस संशोधन द्वारा मंत्रालय, समय-समय पर आमदनी पात्रता सीमा तय करने के लिए अधिकृत होगा, ताकि सभी सिने मजदूर कल्याण कोष से फायदा उठा सकें। आमदनी पात्रता सीमा बढ़ाकर 8000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। इस प्रकार अब 64.5 हजार सिने मजदूर कल्याण निधि से लाभ उठा सकेंगे।

मंत्रालय द्वारा संचालित सिने कर्मी कल्याण कोष से सिने कर्मियों और उनके परिवारजनों को स्वास्थ्य सेवाएं तथा बड़ी बीमारियों के लिए वित्तीय सहायता, बच्चों की शिक्षा तथा सामूहिक बीमा योजना की सहायता दी जाती है। सामूहिक बीमा योजना में मंत्रालय द्वारा प्रति श्रमिक 30 रुपये प्रीमियम अदा किया जाता है।

भवन तथा निर्माण श्रमिक

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के नवीनतम सर्वेक्षण (1999-2000) के अनुसार भवन तथा अन्य निर्माण कार्यों में 1 करोड़ 76 लाख से अधिक श्रमिक काम करते हैं। इन श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय, राज्य सरकारों पर राज्य कल्याण बोर्ड/कल्याण कोष और राज्य सलाहकार समितियां गठित करने तथा भवन निर्माण तथा अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम और कल्याण उपकर अधिनियम लागू करने के लिए नियम बनाने पर जोर डाल रहा है। परिणामस्वरूप, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, गोवा और पश्चिम बंगाल की सरकारें इस अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही हैं। केरल, तमिलनाडु और दिल्ली सरकारों ने कल्याण बोर्डों का गठन कर लिया है और वे विधेयक का पालन कर रही हैं, जबकि पांडिचेरी ने विधेयक के अंतर्गत नियम बना लिए हैं।

1 सितम्बर, 2002 से राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी 50 रुपये तय की गई है।

बाल श्रम उन्मूलन चिंता का विषय बना हुआ है। कारखानों, खदानों और खतरनाक कामों में 14 वर्ष से कम बच्चों को रोजगार दिए जाने पर प्रतिबंध लगाना सरकार की मुख्य नीति रही है। इस नीति के अंतर्गत मंत्रालय ने मई, 2001 में, 6 अन्य खतरनाक कामों में बच्चों को रोजगार देने पर प्रतिबंध लगाया है। इस प्रकार ऐसे व्यवसायों की संख्या 57 हो गई है।

विदेशों में कार्यरत श्रमिक

एक केंद्रीय मानव शक्ति निर्यात संवर्द्धन परिषद की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित परिषद प्रवासियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, विदेश के प्रमुख बाजारों में भारतीय श्रमिकों को भेजने, अन्य निर्यात संवर्द्धन एजेंसियों से संपर्क स्थापित करने तथा प्रवासी भारतीय श्रमिक कल्याण कोष के प्रबंध जैसे कार्यों में अपने विशेष भूमिका निभाएगी। विदेश में रोजगार प्राप्त करने वाले हर श्रमिक से कल्याण कोष के लिए शुल्क एकत्र किया जाएगा। इस कोष का उपयोग विदेशों में फंसे भारतीय श्रमिकों को देश में वापिस लाने तथा विदेश में रोजगार के दौरान मर गए श्रमिकों के परिवारजनों को आर्थिक सहायता इत्यादि देने के लिए किया जाएगा। प्रवास (संशोधन) विधेयक 2002 लोकसभा में 21 नवम्बर, 2002 को पेश किया गया, ताकि परिषद तथा कोष की स्थापना की जा सके।

बाल श्रम उन्मूलन

बाल श्रम उन्मूलन चिंता का विषय बना हुआ है। कारखानों, खदानों और खतरनाक कामों में 14 वर्ष से कम बच्चों को रोजगार दिए जाने पर प्रतिबंध लगाना सरकार की मुख्य नीति रही है। इस नीति के अंतर्गत मंत्रालय ने मई, 2001 में, 6 अन्य खतरनाक कामों में बच्चों को रोजगार देने पर प्रतिबंध लगाया है। इस प्रकार ऐसे व्यवसायों की संख्या 57 हो गई है। सरकार बाल श्रम से प्रभावित सभी राज्यों में खतरनाक रोजगार में लगे बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए योजनाएं शुरू करना चाहती है।

श्रमिकों के कौशल उन्नयन से सरकार देश में कुशल श्रमिक शक्ति का गठन करना चाहती है, ताकि श्रमिकों का विश्वव्यापीकरण प्रक्रियाओं के लाभ प्राप्त हो सके। रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के लिए नई नीति का मसौदा तैयार किया गया है और इसकी समीक्षा एक विशेषज्ञ राष्ट्रीय समिति द्वारा की जा रही है। इस मसौदा नीति को सचिवों की समिति के विचारार्थ रखा जा रहा है।

1035 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलकर शिल्पी प्रशिक्षण योजना को और मजबूत किया जा रहा है। मंत्रालय ने 1000 अन्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का विशेष अभियान शुरू किया है और आवश्यकता-आधारित पाठ्यक्रम भी शुरू किए हैं।

(साभार : पत्र सूचना कार्यालय)

G.S.

IAS/PSC
2003/2004
प्रारम्भिक + मुख्य
(हिन्दी माध्यम)

तथ्यों को " जानना",
"समझना" एवं जाने तथा समझे हुए तथ्यों का शब्द सीमा में "समन्वय" ही सफलता सुनिश्चित करता हैं।
"मेरा मानना है कि इसमें से किसी एक की कमी सफलता में बाधक बन सकती है।"

R.Kumar

(एक व्यक्ति जो Scientific approach के साथ सम्पूर्ण मार्ग दर्शन के लिए समर्पित)

दिल्ली और पटना में क्रमशः 8 जून एवं 2 जुलाई से कक्षा प्रारम्भ

G.S.एवं इतिहास का पत्राचार पाठ्यक्रम
वैज्ञानिक तरीके से लिखा हुआ To the point notes
प्रारम्भिक परीक्षा के लिए 3500 अभ्यास प्रश्न जबकि मुख्य परीक्षा के लिए 250 से अधिक प्रश्न
जब तक सफल नहीं होते तब तक अद्यतन जानकारी भेजी जाएगी ।

पत्राचार पाठ्यक्रम दिल्ली से ही उपलब्ध

विशेष जानकारी के लिए सम्पर्क करें

Hostel Facility arranged, Separately for Boys & Girls

HEAD OFFICE
102,103 Jaina House,
Behind Safal Mother Dairy,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9
Ph.: (O) 27651392 (R) 27252444
Cell.: 9810664003

IAS TUTORIALS

BRANCH OFFICE
Info Campus
S-2, 2nd Floor,
Chandi Vyapar Bhavan,
Above Bombay Dyeing Showroom
Exhibition Road, PATNA -1
Ph.: 204295,200932

मूल्य वृद्धि कर 'वैट' करारोपण का सर्वोत्तम साधन

○ राधे मोहन प्रसाद

'वैट' एक तरह का बिक्री कर है जो किसी वस्तु या सेवा की उस कीमत पर लगाया जाता है जो उसमें समय, वस्तु या सेवा के उत्पादन से लेकर वितरण तक आने में जुड़ती है। सरकार द्वारा वैट लागू करने के लिए केंद्रीय कर अधिनियम 1956 में कुछ संशोधन कर इसे सरल और सुविधाजनक बनाया जा रहा है।

परोक्ष करारोपण प्रणाली में मूल्य वृद्धि कर 'वैट' एक ऐसी धारणा है जिसका आगमन पिछले सदी के प्रारंभ में ही हो चुका था। 'वैट' वस्तु पर लगने वाला एक तरह का परोक्ष कर ही है जो अंततः उपभोक्ता को ही सहन करना पड़ता है। 'वैट' एक तरह का बिक्री कर है जो किसी वस्तु या सेवा की उस कीमत पर लगाया जाता है जो उसमें समय, वस्तु या सेवा के उत्पादन से लेकर वितरण तक आने में जुड़ती है। सरकार द्वारा वैट लागू करने के लिए केंद्रीय कर अधिनियम 1956 में कुछ संशोधन कर इसे सरल और सुविधाजनक बनाया जा रहा है।

भारत जैसे विकासशील देश में इन दिनों मूल्य वृद्धि कर 'वैट' विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है जिसे अप्रैल-2003 से सभी राज्यों में लागू करने का सरकार ने मन बना लिया है। वैट ने विभिन्न विकसित और विकासशील देशों में करप्रणाली को लाभप्रद, पूंजी तथा मानव साधनों के बेहतर उपयोग को संभव बनाया है। राज्यों में वैट प्रणाली लागू करने के लिए करमुक्त वस्तुओं की संक्षिप्त सूची के अतिरिक्त आवश्यक उपभोग की कुछ वस्तुओं पर चार प्रतिशत की दर से मूल्यवृद्धि कर लगाया जाएगा जिसकी दर सभी राज्यों में एक समान होगी। इसके अतिरिक्त दूसरी सभी उपभोक्ता वस्तुओं पर दस प्रतिशत की दर से समान न्यूनतम कर लगाए जाने का प्रस्ताव है। राज्यों को इस श्रेणी में दस प्रतिशत से ऊपर वैट दर तय करने की छूट होगी। आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की दो साधारण श्रेणियों के अलावा दो विशेष वैट दरें रखने का प्रस्ताव भी है। सोना, चांदी तथा कीमती पत्थरों के लिए एक प्रतिशत तथा शराब आदि पर बीस प्रतिशत की दर से वैट लगाने का प्रस्ताव है। पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों और कुछ अधिसूचित वस्तुओं को वैट से मुक्त रखा जाएगा।

जहां तक वैट कर प्रणाली के पहले-पहल लागू होने की बात है, 1918 में जर्मन सरकार ने इसे 'फिरती कर' के स्थान पर लगाने का सुझाव दिया था। 1931 में अर्जेंटाइना तथा 1948 में फ्रांस ने इसका समर्थन किया। 'वैट' सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लगाया गया। वहां उसकी लोकप्रियता और बढ़ते महत्व के चलते अर्थशास्त्रियों और कर अधिकारियों का ध्यान इस ओर गया। यद्यपि इसकी कार्यशैली सीमित है फिर भी पश्चिम के विकसित देशों में यह बहुत लोकप्रिय हो चुका है। फ्रांस के उदाहरण को देखते हुए 1967 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सभी सदस्य देशों ने वैट प्रणाली अपनाने का फैसला किया। विगत चालीस वर्षों में अधिकांश देशों जैसे — ब्राजील, पेरू, अर्जेंटाइना, चिली, टर्की, कोरिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका आदि ने इसे अपनाया है।

उन देशों के नाम जिन्होंने 'वैट' अपनाया

देश	वैट लागू करने का वर्ष	कर का प्रतिशत
फ्रांस	1954	232
फिनलैंड	1964	122
ब्राजील	1965	112
डेनमार्क	1967	152
जर्मनी	1968	112
हालैंड	1969	162
नार्वे	1970	202
लक्जमबर्ग	1970	82
बेल्जियम	1971	182
इटली	1973	122
थाइलैंड	1992	—

विश्व व्यापार संगठन के अस्तित्व में आ जाने के बाद से विश्व लगभग इकहरी कर प्रणाली द्वारा संचालित बाजार बनने की ओर बढ़ चला है। तभी तो वैट विश्व के 140 देशों में लागू है।

एक ओर तो वैट कर प्रणाली अपनाने से भारत जैसे विकासशील देश में पूंजी तथा मानव साधनों का सर्वोत्तम उपयोग संभव होगा, दूसरी ओर कुल मिलाकर पूंजी-निर्माण में बढ़ोत्तरी होगी क्योंकि कुशल तथा अधिक कुशल प्रतिष्ठानों के लिए ज्यादा पूंजी उपलब्ध होने लगेगी। इससे निगमों को अपने खर्च, विशेष रूप से अपने वेतन और भत्तों में कमी करने को बढ़ावा मिलेगा। इससे कच्चे माल की खपत को बढ़ावा मिलेगा। जहां तक भारत में वैट कर प्रणाली लागू करने की बात है, वैट का सबसे बड़ा लाभ यह है कि निगम अनेक तरह के व्यर्थ के खर्चों को बंद कर देंगे जो वे इस समय निगम कर अधिक होने के कारण करते हैं। कोई भी कर प्रणाली कुछ आधारभूत लाभों के मामले में वैट का मुकाबला नहीं कर सकती। इससे कुशल निगमों को पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि वे नए पूंजी विनियोग से प्राप्त लाभ का अधिकांश भाग बचा सकेंगे। उनकी लाभांश देने की क्षमता में भी सुधार होगा। वैट आयात पर लगता है पर निर्यात को उससे छूट मिलती है। भारत में वैट कर प्रणाली लागू होने से हमारे निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की प्रतियोगिता में टिक पाएंगे तथा हमारी निर्यात से होने वाली आय में भी बढ़ोत्तरी होगी। विभिन्न साधनों का कुशलतम उपयोग इससे संभव है। इससे हमें अपना भुगतान संतुलन बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी। वैट कर प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता दोहरी जांच व्यवस्था का होना है क्योंकि कानून के अनुसार हर करदाता को पूरा कर देना होता है और यदि वह यह सिद्ध कर दे कि वह खरीद पर पहले ही कर दे चुका है, तो अपनी करों की देनदारी कम कर सकता है। क्योंकि यह कर, उत्पादन और बिक्री के विभिन्न स्तरों पर थोड़े-थोड़े भागों में ही वसूल किया जाता है, इसलिए कर बचाने का लालच भी कम होता है।

वैट का विचार बहुत आसान है। बहुस्तरीय कारोबार टैक्स (मल्टी-स्टेज टर्नओवर टैक्स) या उत्पादन शुल्क के विपरीत उत्पादन या वितरण के दौरान जितनी बार सामान बेचा जाता है, उसमें 'वैट' जोड़ दिया जाता है। किसी भी वस्तु पर कर लगाने के बाद उसकी जो लागत बढ़ जाती है, केवल उस पर 'वैट' लगाया जाता है। इस तरह की कर प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक चरण पर वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी का कुल जोड़ सामान की अंतिम कीमत के बराबर होता है और उस पर हर स्तर पर दिए गए करों का जोड़ उतना ही होता है जितना कि वस्तुओं की अंतिम कीमत पर एक साथ वसूल किया जाता है। वैट प्रणाली का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें प्रत्येक निर्माता या व्यापारी के लिए कारोबार का सही और पूर्ण हिसाब-किताब रखा जाता है क्योंकि तभी वह पहले भुगतान किए गए करों पर छूट मांग सकता है। वैट विकासशील देशों में लगाए जाने वाले बिक्रीकर का ही एक अन्य स्वरूप है।

वैट कर प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता दोहरी जांच व्यवस्था का होना है क्योंकि कानून के अनुसार हर करदाता को पूरा कर देना होता है और यदि वह यह सिद्ध कर दे कि वह खरीद पर पहले ही कर दे चुका है, तो अपनी करों की देनदारी कम कर सकता है।

इससे होने वाली आय सरकार की कुल आय का बीस से तीस प्रतिशत तक होती है तथा सकल राष्ट्रीय आय के दो प्रतिशत से ज्यादा होती है। किसी व्यापारिक फर्म द्वारा देय कर का हिसाब लगाते हुए पहले उसकी कुल बिक्री पर लागू दर से कर लगाया जाता है। इस कर में से फर्म द्वारा मध्यवर्ती वस्तुओं की खरीद पर और मशीनों आदि की खरीद पर पहले दिए गए कर घटा दिए जाते हैं। वैट कर प्रणाली को सैद्धांतिक दृष्टि से ऐसा बनाया गया है कि फुटकर स्तर और सेवाओं सहित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उसे लागू किया जा सके।

करारोपण के प्रमुख उद्देश्य हैं आय, समानता, मांग का नियमन तथा ऊंचे स्तर पर रोजगार की प्राप्ति। कोई भी एक कर इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति करने में एक साथ सक्षम नहीं है। इसे देखते हुए ही आधुनिक समय में वैट सबसे तेजी से लोकप्रिय होने वाला कर रहा है। चाहे वह विकसित हों या विकासशील, इसके अपनाए जाने के पीछे निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं:

- वैट कर प्रणाली सरल तथा प्रत्येक भाग पर वसूल किया जाता है, इसलिए कर की चोरी की संभावना कम है।
- इसके अंतर्गत समय-समय पर 'क्रास-चेकिंग' या अंकेक्षण की व्यवस्था है क्योंकि प्रत्येक करदाता पूरी राशि देने के लिए उत्तरदायी है। ऐसा वह तभी कर सकता है जब वह इस बात को सिद्ध कर सके कि उसके द्वारा उत्पादित माल पर कर दिया जा चुका है।
- इसमें संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बीच की दूरी कम हो जाती है।
- अधिकतर देशों में इसे बिक्री कर की जगह लगाया जाता है क्योंकि इससे

दोहरा करारोपण, अनुचित कर से छूट आदि की समस्या समाप्त हो जाती है।

- वस्तु पर मूल्यवृद्धि कर लगने से यह तटस्थ वस्तु करारोपण की नीति का पालन भी करता है। तभी तो जर्मनी और जापान जैसे देशों ने इसके द्वारा अपने देश का तेजी से आर्थिक विकास किया है।

जहां तक भारत में वैट प्रणाली के अप्रैल, 2003 से लागू होने की बात थी, बहुत पहले से ही यहां वित्त मंत्रालय वैट को एक ऐसे आर्थिक अस्त्र के रूप में पेश कर चुका था जिससे केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों, उद्योगपतियों, व्यापारियों तथा इन सबके साथ आम उपभोक्ताओं को भी बराबर का लाभ होगा। इससे वस्तुओं के दाम घटेंगे क्योंकि उन्हें एक ही वस्तु पर कई बार कर नहीं देना होगा। यह तो निश्चित है कि वैट प्रणाली लागू होने से देश में पहली बार वास्तविक रूप में एक राष्ट्रीय बाजार का गठन होगा जो विश्व बाजार में एक इकाई के रूप में इसके शामिल होने की एक जरूरी शर्त है।

भारत में वैट लागू करने को लेकर केंद्र और राज्यों के आर्थिक हितों में टकराव के दो प्रमुख कारण हैं जिसके चलते इसे पिछले साल टाल दिया गया था। एक कारण तो यह है कि राज्य सरकारों की अलग-अलग सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार देने से केंद्र को बहुत घाटा उठाना पड़ सकता है। पर अभी सीमा पर व्याप्त तनाव के कारण सरकारी खर्च में आई भारी बढ़ोत्तरी को देखते हुए इस बजटीय वर्ष में सरकार ऐसा कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। दूसरा कारण यह है कि वैट के चलते जिन राज्यों को अभी की बिक्री-कर प्रणाली की तुलना में निश्चित घाटा उठाना पड़ेगा, वे इस घाटे की भरपाई की मांग केंद्र से कर रहे हैं। पर सिद्धांत रूप से इसके लिए तैयार होने के बावजूद व्यावहारिक रूप से ऐसा करना अभी केंद्र के लिए संभव नहीं है। वैट लागू होने पर केंद्रीय बिक्री कर से राज्यों को मिलने वाले अंशदान को शून्य रेटिंग पर लाया जाना है। अभी बिक्री कर से राज्यों को 78 प्रतिशत अंशदान मिलता है। शून्य रेटिंग होने से राज्यों को घाटा होगा जिसे केंद्र को पूरा करना होगा। हालांकि राज्यों का तर्क यह है कि वैट लागू होने के बाद अगले तीन वर्ष तक केंद्र सरकार केंद्रीय कर में होने वाले घाटे की भरपाई करे। राज्यों की मांग है कि केंद्रीय सेवाकर में राष्ट्रीय प्रकृति की सेवाओं को छोड़कर स्थानीय एवं क्षेत्रीय स्तर की सभी सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार राज्यों को सौंप दिया जाए।

जरूरत इस बात की है कि राज्य सरकारों की मांग को ध्यान में रखते हुए वैट लागू करते समय बहुत सावधानी रखी जाए। पर्याप्त तैयारियां और इंतजामों के बाद ही वैट प्रणाली लागू की जानी चाहिए।

इस तरह वैट प्रणाली आसान दीख पड़ता है लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से इसके कार्यान्वयन में कुछ कठिनाइयां हैं। उन देशों में जहां एकल-बिंदु बिक्री कर प्रणाली है, उसे छोड़कर वैट अपनाए जाने से करदाताओं की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। इससे कर एकत्र करने का भार बढ़ेगा तथा कर प्रणालियों की जटिलता में वृद्धि होगी जिससे कीमतों में बढ़ोत्तरी होगी। कर अधिकारियों तथा कर दाताओं — दोनों के लिए इस कर को लागू करने की लागत बहुत ऊंची है। दूसरे करों की तुलना में इसमें प्रबंधन, संग्रहण, निर्वारण तथा प्रमापन सभी का व्यय सरकार के लिए बहुत होता है। एक डर यह भी है कि कुछ उद्योगों को सामाजिक न्याय तथा आर्थिक प्राथमिकताओं के चलते कर से छूट दी जाएगी, जिससे इसकी व्यवस्था भी दूसरों करों की तरह जटिल हो जाएगी। विकासशील देशों का इस संबंध में अनुभव अधिक सुखदायक नहीं रहा है क्योंकि इसने सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय और प्रशासनिक भार को बढ़ा दिया है। अतिरिक्त उपभोग प्रकार वाले कर से पूंजीगहन तकनीक को ही बढ़ावा मिलता है। इसीलिए तो कुछ राज्य सरकारें अभी भी इसे लागू करने को लेकर सशंकित हैं। जरूरत इस बात की है कि राज्य सरकारों की मांग को ध्यान में रखते हुए वैट लागू करते समय बहुत सावधानी रखी जाए। पर्याप्त तैयारियां और इंतजामों के बाद ही वैट प्रणाली लागू की जानी चाहिए। यद्यपि सरकार द्वारा भी इस दिशा में सावधानी बरती जा रही है। उदाहरण के लिए हाल ही में सरकार की ओर से यह बताया गया है कि नई वैट प्रणाली लागू होने के साथ चार वर्षों में धीरे-धीरे केंद्रीय बिक्री कर प्रणाली समाप्त कर दी जाएगी। पहले वर्ष 2003-04 में केंद्रीय बिक्री कर की दर चार प्रतिशत तथा 2006-07 में शून्य प्रतिशत लाकर समाप्त कर दिया जाएगा। इससे एक अनुमान के अनुसार राज्यों को 9000 करोड़ रुपये की वार्षिक क्षति होगी जिसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। केंद्रीय बिक्री कर वस्तुओं की अंतर्राज्यीय बिक्री में लगाया जाता है। 22 राज्यों ने तो वैट लागू करने की पूरी तैयारी भी कर ली है। वैट लागू होने के एक वर्ष बाद सेवाओं को भी वैट के दायरे में लाने की योजना है। ❑

(लेखक मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग से संबद्ध हैं।)

नारी अस्मिता और पत्र-पत्रिकाएं

○ सुभाष सेतिया

साहित्य और पत्रकारिता दोनों का उद्देश्य समाज को परिवर्तन के लिए तैयार करना है। उद्देश्य की समानता के कारण ही पत्रकार और साहित्यकार एक-दूसरे के क्षेत्र में बड़ी सरलता से हस्तक्षेप करते रहते हैं। भारतीय साहित्य, विशेषकर हिंदी साहित्य में इस समय जो मुद्दे छाए हुए हैं उनमें स्त्री-विमर्श का शीर्ष स्थान है। ऐसे में पत्रकारिता इस विषय से अछूती कैसे रह सकती है? हाल में महिलाओं के साथ ज्यादतियों और बलात्कार की बढ़ती घटनाओं से यह विषय और अधिक प्रासंगिक बन गया है।

पत्रकारिता को जल्दी में लिखा गया साहित्य कहा गया है। वैसे देखा जाए तो साहित्य और पत्रकारिता दोनों का उद्देश्य समाज को परिवर्तन के लिए तैयार करना है। अंतर यही है कि साहित्य में कल्पना और भाव पक्ष को प्रमुखता मिलती है तो पत्रकारिता में तथ्य और चिंतन पक्ष को अहमियत दी जाती है। उद्देश्य की समानता के कारण ही पत्रकार और साहित्यकार एक-दूसरे के क्षेत्र में बड़ी सरलता से हस्तक्षेप करते रहते हैं। भारतीय साहित्य, विशेषकर हिंदी साहित्य में इस समय जो मुद्दे छाए हुए हैं उनमें स्त्री-विमर्श का शीर्ष स्थान है। ऐसे में पत्रकारिता इस विषय से अछूती कैसे रह सकती है? हाल में महिलाओं के साथ ज्यादतियों और बलात्कार की बढ़ती घटनाओं से यह विषय और प्रासंगिक बन गया है।

स्त्री और पुरुष एक ही इकाई के दो हिस्से हैं। तथापि इनमें असीम असमानता बनी हुई है। वैदिक युग से लेकर आज तक भारतीय समाज की धुरी पुरुष ही रहा है। मानव विकास के सभी मुख्य मानदंडों—ज्ञान, कला, संस्कृति, साहित्य, राजनीति, उद्योग, कृषि व्यापार, युद्ध आदि का संचालन और मूल्यांकन उसी के अनुरूप होता आया है। पर पिछली सदी में मानव चेतना में बाहरी और भीतरी स्तर पर तीव्र आलोड़न हुए हैं और बहुत-सी बातें जो सौ-पचास वर्ष पहले तक सपना प्रतीत होती थीं, अब ठोस यथार्थ बन गई हैं। यह परिवर्तन वस्तुगत और भावगत दोनों स्तरों पर हुआ है।

भारत में उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में समाज सुधार एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ-साथ समाज में नारी के स्थान को लेकर भी बहस शुरू हुई।

अन्य आर्थिक-सामाजिक विषयों की तरह नारी संबंधी सोच में अभी तक आए बदलाव में जनसंचार माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। साथ ही महिलाओं द्वारा जनसंचार माध्यमों में उपयोगी एवं क्रियाशील भूमिका निभाए जाने से भी उनके आत्मविश्वास का स्तर तेजी से ऊपर उठा है।

इतिहास बताता है कि भारतीय मानसिकता परिवर्तन को कभी भी क्रांति के रूप में स्वीकार नहीं करती। यहां धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक अथवा आर्थिक — सभी क्षेत्रों में बदलाव क्रमशः आया है। परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज करने में जिन कारकों की ठोस भूमिका होती है, उनमें प्रचार माध्यमों का प्रमुख स्थान है। रेडियो, टेलीविजन, पत्र-पत्रिकाएं तथा ज्ञान एवं सूचना के प्रसार के नए माध्यम समाज की मानसिकता में बदलाव लाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आने वाले वर्षों में यह भूमिका और बढ़ने वाली है।

जिन माध्यमों का मूल उद्देश्य मनोरंजन अथवा बिक्री बढ़ाना है, वे भी परोक्ष रूप में सामाजिक परिवर्तन की दिशा एवं प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा में हो रहे क्रमिक प्रसार के फलस्वरूप पढ़ी-लिखी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। 1980 और 1990 के दशकों में महिलाओं की साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। महिलाओं की जिन समस्याओं को शर्म, लाज या इज्जत के नाम पर पहले अंधेरे में ही रहने दिया जाता था, उनकी अब तार्किक आधार पर विवेचना होने लगी है। इस प्रकार महिलाओं की जीवनचर्या एवं मानसिकता में परिवर्तन तथा उसके माध्यम से समूचे समाज में आ रहे बदलाव और जनसंचार माध्यम एक-दूसरे के स्वरूप एवं दिशा को प्रभावित कर रहे हैं।

यह सच है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रभाव अधिक व्यापक है जबकि पत्रकारिता का संदेश केवल साक्षर लोगों तक पहुंचता है। परंतु यह संदेश स्थायी पत्रकारिता का संदेश केवल साक्षर लोगों तक पहुंचता है। परंतु यह संदेश स्थायी और अधिक विश्वसनीय है। जैसा कि पहले कहा गया है कि महिलाओं से संबंधित ऐसे तमाम मुद्दे जो वर्जनाओं के घेरे में बंद रहने के कारण दबे रहते थे, अब पत्र-पत्रिकाओं में चर्चित एवं विश्लेषित होते हैं। परंतु अधिकतर मामलों में ऐसी खबरों के प्रस्तुतीकरण में संवेदनशीलता और रचनात्मक दृष्टि का अभाव झलकता है।

भारतीय समाज की सामान्य मानसिकता के अनुरूप पत्र-पत्रिकाओं में औरत को सनसनी एवं चटखारे का विषय अधिक माना जाता है। बलात्कार, छेड़छाड़, कार्यालयों तथा अन्य स्थलों पर औरतों के सेक्स संबंधी शोषण की घटनाओं में मानवीय सहानुभूति कम तथा सनसनी पैदा करके खबर या लेख को 'मजेदार' बनाने की कोशिश अधिक झलकती है। कभी-कभी तो कुछ समाचार-पत्रों में ऐसी घटनाओं के शीर्षक भी इतने हल्के होते हैं जो घटिया फिल्मों को भी मात कर देते हैं। कुछ वर्ष पहले मराठी के एक अखबार ने 'बलात्कार कैसे किया जाता है' नामक एक लंबा लेख धारावाहिक रूप में छापने का दुस्साहस किया था। लगता है फिल्मों द्वारा स्थापित छवि की छाया पत्र-पत्रिकाओं पर भी पड़ रही है। यही कारण है कि महिलाओं के रचनात्मक, गतिशील तथा जुझारू रूप की बजाय उनकी दयनीय, अपमानजनक तथा निष्क्रिय स्थिति को दर्शाने वाली घटनाएं अधिक प्रमुखता एवं व्यापकता के साथ प्रकाशित की जाती है।

इस संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि पत्र-पत्रिकाओं में छपने वाले लेखों एवं समाचारों में पर्याप्त अंतर रहता है। लेखों और फीचरों में तो नारी के रचनात्मक एवं प्रेरक पहलुओं पर अधिक प्रकाश डाला जाता है, जबकि खबरों और चित्रों में प्रायः सनसनी एवं चटखारे की ध्वनि प्रमुख रहती है। सनसनी एवं चटखारे की प्रवृत्ति हिंदी तथा भारतीय भाषाओं की पत्र-पत्रिकाओं में अपेक्षाकृत अधिक देखने को मिलती है।

इसका मुख्य कारण पत्रकारों में संतुलित और स्वस्थ दृष्टिकोण का अभाव प्रतीत होता है। स्त्री की समस्याओं, कठिनाइयों और स्थितियों का चित्रण करते समय वे समग्र दृष्टि की बजाय परंपरागत पुरुषोचित दृष्टि से काम लेते हैं। कुछ महिला पत्रकार अलग ढंग से बात रखने का प्रयास करती भी हैं तो उनकी बात को एकांगी कह कर उपेक्षित किया जाता है। कुछ पुरुष पत्रकार या लेखक स्त्रियों की दृष्टि से कुछ लिखते हैं तो उन्हें स्त्रीवादी घोषित करके मुख्यधारा से काट दिया जाता है। ऐसी हालत में समाज को जागरूक बनाने के लिए सबसे पहले पत्रकारों में सम्यक चेतना लाना जरूरी है क्योंकि पत्र-पत्रिकाएं ही स्त्री-विमर्श की मुख्य वाहक हैं। इधर कुछ वर्षों से वैश्वीकरण की बाढ़ के फलस्वरूप सभी भाषाओं के समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में फिल्मी पत्रिकाओं की तर्ज पर फैशन, सौंदर्य प्रतियोगिताओं और आधुनिक व्यापार-व्यवसाय के नाम पर मॉडलों तथा शो बिजनेस से जुड़ी लड़कियों को लगभग नग्न और अर्द्धनग्न अवस्था में चित्रित करने का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। इससे एक चिंताजनक सवाल यह उठता है कि स्त्री के शरीर को ही क्यों प्रमुखता दी जाती है? पुरुषों के सब तरह के गुणों एवं विशेषताओं को उजागर किया जाता है परंतु स्त्रियों के सौंदर्य, शारीरिक सौष्ठव, वस्त्रों और शृंगार पर ही कला और कैमरे को घुमाया जाता है। अखबारों में रंगीन पृष्ठों के परिशिष्ट और पत्रिकाओं के आखिरी पन्नों पर बिखरे स्तंभ तथा फोटो महिलाओं को मात्र वस्तु के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह आधुनिकता का नकारात्मक पहलू है।

इन दिनों आधुनिक जीवन पद्धति पर प्रकाश डालने वाली कई तरह की रंगीन और चमकदार महंगी पत्रिकाएं निकल रही हैं जो केवल फैशन तथा रहन-सहन के तौर-तरीकों पर केंद्रित हैं। इनमें भी औरत को पुरुषों को रिझाने वाली जीती-जागती वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यही नहीं, इनमें टी.वी. सीरियलों और फिल्मी पत्रिकाओं की तरह पारिवारिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाते हुए औरतों को तितलियों और पुरुषों को भंवरे की तरह पेश किया जाता है। गांवों, कस्बों और शहरी मोहल्लों एवं झुग्गी-झोंपड़ियों में तरह-तरह के अन्याय, भेदभाव और संस्कारजनित अवरोधों एवं वर्जनाओं से संघर्ष करती हुई अपने तथा अपने परिवार का जीवन चलाने और संवारने वाली साधारण औरतों, जगह-जगह ज्ञान की लौ जगाने वाली स्वयंसेवी महिला

कार्यकर्ताओं, खेत-खलिहानों में खटने वाली महिला किसानों तथा दहेज, शराब, नशा और अन्य सामाजिक कुरीतियों की चक्की में पिसने वाली महिलाओं के लिए इन पन्नों पर कोई स्थान नहीं है।

विज्ञापन आज की पत्रकारिता की रीढ़ है। मुख्यधारा के किसी भी पत्र या पत्रिका के लिए विज्ञापन के बिना आगे बढ़ना तो दूर, जीवित रहना भी कठिन है। आलम यह है कि कुछ पत्रिकाओं में तो विषय-सामग्री से अधिक विज्ञापन होते हैं। समाचारों, लेखों और टिप्पणियों की तरह विज्ञापन भी लाखों पाठकों द्वारा पढ़े जाते हैं। विज्ञापनों का उद्देश्य क्योंकि माल की बिक्री बढ़ाना है, इसलिए उनकी रचना पाठकों के मनोविज्ञान के अनुरूप की जाती है। इसलिए वे विज्ञापित उत्पाद के प्रचार के साथ-साथ पाठकों की मानसिकता और सामाजिक सोच को भी धीरे-धीरे प्रभावित करते हैं। पत्र-पत्रिकाओं में छपने वाले लेख और संपादकीय तो स्त्रियों में आधुनिक चेतना का प्रसार करते हैं जबकि खबरों की तरह अधिकतर विज्ञापन स्त्री की परंपरागत छवि को पुष्ट करते हैं। विज्ञापनों में वह निहायत घरेलू, अन्याय को चुपचाप सहने वाली, रसोई और बच्चों के पालन तक सिमटी, सुहाग की अवधारणा में उलझी तथा साज-शृंगार में लिपटी अबला के रूप में चित्रित की जाती है। विडंबना यह है कि इस जड़ छवि को उजागर करने में अपने-आपको महिलाओं के लिए समर्पित कहने वाली पत्रिकाएं सबसे आगे हैं।

विज्ञापनों में नारी की एक अन्य भूमिका अपने अंग प्रदर्शन से पुरुषों को वस्तु विशेष खरीदने के लिए उत्तेजित (प्रेरित नहीं) करने की रहती है। इन विज्ञापनों से यह भी साफ झलकता है कि परिवार के कार्यों में बड़े निर्णय लेने में स्त्री का कोई स्थान नहीं है और वह पुरुषों का ध्यान आकर्षित करने की संवेदनशून्य वस्तु मात्र है। शराब, सूटिंग, टी.वी. फ्रिज, सिगरेट, कार, स्कूटर, टायर जैसी वस्तुओं की पसंद एवं खरीद के निर्णय में उसकी भूमिका केवल अपने मादक सौंदर्य की ताकत से पुरुषों को ब्रांड विशेष खरीदने के लिए तैयार करना है। किंतु यह स्थिति वास्तविकता के विपरीत तो है ही साथ ही भारतीय समाज की भावी अपेक्षाओं को भी नकारती है। वास्तव में यह महिलाओं की गरिमा पर गंभीर प्रहार है।

पत्र-पत्रिकाओं में नारी अस्मिता का एक और पक्ष भी है। वह है पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की व्यावसायिक स्थिति। इसमें संदेह नहीं कि पत्र-पत्रिकाओं की संख्या और उनकी प्रसार संख्या के साथ-साथ उनमें काम करने वाली महिलाओं की गिनती में निरंतर वृद्धि हो रही है। समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं, यहां तक कि व्यापारिक पत्रिकाओं में महिलाएं आत्मविश्वास के साथ काम ही नहीं कर रही हैं बल्कि अनेक महिला पत्रकारों ने अपनी योग्यता एवं क्षमता का सिक्का भी जमाया है। अनेक समाचार-पत्रों में 40 प्रतिशत तक पत्रकार महिलाएं हैं। कई महिला पत्रकारों ने कठिन तथा महिलाओं के लिए सामाजिक दृष्टि के प्रतिकूल समझी जाने वाली परिस्थितियों में भी रिपोर्टिंग करके अपनी क्षमता का परिचय दिया है। किंतु समाज में जागरूकता लाने का दायित्व निभाने वाले ये व्यवसाय भी दोहरी दृष्टि या 'डबल स्टैंडर्ड' के दोष से मुक्त नहीं हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो अधिकतर मामलों में महिला पत्रकारों को हल्के समझे जाने वाले क्षेत्र सौंपे जाते हैं। राजनीतिक घटनाक्रम, अपराध, खोजी पत्रकारिता, व्यापार जगत, कंपनी मामले, खेलों जैसे विषयों से प्राय: महिलाओं को वंचित रखा जाता है और उन्हें कला, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल समस्याएं जैसे 'हल्के' विषयों के अधिक योग्य माना जाता है। अत्यधिक साहसी एवं अतिरिक्त रूप से प्रभावशाली महिलाएं ही इस अघोषित नियंत्रण के घेरे को तोड़कर पुरुषों के लिए आरक्षित विषयों में प्रवेश कर पाती हैं।

इसमें संदेह नहीं कि पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक मान्यताएं और नैतिकता के प्रचलित मानदंड महिलाओं को जोखिम वाले तथा देर रात तक घर से बाहर रहने की मांग करने वाले कार्यों को संभालने से निरुत्साहित करते हैं किंतु मुख्य बाधा उनकी अपनी इच्छा या अनिच्छा नहीं, वरन यह परंपरागत दृष्टिकोण है कि जब भी किसी तथा कठिन या सरल काम में से चयन करना हो तो पहली तरह का काम पुरुष और दूसरी तरह का महिला के लिए उपयुक्त माना जाता है। एक विचित्र परंपरा सभी संस्थाओं, यहां तक कि राजनीति और प्रशासन में भी विद्यमान है कि महिलाओं से संबंधित विभाग या विषय स्वाभाविक रूप से महिला अधिकारियों, पदाधिकारियों एवं मंत्रियों को सौंप दिए जाते हैं। यह मानसिकता पत्रकारिता में भी जमी हुई है। यही कारण है कि महिलाओं को रिपोर्टिंग की बजाय फीचर विभागों में अधिक रखा जाता है। दैनिक समाचार-पत्रों के महिला संपादक उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। यद्यपि जिन भी महिला पत्रकारों को यह दायित्व मिला है, उन्होंने पूरी दक्षता एवं सफलता के साथ उसे पूरा कर दिखाया है।

बेशक महिलाओं की अपनी कुछ सीमाएं हैं, किंतु अब तक का अनुभव बताता है कि अवसर मिलने पर वे किसी भी तरह की चुनौती का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकती है। आवश्यकता उनके प्रति पुरुष की और उसके माध्यम से समूचे समाज की दृष्टि में परिवर्तन लाने की है। इस प्रक्रिया में महिलाओं को अपने प्रति भी दृष्टिकोण बदलना होगा। जब मां अपनी बेटी से बचपन में ही कहने लगती है कि यह काम तुम्हारे लिए नहीं, लड़कों के लिए है तो उसके पांव में पहली बेड़ी तभी पड़ जाती है। इस दुष्चक्र को तोड़ने की अपेक्षा घूम-फिर कर जनसंचार माध्यमों से ही की जा सकती है। अत: पत्र-पत्रिकाओं का संचालन व नियंत्रण करने वालों की इस विषय पर आत्मविश्लेषण करते हुए खुद भी स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना होगा और समाज को सही लीक पर सोचने को प्रेरित करना होगा। ❑

(लेखक आकाशवाणी में निदेशक (समाचार) हैं।)

LAST YEAR RELIANCE INDUSTRIES SET UP OVER TWO MILLION NEW PLANTS.

As a step towards preserving the environment, Reliance Industries has set up an extensive green belt of nearly 850 acres around its Jamnagar complex, sheltering over two million trees of various species.

Reliance
Industries Limited
Growth is Life
www.ril.com

Reliance an ISO 14001 company

Mudra:RIL-9287

कॉल सेंटरों का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्व

○ स्वामी प्रकाश श्रीवास्तव

कॉल सेंटर सूचना तकनीकी आधारित एक नई तरह की सेवा है जिसका लक्ष्य उपभोक्ता होता है। कॉल सेंटर एक ऐसा केन्द्रीकृत स्थान है जहां उपभोक्ता या ग्राहक किसी कम्पनी के उत्पाद या सेवाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। व्यावसायिक संगठनों के लिए कॉल सेंटरों का महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कॉल सेंटर के माध्यम से ये संगठन अपने उत्पादन एवं सेवाओं से जुड़ी जानकारी तथा सहायता उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं।

वर्तमान समय सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं का है। सूचना तकनीक आधारित डाटकाम के पश्चात कॉल सेंटर उद्योग इस समय एक बड़े व्यवसाय के रूप में तेजी से उभर रहा है। कॉल सेंटर सूचना तकनीकी आधारित एक नई तरह की सेवा है जिसका लक्ष्य उपभोक्ता होता है। कॉल सेंटर एक ऐसा केन्द्रीकृत स्थान है जहां उपभोक्ता या ग्राहक किसी कम्पनी के उत्पाद या सेवाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कॉल सेंटर में आपरेटर के पास किसी कम्पनी विशेष से जुड़ी सारी जानकारी होती है और वह विशेष रूप से प्रशिक्षित होता है जिससे वह ग्राहक की हर जिज्ञासा को शांत कर सके। व्यावसायिक संगठनों के लिए कॉल सेंटरों का महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कॉल सेंटर के माध्यम से ये संगठन अपने उत्पादन एवं सेवाओं से जुड़ी जानकारी तथा सहायता उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं।

कॉल सेंटरों की विश्वसनीयता के दृष्टिकोण से भारत का महत्व विश्व भर में बढ़ता जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी उत्पादनों एवं सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए भारत की गिनती आज विश्व के प्रमुख देशों में होती है। यही कारण है कि विश्व की कई प्रमुख बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारत में अपने कॉल सेंटर स्थापित कर रही हैं। इस प्रकार भारत स्थित कॉल सेंटर केवल भारतीय उपभोक्ताओं को ही नहीं बल्कि विदेशी ग्राहकों को भी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जिन वस्तुओं के व्यवसाय के लिए कॉल सेंटरों का सबसे अधिक उपयोग किया जा रहा है उनमें शामिल हैं—मेडिकल ट्रॉसक्रिप्शन, वेबसाइट के कंटेट तैयार करना, बैंक, आफिस प्रबंधन, वित्तीय सेवाओं, क्रेडिट कार्ड, कंप्यूटर साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, होटल, पर्यटन उद्योग, एअरलाइंस, इंटरनेट आदि हैं। इसके अतिरिक्त दूरसंचार, बीमा तथा बैंकिंग कम्पनियां भी इसका प्रयोग कर रही हैं क्योंकि इन्हें उपभोक्ताओं की एक बड़ी संख्या की सेवा करनी होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष विपणन से जुड़ी कम्पनियों के लिए भी कॉल सेंटर उपयोगी है।

यद्यपि भारत में कॉल सेंटरों का प्रचलन शुरू हुए अधिक समय नहीं हुआ लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया और आयरलैंड आदि विकसित देशों में कॉल सेंटर एक बड़ा व्यवसाय बन चुका है। परंतु फिर भी भारत में इसके विकास की संभावनाएं इसलिए भी प्रबल हैं क्योंकि इसके लिए यहां पहले से ही आधारभूत ढांचा मौजूद है। भारत में जहां एक तरफ दक्ष सूचना तकनीकी विशेषज्ञों की बहुलता है वहीं दूसरी तरफ प्रशिक्षित अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोगों की कमी नहीं है और अन्य देशों की अपेक्षा सेवा लागत भी कम है। इसलिए विश्व की कई कम्पनियों ने कॉल सेंटर व्यवसाय के लिए भारत को लक्ष्य बनाया है।

नॉसकाम के एक अनुमान के अनुसार भारत में सूचना तकनीक आधारित सेवाओं का व्यवसाय 2008 तक बढ़कर 24 अरब अमेरिकी डालर तक पहुंच जाने की संभावना है। इसमें भी अकेले कॉल सेंटर का व्यवसाय 3.7 अरब अमेरिकी डालर पर पहुंचने की संभावना है। भारत में कॉल सेंटर की विकास दर 75 प्रतिशत से अधिक रही है। जबकि एक आकलन के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी आधारित व्यवसाय में 70 प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि हो रही है। विदेशों से प्राप्त कुल विदेशी मुद्रा की आय का 40 प्रतिशत

सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों से प्राप्त हो रहा है।

प्रमुख केन्द्र

अन्य विकसित देशों की अपेक्षा यद्यपि अभी भारत में कॉल सेंटर का उतना प्रचलन नहीं हो पाया है परंतु एक अनुमान के अनुसार अब तक भारत में 40 से अधिक कॉल सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं जबकि पूरे विश्व में इस समय कॉल सेंटरों की संख्या लगभग 1.5 लाख है जिसमें 18 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। भारत में अभी काल सेंटरों की स्थापना मुख्यत: बड़े शहरों तथा महानगरों जैसे— मुंबई, दिल्ली, बंगलौर, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, बड़ोदरा आदि में ही हुई है। इन शहरों तथा महानगरों में बड़ी मात्रा में कॉल सेंटर प्रशिक्षण-केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं।

रोजगार

दो साल से अधिक चली सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मंदी का दौर यद्यपि अब समाप्त हो रहा है परंतु फिर भी विशेषज्ञों के अनुसार साफ्टवेयर विकास क्षेत्र में पहले जितनी वृद्धि प्राप्त करने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी आधारित अन्य सेवाओं की वृद्धि दर में बहुत तेजी आई है विशेषकर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्षेत्रों में रोजगार के अवसर निरंतर बढ़ रहे हैं। नासकॉम के एक अध्ययन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2000-01 की अवधि में भारत में कॉल सेंटर व्यवसाय में लगभग 16 हजार लोगों को रोजगार मिला हुआ था जिसके सन 2008 तक 20 लाख से अधिक हो जाने की संभावना है।

कार्य

कॉल सेंटर में ऐसे लोगों को रोजगार दिया जाता है जो आने वाली कॉलों का ठीक प्रकार से जवाब दे सकें एवं आवश्यकतानुसार भावी ग्राहकों से संपर्क

कर उन्हें कम्पनी विशेष के उत्पादनों एवं सेवाओं की जानकारी दे सकें। एक कॉल सेंटर में 90 प्रतिशत से ज्यादा समय कॉलों का फोन पर उत्तर देने, ई-मेल भेजने, पढ़ने एवं चैटिंग में गुजरता है। कॉल सेंटर की प्रणाली फोन, ई-मेल और आपरेटर की दक्षता पर निर्भर होती है। इसके लिए विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। कॉल सेंटर की गुणवत्ता इस पैमाने पर मापी जाती है कि कॉल सेंटर के कितने जवाबों से उपभोक्ता संतुष्ट हुए और सवालों का जवाब देने में कितना समय लगा।

प्रकार

सीटों की संख्या के आधार पर भारत में मुख्यत: तीन प्रकार के कॉल सेंटर कार्य कर रहे हैं।

1. 8 सीटर कॉल सेंटर— स्थानीय क्रिया-कलापों के लिए (लोकल आपरेशन कॉल सेंटर)।
2. 24 सीटर कॉल सेंटर— राष्ट्रीय स्तर पर क्रिया-कलापों के लिए (नेशनल ऑपरेशन कॉल सेंटर)।
3. 50 अथवा अधिक सीटर काल सेंटर— अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिया-कलापों के लिए (इंटरनेशनल ऑपरेशन कॉल सेंटर)।

यद्यपि भारत में मुंबई में 350 सीट वाले ऐसे काल सेंटर भी उपलब्ध हैं जो कि नास्डॉक में भी सूचीबद्ध हैं। ऐसे कॉल सेंटर मुख्यत: टेली मार्केटिंग सेवाओं के कारण इस क्षेत्र में आई है। आमतौर पर 100 सीटों वाले एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर स्थापित करने पर 10 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होती है। परंतु एच.एस.बी.सी. सिक्यूरिटी रिपोर्ट 2002 के एक आकलन के अनुसार 100 सीटों के एक कॉल सेंटर स्थापित करने की लागत भारत में 5.4 मिलियन अमेरिकी डालर आती है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में इसी प्रकार के समान कॉल सेंटर की लागत 10 मिलियन अमेरिकी डालर आती है।

आय

कॉल सेंटर अपनी सेवा का उपयोग करने वाले संगठनों से शुल्क के रूप में आय भी प्राप्त करते हैं। कॉल सेंटरों में आय (राजस्व) की गणना सीट के आधार पर होती है। संक्षेप में इसका अर्थ है कि कॉल सेंटर में

(शेष पृष्ठ 40 पर)

आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की दुनिया
नैनो टेक्नोलॉजी

○ सुधीर कुमार शर्मा

इस विज्ञान का नाम मापन की एक इकाई नैनोमीटर (nm) के आधार पर पड़ा है जो एक मीटर का अरबवां हिस्सा ($1nm = 10^{-9}m$) होता है। नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास ने औषधि, बायोटेक्नोलॉजी, पदार्थ विज्ञान, जीनोमिक्स, सूक्ष्म उपकरणों के निर्माण, कम्प्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, संचार और विज्ञान के अन्य अग्रणी क्षेत्रों में नए द्वार खोल दिए हैं।

नैनो टेक्नोलॉजी का संबंध अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर वैज्ञानिक कार्यों से है। इस विज्ञान का नाम मापन की एक इकाई नैनोमीटर (nm) के आधार पर पड़ा है जो एक मीटर का अरबवां हिस्सा ($1nm = 10^{-9}m$) होता है। एक नैनोमीटर हाइड्रोजन के एक परमाणु के आकार का दस गुणा होता है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि नैनो विज्ञान में कितने सूक्ष्म स्तर पर कार्य किया जाता है। नैनो विज्ञान का व्यावहारिक उपयोग नैनो टेक्नोलॉजी के रूप में हो रहा है, जिनमें परमाणविक आकार के अत्यंत सूक्ष्म-यंत्रों और उपकरणों का निर्माण किया जा सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास ने औषधि, बायोटेक्नोलॉजी, पदार्थ विज्ञान, जीनोमिक्स, सूक्ष्म उपकरणों के निर्माण, कम्प्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, संचार और विज्ञान के अन्य अग्रणी क्षेत्रों में नए द्वार खोल दिए हैं।

नैनो टेक्नोलॉजी है क्या?

वैज्ञानिक भाषा में 'नैनो' उपसर्ग का अर्थ है किसी इकाई, जैसे एक सेकेंड या एक मीटर या एक किलोग्राम का एक अरबवां हिस्सा। एक नैनोमीटर (1x10-9 मीटर) एक मीटर का एक अरबवां भाग है जो 3-4 परमाणुओं के बराबर चौड़ा (3-4 atoms wide) होता है। नैनो टेक्नोलॉजी में एक अकेले परमाणु के अध्ययन और उसमें फेर-बदल द्वारा नैनो आकार की असाधारण गुणों वाली अत्यंत सूक्ष्म युक्तियों का विकास किया जा सकता है। नैनो पैमाना कितना सूक्ष्म है, इसका अनुमान निम्नलिखित आकारों से लगाया जा सकता है।

- हाइड्रोजन परमाणु का व्यास = 0.1 नैनोमीटर
- डी.एन.ए. (DNA) अणु की चौड़ाई = 2.5 नैनोमीटर
- मनुष्य की लाल रक्त कणिका (RBC) का व्यास = 800 नैनोमीटर

कल्पना कीजिए एक ऐसी दवा हो जिसे खाते ही कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का निदान हो जाए। ऐसी अपेक्षाएं की जा रही हैं—नैनो टेक्नोलॉजी से।

संबंधित क्षेत्र

जैवौषधि

नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित युक्तियों के उपयोग से कैंसर, एड्स, मधुमेह और कई अन्य बीमारियों के निदान और उपचार में क्रांति लाई जा सकती है। नैनो टेक्नोलॉजी से जैवौषधि के अनेक क्षेत्रों को लाभ हो सकता है। इन क्षेत्रों में अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, यहां तक कि मानव शरीर के भीतर उपयोग में लाए जाने वाले सेंसर, औषधियों को शरीर के किसी खास अंग तक पहुंचा सकने वाली युक्तियां, मानव शरीर में प्रतिरोपित किए जाने वाले कृत्रिम अंगों के निर्माण में काम आने वाली परिष्कृत सामग्री और नई किस्म की औषधियां शामिल हैं।

चिकित्सा के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का संभावित उपयोग बीमारियों का प्रारंभिक अवस्था में पता लगाकर शीघ्र उपचार में काम आने वाली युक्तियों के निर्माण में हो सकता है। इसके माध्यम से ऐसे कृत्रिम अंग बनाए जा सकते हैं जो शरीर की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार अपने-आप को ढाल सके और जिसे शरीर आसानी से स्वीकार कर ले। नैनो ट्यूब एक ऐसी युक्ति है जो अत्यंत सूक्ष्म नलिका के आकार की होती है। यह हमारी रक्त प्रणाली में आसानी से तैर सकती है और इसके जरिए दवा को शरीर के किसी खास अंग तक

बड़ी आसानी से और सही मात्रा में पहुंचाया जा सकता है।

नैनो सामग्री

नैनो आकार (Nano-Scale) की युक्तियों का उपयोग आजकल के कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की रीड-राइट हेड प्रणालियों में होता है। जैसे-जैसे हम नैनो पैमाने पर नई-नई परिष्कृत सामग्री बनाना सीख जाएंगे, ऐसी आधुनिक प्रणालियों का विकास आसान हो जाएगा जो हल्की, मजबूत और आवश्यकताओं के अधिक अनुरूप होंगी। ये पर्यावरण की दृष्टि से प्रदूषण फैलाने वाली नहीं बल्कि सस्ती एवं अधिक टिकाऊ होंगी। इससे नए तरह के उत्पादों की एक समूची शृंखला का उत्पादन करना संभव हो जाएगा। नैनो सामग्री हीरे की तरह होंगी जिसमें कार्बन 50-70 गुणा शक्तिशाली होता है स्टील की तुलना में जबकि इसका वजन स्टील के वजन का एक-चौथाई होता है।

उपयोग

नैनो टेक्नोलॉजी की भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके विशेष प्रकार के कंप्यूटर प्रोसेसरों एवं मैमोरी डीवाइस का विकास किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी से आणविक कंप्यूटरों का भी विकास किया जा सकता है। यह कंप्यूटर अत्याधुनिक किस्म के होंगे और इन्हें बनाने में परंपरागत प्रणालियों की आवश्यकता नहीं होगी। परंपरागत कंप्यूटरों से अलग इनमें नए किस्म के आणविक स्विचों का उपयोग होगा।

नैनो जीव-विज्ञान

पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ औद्योगिक और कृषि प्रणालियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आज दुनिया भर में उद्योगों में रसायन विज्ञान पर आधारित युक्तियों के स्थान पर जैव समाधानों को अपनाया जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी ने एक ऐसी दुनिया का निर्माण किया है जिसमें कंप्यूटर अपना संचालन अपने-आप कर सकेंगे। इसी तरह दवाएं रोगी के शरीर की आवश्यकताओं, जैसे — उसके वजन, उसकी पाचन-प्रणाली आदि के अनुसार अपने को ढाल लेगी। कृषि के क्षेत्र में भी इस तरह की युक्तियों के उपयोग से उपज बढ़ाई जा सकेगी। दवाओं का क्षेत्र तो नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग की संभावनाओं से भरा पड़ा है। चाहे जीन का क्षेत्र हो या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड का, जब भी कोशिका के स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता होगी, नैनो टेक्नोलॉजी को ही अपनाना होगा।

(शेष पृष्ठ 35 पर)

ADMISSION NOW OPEN FOR BRILLIANT'S POSTAL COURSES COMMENCING IN 2003.

IIT-JEE 2004, 2005 & BEYOND

• **2Yr. Elite Course** with **YG-FILEs + B.MAT**, for 2005 (Std. XI) • **1Yr. Course** with **YG-FILE + B.MAT**, for 2004 (Std. XII) • **YG-FILE + B.MAT** for 2004 (Std. XII) • **TARGET-IIT:** Primer Courses for students entering Std. IX, X.

MEDICAL ENTRANCE 2004, 2005 & BEYOND

• **2 Yr. CBSE-PLUS** with **Question Bank (QB) + B.NET**, for **MBBS Entrance** 2005 (Std. XI) • **1 Yr. Course** with **QB + B.NET**, for 2004 (Std. XII) • **QB + B.NET** for 2004 (Std. XII) • **TARGET-MBBS:** Primer Courses for students entering Std. IX, X.

IAS, GATE, CSIR, UGC, IES

• **Civil Services Exam** 2004 • **GATE** 2004 • **CSIR-UGC NET Exam**, Dec. '03 & June '04 • **UGC (Humanities) NET Exam**, Dec. '03 & June '04 • **Engg. Services Exam** 2004.

SEAT, AIEEE, AMIE & GEOLOGISTS' EXAM

• **SEAT - 1 Yr. Course** for **State Engineering Admission Tests** 2004 (EAMCET, Andhra Pradesh; CEET, Haryana; CET, Karnataka; CET, Punjab; PET, Madhya Pradesh; CEE, Delhi; JEE, Orissa; JET, Pondicherry; PET, Rajasthan; WBJEE, West Bengal; UPSEAT, Uttar Pradesh; BCECE, Bihar) • **1 Yr. Course** for **CBSE's All-India Engg. Entrance Exam (AIEEE)** 2004 • **AMIE Section A & B Exams** Dec '03 & June '04 (Our AMIE course material will provide useful additional support to Engineering under graduates.) • **UPSC's Geologists' Examination** 2003.

MBA (IIM-CAT, others), MCA ENTRANCE

• **MBA Entrance** 2004, starting with IIM-CAT 2003 • **Target-MBA** towards **MBA Entrance** 2005 (for students entering the pre-final year of college in 2003) • **MCA Entrance** 2004 • Andhra-ICET 2004.

GRE, TOEFL, BSRB

Year-round enrolment.

Write, call or fax for free prospectus.

BRILLIANT TUTORIALS®

You can't prepare better

Box: 4996-YOH, 12 Masilamani St., T. Nagar, Chennai 600 017.
Ph: 24342099 (4 lines) Fax: 24343829
email: enquiries@brilliant-tutorials.com

Admission open for Postal Coaching Programme designed specifically for
IAS 2004, GATE 2003, IIT-JEE, MEDICAL ENTRANCE, SEAT & AIEEE 2004, CSIR-UGC NET EXAM AND UPSC'S GEOLOGISTS' EXAMINATION 2003

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस (3 मई, 2003) पर विशेष

नए ऊर्जा स्त्रोतों का उपयोजन क्यों और कैसे?

○ हरीशचन्द्र व्यास

ऊर्जा संकट आज के युग की वास्तविकता है। इससे इंकार करना या इसकी उपेक्षा करना दोनों ही घातक सिद्ध हो सकते हैं। संसार भर में ऊर्जा के गैर-परंपरागत साधनों को विकसित राष्ट्र विकल्प के रूप में द्रुतगति से अपना रहे हैं। ऊर्जा के वर्तमान साधन सीमित हैं। अत्यंत खर्चीले हैं; पर्यावरण को बिगाड़ने वाले हैं और दूर-दराज के क्षेत्रों में उपलब्ध भी नहीं हैं। गैर-परंपरागत साधन सब प्रकार से प्रदूषणमुक्त हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम ऊर्जा के इन वैकल्पिक साधनों को अधिक से अधिक अपनाएं। ऐसा हुआ तो हजारों वर्षों तक ऊर्जा संकट जैसी समस्या हमारे सामने नहीं आएगी और प्रकृति भी प्रदूषणमुक्त रहेगी।

विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष ऊर्जा की खपत में लगभग तीन गुणा वृद्धि के फलस्वरूप ऊर्जा संकट आज के युग की वास्तविकता है। इससे इंकार करना या इसकी उपेक्षा करना दोनों ही घातक सिद्ध हो सकते हैं। संसार भर में ऊर्जा के गैर-परंपरागत साधनों को विकसित राष्ट्र जैसे— जापान, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस एवं इजराइल आदि विकल्प के रूप में द्रुतगति से अपना रहे हैं। ऊर्जा विकल्प की यह विश्वव्यापी चर्चा एवं उपयोजन निरर्थक नहीं है। ऊर्जा के वर्तमान साधन सीमित हैं। विश्व में 4 करोड़ 86 लाख 65 हजार टन कोयला तथा 23 लाख गैस भंडार हैं। देश में 10 लाख 80 हजार टन कोयला भंडार हैं; गैस भंडार तो केवल 41 हजार मेगाटन है। चार-छह दशकों से ज्यादा ये संसाधन हमारा साथ देने वाले नहीं हैं, अत्यंत खर्चीले हैं; पर्यावरण को बिगाड़ने वाले हैं और दूर-दराज के क्षेत्रों में उपलब्ध भी नहीं हैं। अत: घरेलू ईंधन हेतु गैर-पारंपरिक साधनों का उपयोग ही एकमात्र विकल्प रह जाता है तो तेल, गैस तथा कोयले का विकल्प सिद्ध हो सकता है।

21वीं शताब्दी के पहले पांच दशकों तक ये हमारा साथ निभा दें तो गनीमत है। फिर क्या होगा? क्या हम इक्कीसवीं शताब्दी को एक अंधेरी, असहाय और आदिम युग की शताब्दी बनाना चाहते हैं? कोयले और

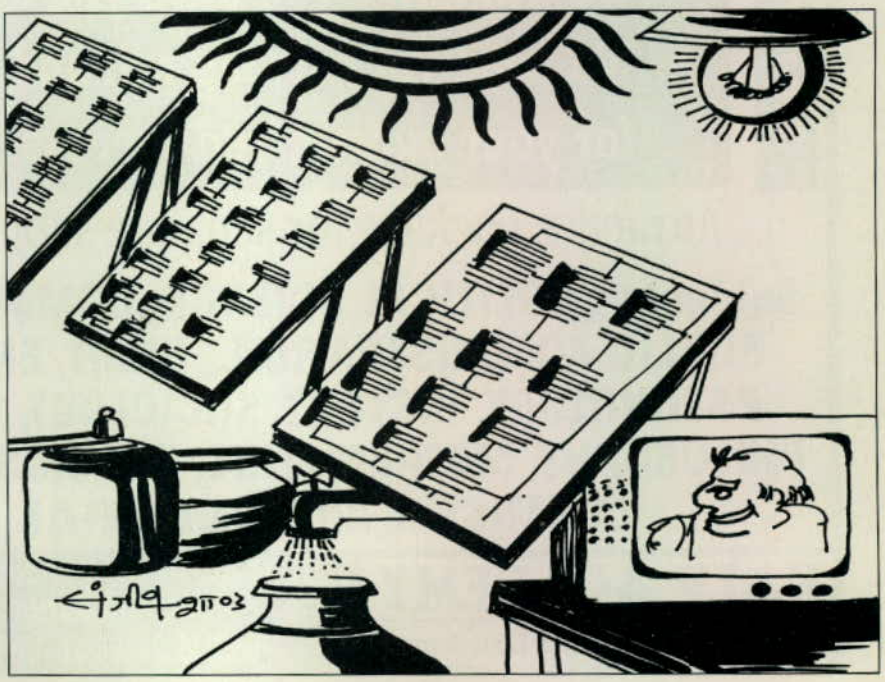

KALP ACADEMY

IAS/PCS : 2004

Separate Hostel Facilities for Girls & Boys

ADMISSION OPEN

JOIN US FOR FOUNDATION COURSE

- It includes A to Z of Civil Services.
- It covers all papers from P.T. through Main to Interview.
- It prepares you from Zero-level to the level of success.
- It assures success to even beginners.
- We will guide you until you hit your target.
- We need your strong will and determination for your *guaranteed* success.

Separate Classes both in English and Hindi Medium

Attractive package for separate subject also available.

Subjects : POLITICAL SCIENCE, COMMERCE, ECONOMICS, PUBLIC ADMINISTRATION, HINDI, ENGLISH, SANSKRIT, PSYCHOLOGY, HISTORY, SOCIOLOGY, GEOGRAPHY, LAW, PHILOSOPHY, MATHEMATICS, PHYSICS, ZOOLOGY, BOTANY, CHEMISTRY AND GENERAL STUDIES

KALP ACADEMY

Symbiosis of Experts for Civil Services

A-38-40, Ansal Building, Near Mother Dairy (Safal), Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009.

Ph. : 27655825, 27655826. Cell.: 9810565283, 9868024975, 20054802

पेट्रोल का भंडार न अक्षय है और न अनंत। उस दिन की कल्पना करें जब न गैस होगी और न बिजली; न परमाणु ऊर्जा होगी और न ताप। ये धड़धड़ाती डीजल और वाष्पचालित रेलगाड़ियां और मोटरें, कारखानों की धुआं-उगलती चिमनियां, इस्पात के बड़े-बड़े संस्थान और दुनिया भर की उत्पादक इकाईयां सब ठप्प हो जाएंगी। विकल्प की खोज न करें तो आदिम युग, आदि मानव का गुफाओं वाला युग, हमसे दूर नहीं होगा।

भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह गंभीर चिंता का विषय है कि वर्तमान ऊर्जा का विकल्प कैसा हो। हमारे वैकल्पिक साधन ऐसे होने चाहिए जो अनंत हों, अक्षय हों और कोयले तथा पेट्रोल की तरह बीच में ही साथ छोड़ने वाले न हों। इनके लगाने तथा रख-रखाव का खर्च कम हो, पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत हो, जो राष्ट्रीय अर्थतंत्र को मजबूती दे सकें। एक साथ इतनी सारी शर्तें पूरी करने वाले साधन न तो हमें विज्ञान दे सकता है और न आधुनिक अर्थतंत्र। इसके लिए तो हमें प्रकृति की शरण में ही जाना होगा। फिर से सूर्य की, पवन की, पानी की, धरती माता की और अग्नि तत्व की प्रतिष्ठा करनी होगी; उनकी परिक्रमा करनी होगी; उनकी अगवानी करनी होगी। फिर इक्कीसवीं शताब्दी तो क्या, आने वाली सैकड़ों शताब्दियां ऊर्जा संकट से मुक्त रह सकेंगी।

विकल्पों की इस शृंखला में सबसे पहले नजर जाती है सूर्य पर, जो ऊर्जा का अनंत भंडार है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचते-पहुंचते सूर्य ऊर्जा का लगभग 90 प्रतिशत अंश यों ही व्यर्थ चला जाता है। यह तो स्वयंसिद्ध है कि धूप अपने-आप में प्रदूषणरहित है और सबको समान रूप से सुलभ है। भारत का सौभाग्य है कि वर्ष में 250 से लेकर 320 दिनों तक सूर्य की भरपूर धूप हमें प्राप्त होती है। सूर्य-ऊर्जा के दृष्टि से भारत सौभाग्यशाली है। हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उससे 20 हजार गुणा शक्ति सूर्यदेव हमें प्रदान करने की अनुकंपा करता है। थार के रेगिस्तान के 100 वर्ग मील के क्षेत्रफल पर सूर्य-ऊर्जा इतनी पड़ती है जो पूरे देश की ऊर्जा-आपूर्ति में सक्षम है। दिन में सूर्य चाहे 10 से 12 घंटे ही हमारे साथ रहे लेकिन विज्ञान का करिश्मा यह है कि सूर्य की ऊर्जा हमें चौबीसों घंटें यानी दिन हो या रात, किसी भी समय प्राप्त हो सकती है। इसमें न धुआं है, न धूसर; न अपशिष्ट पदार्थ हैं और न स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाला कोई तत्व। मजे की बात तो यह है कि विश्वभर में उपलब्ध संपूर्ण ईंधन को जलाने से जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उतनी सूर्य दस दिनों में ही प्रदान कर देता है। इसे यों भी कह सकते हैं कि सूर्य अन्य समस्त साधनों से प्राप्त ऊर्जा से 36 गुना ज्यादा ऊर्जा देने में सक्षम है जबकि वास्तविकता यह है कि सूर्य ऊर्जा का केवल 10 प्रतिशत भाग पृथ्वी पर आता है; 90 प्रतिशत वायुमंडल में ही रह जाता है।

सूर्य-ऊर्जा के दृष्टि से भारत सौभाग्यशाली है। हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उससे 20 हजार गुणा शक्ति सूर्यदेव हमें प्रदान करने की अनुकंपा करता है। थार के रेगिस्तान के 100 वर्ग मील के क्षेत्रफल पर सूर्य-ऊर्जा इतनी पड़ती है जो पूरे देश की ऊर्जा-आपूर्ति में सक्षम है।

आज सौर-ऊर्जा जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। सौर चूल्हों में हर प्रकार का भोजन बन सकता है—चाहे आमिष हो या निरामिष, सूर्य को भोजन पकाने से कोई परहेज नहीं। देश में कुल खपत होने वाली ऊर्जा का 50 प्रतिशत भाग घरों में ही काम में लाया जाता है। मकानों को ठंडा या गर्म रखना हो; फसलों के दिनों में धान को सुखाना हो; पानी के पंपों द्वारा सिंचाई करनी हो; दूर-दराज के गांवों को बिजली की रोशनी से जगमगाना हो; टी.वी. और रेडियो चलाने हों; पानी को गर्म करना हो या उसे लवणमुक्त करना हो—इन सभी कामों में सौर-ऊर्जा सहायक हो सकती है। इसके लिए हमें सौर फोटोवोल्टेइक सेलों की जरूरत होती है पर ये सौर-सेल हैं क्या?

शुद्ध सिलीकन के वृत्ताकार और चपटे आकार के नीले रंग के छोटे-छोटे टुकड़ों को हम सौर-सेल कहते हैं जो सूर्य की किरणों को सीधे ऊर्जा में बदल सकते हैं। इससे जो बिजली उत्पन्न होती है उसके लिए न आधुनिक पावर हाउस चाहिए, न लोहे या सीमेंट के खंभे, और न तांबे के तार। कोयले का तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता। बिजली खर्च कम करने और पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के प्रतिमान को केंद्र में रखकर जापान, इजराइल तथा अमेरिका द्वारा अपने-अपने देश में क्रमशः 20 लाख, 6 लाख एवं 30 हजार सोलर वाटर हीटर्स लगाए गए हैं जो हमारे लिए प्रेरणा स्त्रोत हैं।

दिल्ली के नजदीक ग्वाल पहाड़ी में एक सौर ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है जहां अनुसंधान, विकास, परीक्षण और प्रमाणीकरण के काम किए जाते हैं। देश में अनेक स्थानों पर सोलर फोटोवोल्टेइक केंद्र खोले जा चुके हैं जो एक किलोवाट से ढाई किलोवाट तक विद्युत उत्पादन करते हैं। घरों, दुग्धशालाओं, कारखानों, होटलों और अस्पतालों में पानी गर्म करने के ऐसे संयंत्र लगे हैं जो 100 लीटर से लेकर सवा लाख लीटर तक पानी गर्म कर सकते हैं। सौर चूल्हे एक सामान्य परिवार में कम से कम दो किलो लकड़ी की बचत कर सकते हैं। भारत में यदि सतरह करोड़ परिवार भी माने

जाएं तो प्रतिदिन 34 करोड़ किलो या 34 लाख क्विंटल या 3.4 लाख टन लकड़ी बचाई जा सकती है। जहां तक खेती का संबंध है, वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि यदि रासायनिक खाद के छिड़काव से होने वाले प्रदूषण से बचना हो तो खेतों में पोलीथीन की थैलियां बिछा दी जाएं। सूर्य की किरणों से जो ताप मिलेगा वह ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वापस वायुमंडल में नहीं जाएगा तथा यह ताप रासायनिक खान वाली ऊर्जा की पूर्ति कर सकेगा। हमें चाहिए कि सौर ऊर्जा के उपयोग हेतु अभिरुचि एवं अभिवृत्ति का विकास करके भविष्य में होने वाले संभावित खतरों से निजात पाएं।

लगे हाथ वायु की ताकत का भी जरा जायजा ले लें तो उचित रहेगा। धड़ल्ले से चलने वाली ये पवन-चक्कियां प्रमाणित कर रही हैं कि बिजली पैदा करने तथा पानी उठाने का सबसे सस्ता उपाय है हवा। अकेले अमेरिका में ही पवन ऊर्जा से 1,500 मेगावाट बिजली धड़ल्ले से बन रही है। भारत में तो इसकी क्षमता 20 हजार मेगावाट तक है। न्यू मेक्सिको का एक छोटा-सा गांव है— क्लाइटोन। वहां विद्युत ऊर्जा का 15 प्रतिशत भाग केवल पवन चक्कियों से प्राप्त होता है। एल्युमिनियम के 18.3 मीटर के दो पटलों से बनी और प्रति मिनट 40 चक्कर लगाने वाली पवन चक्की 200 किलोवाट बिजली पैदा कर सकती है। पंपिंग पद्धति हो या बिजली के जेनरेटर हों, सिंचाई का काम हो या कुओं से जल-संग्रहण का; विद्युत उत्पादन हो या पवन चक्कियों का निर्माण—हवा सब जगह सहायक है। गुजरात में लाम्बा नामक स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट चालू किया गया है जिसमें हवा की 50 टरबाइनें 200 किलोवाट बिजली उत्पन्न करती हैं। इनमें से किसी भी काम से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। देश में इस समय 5 पवन फार्म हैं जिनकी क्षमता 3.63 मेगावाट है और जो 45 लाख ऊर्जा इकाईयां तैयार करते हैं।

पानी में कितनी ताकत है, इसका तो अंदाज लगाना भी कठिन है। भाखरा-नांगल, दामोदर घाटी, हीराकुंड और चम्बल घाटी परियोजनाओं ने देश के विकास का नक्शा ही बदल कर रख दिया। बांध बनाकर जलप्रवाह रोकना और तेज गति से गिरने के साथ बिजली का उत्पादन—यह एक ऐसी मुंह बोलती सफलता है जो हमें ऊर्जा संकट से मुक्त कर सकती है। भारत में न पानी की कमी है, न हवा की, न धूप का अभाव है और न बायोगैस का— अर्थ स्पष्ट है। ऊर्जा संकट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारा देश पूरी तरह सक्षम है।

धरती भीतर से बहुत गर्म है। इसमें जगह-जगह पर गर्म पानी की धारा या सूखी भाप की तेज धार फूटती रहती है। इस ताप को यदि ऊर्जा में बदल दिया जाए तो हजारों वर्षों तक ऊर्जा की समस्या सुलझ सकती है। पृथ्वी के तल में स्थित उच्चतापीय चट्टानों में लगभग 30 लाख मेगावाट विद्युत क्षमता वाली ऊर्जा मौजूद है।

'गोबर गणेश' कहकर किसी का मजाक भले ही उड़ा लो पर आज गोबर ने सिद्ध कर दिया है कि उसकी क्षमता का यानी बायोगैस का यदि पूरी तरह दोहन किया जाए तो देश में ऋद्धि-सिद्धि आ सकती है। कृषक अत्यंत उपयोगी गोबर खाद के उपले बनाकर चूल्हा जलाकर खाना पकाते हैं। यदि खाना पकाने में बायोगैस का उपयोग किया जाए तो प्रतिवर्ष 13.3 करोड़ टन लकड़ी की बचत हो सकती है। गरीब परिवारों के पास न केरोसिन की सुविधा है और न रसोई गैस की; उनके चूल्हों का ग्रास तो जंगल की लकड़ियां ही बनती आई हैं। चूल्हे की इस भूख ने हजारों वर्ग किलोमीटर के जंगल साफ कर दिए। नतीजा यह हुआ कि उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों के तलों में जम गई; फसलें चौपट हो गईं; वर्षा के बादल रूठ गए और पर्यावरण का जायका ही बिगड़ गया। गोबर प्राथमिक ऊर्जा का मुख्य स्त्रोत है। यदि बायोगैस को काम में लिया जाए तो कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा बचेगी; वनों का संरक्षण होगा और तेल का आयात कम करना होगा। सौभाग्य से भारत में 20 करोड़ टन बायोगैस उपलब्ध है। इतनी गैस से 10.5 करोड़ टन फाइरोलाइल्ड ईंधन प्राप्त हो सकता है जो 27.5 करोड़ बैरल तेल के बराबर है। बायोगैस संयंत्र रसोई के लिए गैस, खेत के लिए खाद तथा घरों के लिए विद्युत जैसे कार्य में एक साथ सहयोग दे सकते हैं। अब तो गांव-गांव में ये संयंत्र लगाए जा रहे हैं। गैसचालित लैंप रात को दूधिया उजाला देते हैं। इससे बिजली की भरपूर बचत होती है। गैसचालित डीजल इंजनों की मदद से चाहे कुओं से पानी निकालो या आटे की चक्कियां चलाओ; कुही की मशीन या थ्रेशर संचालित करो अथवा बिजली बनाओ; बायोगैस से यह सब संभव है। राजस्थान में लोहे के ड्रम वाले तथा डोम वाले दो प्रकार के संयंत्र लगाए जा रहे हैं। बायोगैस से जलने वाले चूल्हे न धुआं फेंकते हैं और न पर्यावरण प्रदूषित करते हैं। महिलाओं को आंखों और फेफड़ों की जो बीमारियां होती हैं उनसे भी मुक्ति सहज मिल जाती है। जिसके घर में दो-तीन मवेशी हों वहां गोबर गैस-संयंत्र के माध्यम से तीन-चार व्यक्तियों का खाना आसानी से पक सकता है। सन् 1981-82 के मध्य देश में 'नेशनल प्रोजेक्ट फॉर बायोगैस डिवेलपमेंट' की स्थापना हुई। कालांतर

में भारत सरकार ने 1983 में उन्नत चूल्हों का जो अभियान चलाया उसका प्रभाव यह हुआ कि एक उन्नत चूल्हे ने प्रतिवर्ष 700 किलोग्राम लकड़ी बचाना शुरू किया। इससे ऊर्जा की बचत हुई; रसोईघर से धुएं की हमेशा के लिए विदाई हो गई; ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार संभावनाएं बढ़ीं और विज्ञान घर-घर में पहुंचा। एक उन्नत चूल्हे का अर्थ है 10 पेड़ों को कटने से बचाना, यानी 30 लाख टन लकड़ी की बचत। ईंधन भी अन्य चूल्हों के मुकाबले केवल 1/3 लगता है।

बायोगैस के माध्यम से जो खाद उपलब्ध होती है उससे हम रासायनिक खाद के खतरों से बच सकते हैं। पशुओं का मल-मूत्र मिलकर पर्यावरण को दूषित करता है लेकिन इसका उपयोग गोबर गैस बनाने में किया जाए तो प्रदूषण का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। गोबर के साथ सब्जियों के पत्ते, जलकुंभी तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थ भी गैस बनाने में सहायक होते हैं। गोबर के उपले बनाने की जगह यदि उनसे गैस बनाई जाए तो प्रतिवर्ष कई लाख लीटर केरोसिन की बचत हो सकती है और केरोसिन से होने वाला वायु प्रदूषण भी रुक सकता है। गोबर गैस में 55-60 प्रतिशत मीथेन गैस होती है जो जहरीली नहीं होती। आज देश में लगभग 20 लाख गोबर गैस-संयंत्र क्रियाशील हैं जो खाना पकाने, खाद आपूर्ति करने तथा प्रदूषणरहित पर्यावरण बनाए रखने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

पर्यावरण की रक्षा और सस्ती वैकल्पिक ऊर्जा — दोनों ही दृष्टियों से देखा जाए तो प्रकृति ने हमें और भी कई साधन उपलब्ध करवाए हैं। इनमें भू-तापीय ऊर्जा, ज्वालामुखी से प्राप्त ऊर्जा, ज्वार-भाटे से शक्ति का उद्गम तथा कूड़े-करकट से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सम्मिलित है। धरती भीतर से बहुत गर्म है। इसमें जगह-जगह पर गर्म पानी की धारा या सूखी भाप की तेज धार फूटती रहती है। इस ताप को यदि ऊर्जा में बदल दिया जाए तो हजारों वर्षों तक ऊर्जा की समस्या सुलझ सकती है। पृथ्वी के तल में स्थित उच्चतापीय चट्टानों में लगभग 30 लाख मेगावाट विद्युत क्षमता वाली ऊर्जा मौजूद है। इंसान इस फिराक में लगा है कि ज्वालामुखी के लावे को इस प्रकार काम में लाया जाए कि वे विद्युतमुखी बन जाएं। कच्छ, कैम्बे और हुगली के मुहाने पर आने वाले ज्वार से प्रति घंटा 4,560 किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है। ज्वार-भाटे की ऊर्जा का तापीय रूपांतरण किया है। इसे अमोनिया के नलों द्वारा समुद्र तल में ले जाया लाया जाता है। वहां पर वाष्पित होकर यह गैस में बदल जाती है और गैस टरबाइनों द्वारा शहरों में विद्युतीकरण के काम में आती है।

भारत सरकार के गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय द्वारा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों, जैसे — सौर लालटेन, एस.पी.वी. स्ट्रीट लाईट, एस.पी.वी. जल पंप, सौर जल तापक, सामुदायिक बायोगैस प्लांट एवं व्यक्तिगत बायोगैस प्लांट को देश की विभिन्न प्रांतीय सरकारों के माध्यम से सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इन सस्ते गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों का उपयोग करके प्रदूषण रूपी राक्षस से छुटकारा पाएं तथा विश्व एवं राष्ट्रीय अर्थतंत्र की आवश्यकतापूर्ति में सहयोगी सिद्ध हों।

कुल मिलाकर बात यह है कि ऊर्जा के ये गैर-परंपरागत साधन सब प्रकार से प्रदूषणमुक्त हैं। इनका प्रयोग करें तो न भोपाल गैस त्रासदी जैसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं और न चेरनोबिल जैसी त्रासदियां। समुद्र में तेल के फैलाव से होने वाली विभीषिकाएं टल सकती हैं; जंगलों का विनाश रुक सकता है; जलवायु शुद्ध रह सकती है; कारखानों के अपशिष्ट से जल को बचाया जा सकता है और इंसान के भविष्य को सहज सुरक्षित किया जा सकता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम ऊर्जा के इन वैकल्पिक साधनों को अधिक से अधिक अपनाएं। ऐसा हुआ तो हजारों वर्षों तक ऊर्जा संकट जैसी समस्या हमारे सामने नहीं आएगी और प्रकृति भी प्रदूषणमुक्त रहेगी। ❑

(स्वतंत्र लेखक)

(पृष्ठ 30 का शेष)

नैनो मेट्रोलॉजी

नैनो टेक्नोलॉजी का संबंध माप विज्ञान से जुड़ा है। आज सारी दुनिया माइक्रो स्तर (10^{-6} स्तर) की मापन व्यवस्था में परिपूर्ण है तथा इस स्तर पर आसानी से कार्य किया जा रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी के विकास ने नैनो मेट्रोलॉजी के लिए भी नया द्वार खोल दिया है, क्योंकि मापन व्यवस्था में मानक का विकास होने पर ही सही-सही माप-तौल की जा सकती है। चाहे कोशिका की लंबाई हो या मस्तिष्क के विद्युतीय/चुंबकीय क्षेत्र का मापन, जो अत्यंत सूक्ष्म होता है — इन सभी को मापने के लिए मानक आवश्यक है।

भविष्य में वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी संबंधी विकास का यह एक अग्रणी क्षेत्र है। नैनो टेक्नोलॉजी से विज्ञान संबंधी समस्याओं को सही तरीके से समझने के साथ-साथ उसके समाधान में भी मदद मिल सकती है। यह आज के वैज्ञानिक युग की मांग बनती जा रही है तथा इसका विकास अवश्यंभावी है। ❑

(लेखक नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला से संबद्ध हैं।)

एड्स का फैलता घातक जाल

○ सत्यपाल मलिक

एड्स मनुष्य की उस हालत को कहते हैं जिसमें शरीर की बीमारियों से लड़ने की शक्ति बिल्कुल कम या समाप्त हो जाती है और मनुष्य को कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं और जानलेवा बन जाती है। एच.आई.वी. या ह्यूमन इम्यूनों डेफिशिएंसी वायरस (विषाणु) एड्स का कारण है। एच.आई.वी. उस विषाणु को कहते हैं जो इंसानों के अंदर बीमारी से बचाने वाली ताकत को धीरे-धीरे कम कर देता है।

एच.आई.वी./एड्स महामारी ज्यादा पुरानी नहीं है। सबसे पहले एड्स के मरीज के बारे में 1981 में अमेरिका तथा 1986 में भारत में पता चला था। परंतु इस छोटी-सी अवधि में यह महामारी ऐसी तेज गति से फैली है कि पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन गई है। इसके घातक जाल से कोई महाद्वीप, कोई देश और कोई समुदाय बच नहीं सका है। आज एच.आई.वी./एड्स मानवजाति के लिए उत्पन्न सबसे बड़े खतरों में से एक है। अब तक चार करोड़ 30 लाख लोग एड्स की चपेट में आ चुके हैं जिनमें से लगभग एक करोड़ 40 लाख काल के मुंह में जा चुके हैं। इनमें से अधिकतम विकासशील देशों से हैं। प्रतिदिन लगभग 16000 नए लोग एच.आई.वी. से संक्रमित हो रहे हैं। अधिक चिंता की बात यह है कि इनमें से पचास प्रतिशत लोग 24 वर्ष से कम आयु के हैं। एच.आई.वी./एड्स से आर्थिक रूप से उत्पादक वर्ग अधिक प्रभावित होने के कारण यह केवल एक जन स्वास्थ्य चुनौती ही नहीं, यह एक सामाजिक एवं आर्थिक चुनौती भी है।

हमारे देश की लगभग आधी आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है। युवाओं को खतरे का अर्थ है आधे देश को खतरा। उपलब्ध आंकड़ों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि एच.आई.वी. देश के लगभग सभी भागों में व्याप्त है। परंतु 6 राज्यों में इस रोग का प्रसार सर्वाधिक है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, नागालैंड और मणिपुर। इन राज्यों में एक प्रतिशत जनसंख्या एच.आई.वी. संक्रमित है। लोगों की आदतों एवं व्यवहार के कारण हाल के वर्षों में एच.आई.वी./एड्स शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों तथा जोखिम का आचरण करने वाले व्यक्तियों से सामान्य जनसंख्या में फैला है। वर्ष 2000 के मध्य की स्थिति के अनुसार देश में एच.आई.वी. संक्रमणों की कुल संख्या 38 लाख 60 हजार है। एशिया के कुछ चुनिंदा देशों में वयस्क एच.आई.वी.

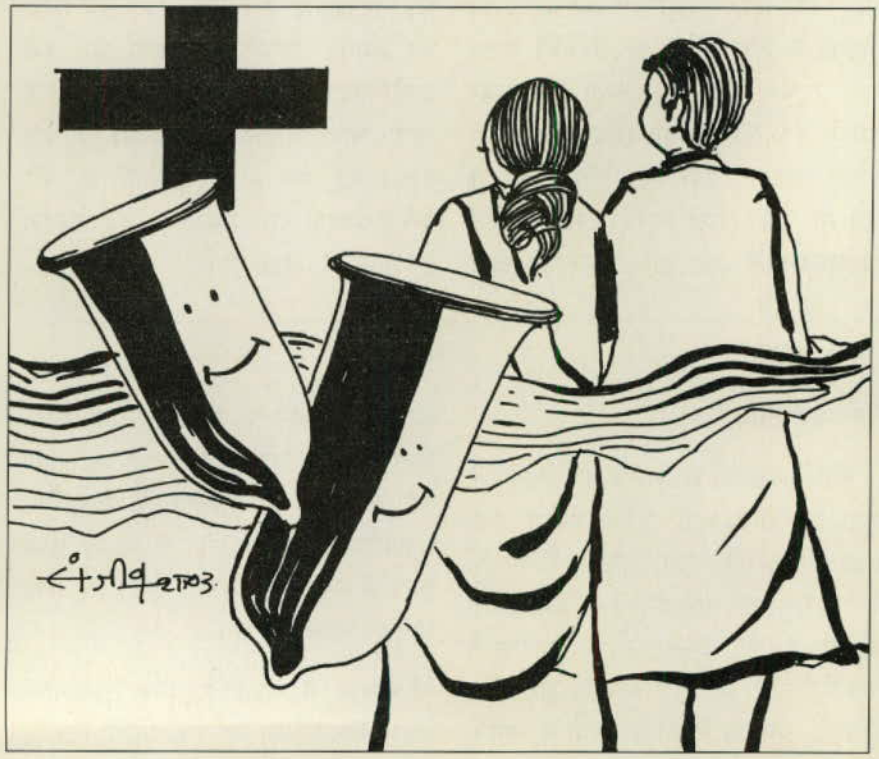

व्याप्तता दर (15-49 वर्ष) तथा उनमें भारत की स्थिति इस प्रकार है:

कुछ चुनिंदे देशों में एच.आई.वी. की मापता दर (15-49 वर्ष)

कंबोडिया	2.77
म्यांमार	1.99
थाईलैंड	1.85
भारत	0.75
मलेशिया	0.36
नेपाल	0.30
वियतनाम	0.29
पाकिस्तान	0.10
इंडोनेशिया	0.09
श्रीलंका	0.07
चीन	0.08
भूटान	0.01

वास्तव में एड्स या एक्वायर्ड इम्यूनों डेफिशिएनसी सिंड्रोम एक बीमारी नहीं है। बल्कि यह बीमारियों से न बच पाने या न लड़ पाने की दशा है। एड्स शब्द में ए का अर्थ एक्वायर्ड अर्थात किसी व्यक्ति से प्राप्त या मिला हुआ होता है तथा यह आनुवंशिक वंश से प्राप्त नहीं होता है। आई.डी., इम्यूनो डेफिशिएंसी का द्योतक है, जिसका अर्थ प्रतिरक्षक तंत्र द्वारा रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता नष्ट होना या कम होना होता है। एस. सिंड्रोम लक्षणों के समूह को कहते हैं। अत: एड्स मनुष्य की उस हालत को कहते हैं जिसमें शरीर की बीमारियों से लड़ने की शक्ति बिल्कुल कम या समाप्त हो जाती है और मनुष्य को कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं और जानलेवा बन जाती है। एच.आई.वी. या ह्यूमन इम्यूनों डेफिशिएंसी वायरस (विषाणु) एड्स का कारण है। एच.आई.वी. उस विषाणु को कहते हैं जो इंसानों के अंदर बीमारी से बचाने वाली ताकत को धीरे-धीरे कम कर देता है। यह वायरस अत्यंत छोटा, बाल से 1000 गुना पतला होता है। तथा देखने में एक गोल मुड़ी साही की तरह लगता है। एच.आई.वी. दो प्रकार के होते हैं—एच.आई.वी.-1 तथा एच.आई.वी.-2। एच.आई.वी.-2 से संक्रमित व्यक्ति, एच.आई.वी.-1 की अपेक्षा अधिक समय तक जीते हैं। भारत में एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों में से अधिकांश (88 प्रतिशत) एच.आई.वी.-1 द्वारा संक्रमित है। जिसके शरीर में एच.आई.वी. प्रवेश कर जाते हैं उसे एच.आई.वी. पॉजीटिव या एच.आई.वी. संक्रमित (ग्रसित) कहते हैं।

एच.आई.वी. हमारे शरीर में पाए जाने वाले श्वेत रक्त कोषाणु (व्हाइट ब्लड सेल्स) को अपना निशाना बनाता है। ये कोषाणु हमारे शरीर के सुरक्षा-तंत्र हैं जो रोग के कीटाणुओं के शरीर में प्रवेश करते ही उन पर हमला बोल देते हैं और बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। यही कारण है कि हम हमेशा बीमार नहीं रहते। एच.आई.वी. श्वेत रक्त कोषाणुओं की ओर आकृष्ट होता है। यह इन कोषाणुओं के अंदर प्रविष्ट होकर इस कोषाणु के केंद्र में मौजूद उत्पत्तिमूलक पदार्थ का प्रयोग करते हुए यह शरीर में अपनी तरह के वायरस कण बनाता है। जब शरीर में बहुत कम कोषाणु रह जाते हैं तब उसे 'एड्स केस' मानते हैं। इस तरह प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली के नष्ट होने से धीरे-धीरे मनुष्य अन्य बीमारियों से अपना बचाव करने में असमर्थ हो जाता है और निमोनियां, क्षय रोग, कैंसर इत्यादि रोगों से ग्रस्त होकर अन्त में मृत्यु के मुंह में चला जाता है।

क्योंकि एच.आई.वी. के शरीर में प्रवेश करने तथा एड्स होने में लगभग 5 से 10 वर्ष तक का समय लग सकता है इसलिए एच.आई.वी. मौजूद होते हुए भी लोग नितांत स्वस्थ महसूस करते हैं और दिखते हैं तथा एक सामान्य व्यक्ति की तरह काम कर सकते हैं। चेहरा देखने से एक एच.आई.वी. व्यक्ति को हीं पहचाना जा सकता। केवल खून की जांच से ही एच.आई.वी. होने का पता चल सकता है। इस तरह एच.आई.वी. संक्रमित लोग दिखते तो स्वस्थ हैं पर एच.आई.वी. होता है और वे जाने-अनजाने में इस विषाणु को फैला सकते हैं। यह देखने में आ रहा है कि जोखिम भरा व्यवहार करने वाले लोग इसे दूसरों को दे रहे हैं पतियों से यह बीमारी पत्नियों तक पहुंच रही है और माताओं से बच्चों को। इस तरह एड्स का आतंक तेजी से फैल रहा है।

कारण

एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक एच.आई.वी. के पहुंचने के मुख्य रूप से चार रास्ते हैं। पहला जरिया है किसी एच.आई.वी. मौजूद व्यक्ति के साथ असुरक्षित सेक्स से। एड्स फैलाने का यह सर्वाधिक सामान्य तरीका है। इस तरीके द्वारा संसार के 80 प्रतिशत लोग संक्रमण प्राप्त करते हैं। एच.आई.वी. बिना शुद्ध की गई सिरिंजों तथा सुईयों से भी फैल सकता है। कई बार बिना उबाले सिरिंजों और सुईयों का प्रयोग किया जाता है। अगर इनका प्रयोग पहले किसी एच.आई.वी. मौजूद व्यक्ति ने किया है तो विषाणु दूसरों में प्रवेश कर सकता है। प्रयोग की गई सिरिंजों तथा सुई में अति सूक्ष्म रक्त की बूंद शेष रह सकती है। यह संक्रमित रक्त, एच.आई.वी. को सीधे व्यक्ति के रक्त प्रवाह में पहुंचा सकता है। दूषित सूईयों के जरिए एच.आई.वी. को फैलाने का ज्यादा खतरा नशीली दवाएं इस्तेमाल करने वालों को होता है। कुछ इंटरवीनस सुई से नशा लेने वाले नशेबाज जो हेरोइन लेते हैं, वे कम खर्च के ख्याल से सिरिंजों तथा सुइयां बिना शुद्ध किए साझेदारी में अन्य नशेबाजों के साथ इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की साझेदारी में यदि कोई हेरोइन लेने वाला, एच.आई.वी. से संक्रमित है तो संक्रमण भी दूसरे नशेबाजों में फैल सकता है। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसे मामलों की अधिक व्यापकता है, तथापि देश के अनेक भागों

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

देश में एड्स के पहले रोगी का 1986 में पता लगने के तुरंत बाद राष्ट्रीय एड्स समिति का गठन किया गया तथा 1987 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसका जोर एचआईवी/एड्स की जागरूकता बढ़ाने, रक्त में एचआईवी की जांच करने और जोखिमपूर्ण व्यवहार करने वाले व्यक्तियों की जांच करने पर था। इस कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन 1992 में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 'राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन' (नेको) की स्थापना की गई। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का प्रथम चरण मार्च 1999 तक चला। प्रथम चरण का उद्देश्य था एचआईवी संक्रमण को रोकना, एचआईवी संक्रमणों से होने वाली रूग्णता दर तथा मृत्युदर में कमी लाना और एचआईवी संक्रमण से उत्पन्न हो रहे सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को कम से कम करना। इस परियोजना में पांच घटक निहित हैं—(i) एचआईवी/एड्स से निवारण और नियंत्रण की प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ करना; (ii) सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण कार्यक्रम के जरिए जन-जागरूकता को बढ़ाना; (iii) रक्त निरापादता एवं रक्त के विवेकपूर्ण इस्तेमाल में सुधार करना; (iv) निगरानी एवं नैदानिक प्रबंधन क्षमता का निर्माण करना और (v) यौन-संचारित रोगों का नियंत्रण करना।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-2 अप्रैल, 1999 से राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों के माध्यम से संपूर्ण देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम घटकों के कार्यान्वयन के लिए सोसाइटियों को पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया गया है। राज्यों को उनके द्वारा भेजी गई योजना के आधार पर राशि उपलब्ध कराई जाती है। कार्यक्रम की मोनीटरिंग के लिए कंप्यूटरीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित की गई है। एचआईवी/एड्स निवारक और नियंत्रण पर संदेश प्रसारित करने के लिए दूरदर्शन और निजी सेटेलाइट चैनल का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। इनमें यौन संचारित रोगों, रक्त निरापादता, युवा और स्वैच्छिक रक्त दान पर संदेश सम्मिलित हैं। लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम 'जियो और जीने दो' कई केंद्रों से प्रसारित किया जा रहा है। शहरी युवकों तक संदेश पहुंचाने के लिए मनोरंजन और शिक्षा को मिश्रित करने के लिए लोकप्रिय एमएफ चैनलों का उपयोग किया जा रहा।

'स्कूल एड्स शिक्षा कार्यक्रम' के तहत युवा विद्यार्थियों को अपनी जागरूकता का स्तर बढ़ाने, युवाओं पर दबाव कम करने में मदद पहुंचाने और सुरक्षित तथा जिम्मेदार जीवन का तरीका विकसित करने पर बल दिया जाता है। यह कार्यक्रम परिवार के मूल्यों को सुदृढ़ बनाता है और महिलाओं और पुरुषों को एक-दूसरे के प्रति सम्मान करना सिखाता है। इन कार्यकलापों में अध्यापकों तथा समकक्ष शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, भूमिका निभाना वाद-विवाद तथा चर्चा, प्रश्न बाक्स तथा रेफरेल सेवाओं तक पहुंच, यदि आवश्यक हो तो, सम्मिलित है। दृष्टिकोण में एकरूपता लाने की दृष्टि से 'लर्निंग फार लाइफ' के नाम से मापदंड तैयार किया गया है और सभी राज्यों को वितरित किए गए हैं। आम जनता में इस समस्या के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 1 दिसम्बर को देश भर में विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है।

एचआईवी/एड्स से संबंधित विषयों पर सूचना और परामर्श उपलब्ध कराने हेतु एक नि:शुल्क राष्ट्रीय एड्स टेलीफोन हैल्प लाइन स्थापित की गई है। यह कम्प्यूटरीकृत 4 अंकों की संख्या 1097 है जिसमें वाइस रेस्पोंस प्रणाली है जो टेलीफोन लाइन से जुड़ी है। यह बहुत लोकप्रिय सेवा है क्योंकि यह टेलीफोन करने वाले व्यक्ति की गोपनीयता बनाए रखती है और उसके संदेह को स्पष्ट करने में मदद करती है तथा गोपनीयता रखते हुए उसे परामर्श देती है। देश भर के 77 शहरों और नगरों में हैल्प लाइन संख्या 1097 कार्य कर रही है।

देश में एचआईवी/एड्स के रोगियों की बढ़ती हुए संख्या से एचआईवी/एड्स से ग्रस्त लोगों के लिए सेवाएं प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है। नेको ने कुछ सामुदायिक परिचर्चा केन्द्र शुरू किए हैं। ये केंद्र एचआईवी/एड्स के रोगियों की परिचर्चा में शरण, पोषण, नर्सिंग, परिचर्चा, मनोरंजन की सुविधाएं, आध्यात्मिक प्रवचन, रेफरेल सेवाएं और परिवारों और समुदाय आधारित संगठनों को संगत प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

विशेषरूप से शहरी क्षेत्रों में इंजेक्शन द्वारा नशीली औषधों के इस्तेमाल के जरिए एच.आई.वी. फैल रहा है। एड्स फैलाने का अन्य कारण है — दूषित खून चढ़ाना। कई बार बिना परीक्षण किए रक्त चढ़ा दिया जाता है। यदि इस रक्त में एच.आई.वी. है तो विषाणु शरीर में प्रवेश कर जाता है। यद्यपि खून के जरिए रोग का संचरण 1992 में 8 प्रतिशत से कम होकर 4 प्रतिशत पर सीमित है फिर भी यह एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि असंदेही जनसंख्या इस जरिए से संक्रमित हो सकती है यदि निरापाद रक्त सुनिश्चित नहीं किया जाता। उच्चतम न्यायालय के मई 1996 के निर्देश से मई 1997 तक गैर-लाइसेंसशुदा रक्त बैंकों और दिसम्बर 1997 तक पेशेवर रक्तदाताओं को क्रमिक रूप से समाप्त करने में मदद मिली है। सिफिलिस, मलेरिया और हेपेटाइटिस-बी और सी के साथ एच.आई.वी. के लिए रक्त की अनिवार्य जांच से रक्तदान के जरिए एच.आई.वी. वाइरस के संचरण को रोकने में मदद मिली है। संक्रमित मां से जन्म लेने वाले 30 प्रतिशत स्थितियों में जन्म लेने वाले शिशु में विषाणु पहुंचने की संभावना होती है। एच.आई.वी. पोजीटिव माताओं के गर्भ से जन्म लेने वाले शिशु जन्म से पूर्व भ्रूण में, प्रसव के दौरान तथा कभी मां के दूध द्वारा संक्रमण पा सकते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि प्रसव पूर्व क्लिनिकों में आने वाली अधिक से अधिक महिलाएं एच.आई.वी. पॉजीटिव पाई जा रही हैं जिससे प्रसवकालीन संचरण में वृद्धि हो रही है।

यौन संचारित रोग (एस.टी.डी.) भी एच.आई.वी. का खतरा बढ़ाते हैं। अगर किसी को एस.टी.डी. है तो उसे एड्स होने का खतरा 8 से 10 गुना बढ़ जाता है। एस.टी.डी. रोगियों के जनानांगों में फोड़े-फुंसियों आदि के कारण खाल कटी होती है। इन रास्तों के जरिए एच.आई.वी. उनके शरीर में और भी आसानी से प्रवेश कर सकता है। भारत में हालांकि महिलाओं में एस.टी.डी. की उच्च व्यापकता है तथापि इस रोग से जुड़े सामाजिक कलंक के कारण इसे छिपाया जाता है।

एच.आई.वी. सामान्य-संपर्क द्वारा नहीं फैलता। सामान्य संपर्क जैसे — छूने, हाथ मिलाने, भीड़ में शरीर छूने, हाथ पकड़ने या साथ कार्य करने अथवा खेलने से। अत: हमें अपने दैनिक कार्यों के लिए चिन्ता की आवश्यकता नहीं। एच.आई.वी./एड्स होना इतना भी आसान नहीं है। अन्य सामान्य बीमारियों की तरह यह हवा, भोजन या पानी से नहीं फैलता। यह विषाणु शरीर के बाहर अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकता। हमारे शरीर में जब संक्रमित व्यक्ति का शारीरिक स्राव प्रविष्ट हो, केवल तभी हम एच.आई.वी. से संक्रमित हो सकते हैं। वास्तव में बिना हमारे बुलाए एच.आई.वी. का आना मुश्किल है। और बुलाना या न बुलाना हमारे हाथों में है। अर्थात हमारी लापरवाही तथा जोखिम भरे व्यवहार के कारण ही हम इसके शिकार हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्ति को काटने वाले मच्छर से काटे जाने पर कोई जोखिम नहीं। मच्छरों द्वारा एच.आई.वी. फैलाने का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं मिलता। मच्छर केवल रक्त चूसते हैं, शरीर में रक्त नहीं छोड़ते। मलेरिया पैरासाइट की तरह एच.आई.वी. मच्छर के अंदर जीवित नहीं रह सकता।

एच.आई.वी./एड्स होना इतना भी आसान नहीं है। अन्य सामान्य बीमारियों की तरह यह हवा, भोजन या पानी से नहीं फैलता। यह विषाणु शरीर के बाहर अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकता। हमारे शरीर में जब संक्रमित व्यक्ति का शारीरिक स्राव प्रविष्ट हो, केवल तभी हम एच.आई.वी. से संक्रमित हो सकते हैं। वास्तव में बिना हमारे बुलाए एच.आई.वी. का आना मुश्किल है। और बुलाना या न बुलाना हमारे हाथों में है।

एच.आई.वी./एड्स का एक चिंताजनक पहलू यह है कि यह जानलेवा है तथा अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। अभी तक इस विषाणु के उन्मूलन के लिए टीके को विकसित करने में सफलता हमारे हाथ नहीं लगी है। हाल ही के समाचार के अनुसार एड्स के बचाव के लिए विकसित पहला टीका परीक्षण के दौरान कारगर साबित नहीं हो सका है। वैक्सजैन दवा कंपनी के अध्यक्ष डॉ. डोनाल्ड फ्रांसिस ने वाशिंगटन में संवाददाता सम्मेलन में कहा — 'कुल मिला कर परीक्षण विफल रहा।' एड्स वैक्स नाम के टीके का 5400 लोगों पर परीक्षण किया गया। टीके से एच.आई.वी. संक्रमण की दर में मात्र 3.8 प्रतिशत कमी पाई गई। काफी अनुसंधान के बाद समृद्ध देशों ने इस आशय के उपाय भी ढूंढ निकाले हैं कि किस प्रकार एंटी-रेट्रैवाइरल ड्रग्स को दे कर इस विषाणु से ग्रस्त व्यक्तियों के जीवनकाल को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये औषधियां अत्यंत महंगी हैं तथा अधिकांश एड्स रोगियों की पहुंच के बाहर है। फिर इस तरह की चिकित्सा का कोई समय निश्चित भी नहीं है कि यह कब तक चलती रहेगी। अत: जब तक एड्स के नियंत्रण के लिए कोई प्रभावी टीका विकसित नहीं होता, जागरूकता के माध्यम से रोकथाम के उपाय ही एच.आई.वी./एड्स का एकमात्र उपचार है।

भारत में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको), राज्य सरकारों तथा गैर सरकारी संगठनों इत्यादि द्वारा वर्षों से प्रसारित की जा रही सूचनाओं एवं शैक्षिक तथा संचार

कार्यक्रमों के सकारात्मक नतीजे निकले हैं। शहरी और ग्रामीण इलाकों में अनेकानेक लोग अब एच.आई.वी./एड्स तथा असुरक्षित यौन संबंधी और संक्रमित सुइयों से फैलने वाले खतरों के प्रति जागरूक हो गए हैं। भारत सरकार द्वारा 2000-01 में किए गए विभिन्न राज्यों के व्यवहार संबंधी सर्वेक्षण से पता चला है कि लोगों में एच.आई.वी./एड्स के बारे में समग्र जागरूकता प्रजनक आयु समूह (15-49 वर्ष) में 76 प्रतिशत पुरुषों में 82 प्रतिशत और महिलाओं में 70 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्रों में 77.3 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 89.4 प्रतिशत प्रत्यर्थियों ने एड्स के बारे में सुन रखा था। तथापि, ग्रामीण महिलाओं में बिहार (21.5 प्रतिशत), गुजरात (25 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (27.6 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (32.2 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल में (38.6 प्रतिशत) निम्नता जागरूकता दर दर्ज की गई। देश में आधे से अधिक प्रत्यार्थियों (57 प्रतिशत) को यह जानकारी थी कि एक ही विश्वसनीय और गैर-संक्रमित भागीदारी एच.आई.वी./एड्स के संचरण को रोक सकता है। तथापि, अभी काफी कार्य किया जाना बाकी है। अभी निरक्षरों और ऐसे व्यक्तियों जिन्हें एड्स-संक्रमण का खतरा सर्वाधिक हो सकता है, तक पहुंच बनानी है। यद्यपि एड्स जागरूकता बढ़ी है परंतु उस अनुपात में सुरक्षित व्यवहार के रूप में उसे अमल में नहीं लाया गया। यही कारण है कि एड्स का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। एड्स नियंत्रण का आशय व्यक्ति की जीवनशैली में कुछ आवश्यक बदलाव लाने से है ताकि वह स्वयं के प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपने समाज के प्रति जिम्मेदार और रक्षाशील बन सके। व्यवहार और सोच में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें अपने भारतीय नैतिक मूल्यों को अपनाने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त परिवार तथा समुदाय के लोगों का संक्रमित व्यक्तियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बदलने की भी आवश्यकता है। अधिकांश एड्स रोगी किशोर, व्यस्क हैं जो फुर्तीले, ऊर्जा से भरपूर, जीवन के प्रति उत्साहित थे। अब कईयों का जीवन भयपूर्ण तथा थकाने वाला हो चुका है। बहुत से व्यक्तियों ने जीवन की आशा छोड़ दी है, उन्हें समुदाय, मित्रों तथा परिवार से सहायता तथा सहयोग नहीं मिलता। कई किशोर व्यस्क अनजाने में जोखिमपूर्ण व्यवहार के कारण एच.आई.वी. संक्रमित हो जाते हैं। अत: उन्हें दूसरों द्वारा देख-रेख तथा सहायता की बहुत आवश्यकता होती है। एच.आई.वी. से प्रभावित व्यक्ति के साथ वही स्नेह और हमदर्दी रखने की आवश्यकता है जो किसी अन्य लाईलाज बीमारी के रोगी के साथ रखी जाती है क्योंकि एड्स अपनेपन से नहीं फैलता। ❑

(लेखक क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी हैं।)

(पृष्ठ 28 का शेष)

कितने कर्मचारियों के लिए स्थान है। भारत में इस समय कॉल सेंटरों की अलग-अलग सेवाओं के आधार पर 12 से 20 डॉलर तक प्रति सीट प्रति घंटे का भुगतान किया जाता है। नॉसकाम के द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार 100 सीटों के एक कॉल सेंटर से 5 से 8 करोड़ रुपये तक का मासिक राजस्व (आय) प्राप्त हो सकता है।

संचालन-लागत

भारत में कॉल सेंटर की संचालन-लागत 7 से 8 डालर प्रति सीट प्रति घंटा है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में यही लागत 22 डॉलर प्रति सीट प्रति घंटा है।

निष्कर्ष

नासकॉम, मैकिन्सी रिपोर्ट में भारत में कॉल सेंटर के विकास की अच्छी संभावनाओं की ओर ध्यान दिलाया है। यद्यपि भारत में अभी संचार लागत उच्च है परंतु इस क्षेत्र में मुख्य लाभ उसकी निम्न श्रमिक लागत है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में भारत के लिए एक लाभ यह भी है कि भारत में स्थानीय स्तर पर कॉल सेंटरों के लिए सॉफ्टवेयर सोल्यूशन भी उपलब्ध है। यह देखकर भारत के बहुत से व्यावसायिक समूह (घराने) इसकी कार्य प्रणाली के बारे में बहुत कम ज्ञान होते हुए भी कॉल सेंटर व्यवसाय की ओर आकर्षित हुए हैं तथा अपना स्वयं का कॉल सेंटर स्थापित करने पर जोर दे रहे हैं। अत: भारत में निकट भविष्य में कॉल सेंटर एक लाभ का व्यवसाय बन सकता है। इसकी भावी रोजगार क्षमता तथा लाभ को देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह व्यवसाय उपयोगी बन सकता है। परंतु इसके विकास के लिए दक्षता तथा गुणवत्ता के उच्च स्तर की आवश्यकता है। अर्थात उच्च गुणवत्ता वाले बड़ी मात्रा में भौतिक तथा मानव पूंजी निवेश की आवश्यकता है क्योंकि ज्यादातर विकसित (औद्योगिक) देशों विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्राहक किसी भी कॉल सेंटर की सेवा लेने से पहले वहां उपलब्ध सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण करते हैं अत: कॉल सेंटर उद्योग के विकास के लिए इन कॉल सेंटरों में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जैसे— कैफेटेरिया, रेस्ट रूम तथा उचित वर्क एरिया (कार्य क्षेत्र) आदि का उपलब्ध होना आवश्यक है। ❑

(लेखक दयालबाग (डीम्ड) विश्वविद्यालय, आगरा के अर्थशास्त्र एवं प्रबंधन विभाग में सीनियर लेक्चरर हैं।)

बालवाड़ियों ने शुरू किया सामाजिक परिवर्तन

○ नवीन पंत

उत्तराखंड सेवा निधि और पर्यावरण शिक्षा संस्थान (अल्मोडा) के मार्गदर्शन में उत्तरांचल में इन दिनों मौन क्रांति हो रही है। छुआछूत और जाति बंधन शिथिल हो रहे हैं और सामाजिक परिवर्तन आ रहा है। लोग मिट्टी और खेती से जुड़ रहे हैं। गांवों में शौचालय बनाए जा रहे हैं और साफ-सफाई की जा रही है। वृक्षारोपण के साथ-साथ पुराने वनों की रक्षा की जा रही है। औरतें संगठित होकर सरकारी कर्मचारियों को अपना काम करने पर बाध्य कर रही हैं।

पंद्रह वर्ष पहले जब अल्मोडा क्षेत्र में कुछ औरतों से प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में आकर पढ़ना-लिखना सीखने को कहा गया तो उनका उत्तर था—अब हमारे लिए यह सब बेकार है। यद्यपि समझाने-बुझाने पर उनमें से कुछ ने साक्षरता अभियान में सक्रिय भाग लिया तथापि औरतों की यह बात सेवा-निधि के निदेशक ललित पांडे को चुभ गई कि बच्चों के लिए कुछ किया जाना चाहिए। उन्होंने इस विषय पर काफी सोचा और लोगों से विचार-विमर्श किया। इस सोच और विचार-विमर्श के बाद उन्होंने पाठशाला जाने से पूर्व बच्चों की देख-रेख, साफ-सफाई, खेल-कूद और शिक्षा के लिए 'बालवाड़ी' शुरू करने का निश्चय किया।

भारत सरकार के शिक्षा विभाग की सहायता से 1987 में दो बालबाड़ियां शुरू की गईं। इससे पहले बालवाड़ियों की शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण, बालवाड़ियों की गतिविधियों के निर्धारण, स्थानीय जनता का सहयोग प्राप्त करने और बालवाड़ियों के माध्यम से महिला मंगल दलों की स्थापना के संबंध में काफी काम किया गया। बालवाड़ियों के संबंध में ये सिद्धांत निश्चित किए गए कि इनकी स्थापना उन्हीं गांवों में की जाएगी जो गांव इसकी स्थापना के लिए सहयोग देंगे। इनका प्रबंध एवं संचालन पूरी तरह गांव वालों द्वारा किया जाएगा।

पर्वतीय क्षेत्र की महिलाएं घर-गृहस्थी, ईंधन, चारे और खेती के काम में सुबह से शाम तक मरती-खपती रहती हैं। कुछ औरतें अपने छोटे बच्चों को पीठ पर बांधकर ले जाती हैं और कुछ ऐसे ही घर पर छोड़ जाती हैं।

बालवाड़ी ऐसे सभी बच्चों की देख-रेख करती हैं। वह उन्हें साफ-सुथरा रहने खेलने-कूदने, सीखने-सिखाने, पूछने-बताने की सुविधा और अवसर प्रदान करती हैं। बालवाड़ी में बच्चों को गीत और कहानियां

सुनाई जाती हैं। मिलकर काम करना, पौधे लगाना, मिट्टी, कागज आदि की सहायता से वस्तुएं बनाना सिखाया जाता है। बालवाड़ी कार्यक्रम का उद्देश्य खेल के माध्यम से शिक्षा देना है। बच्चों में शिक्षा के प्रति कौतुहल एवं रुचि जगाना है।

बालवाड़ी के असर से किस प्रकार गांवों का जीवन बदल रहा है इसका उदाहरण 'मलाण' गांव है। इस गांव में बेहद गंदगी रहती थी। मक्खियों का साम्राज्य था। बच्चे गांव के रास्ते में टट्टी-पेशाब करते थे। वे बालवाड़ी में बिना नहाए, मैले-कुचैले कपड़ों में आते थे। बालवाड़ी की शिक्षिकाएं उन्हें हर शनिवार को नौले (पानी का कुंड) में नहलाने, कपड़े धोने ले जाती थीं। लेकिन गांव वालों पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। इस समस्या से निपटने के लिए दस गांवों की शिक्षिकाओं, उनकी मार्गदर्शिका और कुछ अन्य औरतों ने मलाण गांव जाकर सफाई करने का निश्चय किया। एक रविवार को बीस-बाईस औरतों का एक दल दरातियां और बेलचे लेकर मलाण गांव पहुंचा। उन्होंने गांव के रास्ते में फैली हुई झाड़ियां काटीं, सड़कों की सफाई की, नौलों में जमा गंदगी और रुका पानी निकाला और गांव के बच्चों को नहलाया-धुलाया। उन्होंने संपूर्ण कूड़ा इकट्ठा करके गाड़ दिया। बाहर के लोगों को गांव की सफाई करते और बच्चों को नहलाते देख गांव के लोगों को शर्म आई और उन्होंने काफी संख्या में शामिल होकर स्वयं भी सफाई अभियान में भाग लिया। मलाण गांव के लोगों ने सफाई के महत्व को समझा और अब वह एक साफ-सुथरा गांव है। वहां के बच्चे नहा-धोकर साफ कपड़ों में बालवाड़ी आते हैं।

बालवाड़ी के असर से किस तरह जाति बंधन शिथिल हो रहे हैं और सामाजिक परिवर्तन हो रहा है इसका उदाहरण मैकुड़ा-लोहाकुड़ा गांव है। मैकुड़ा में ऊंची जातियों के और लोहाकुड़ा में अनुसूचित जातियों के लोग रहते हैं। बालवाड़ी में दोनों जातियों के बच्चे आते थे, लेकिन खाना नहीं लाते थे। बालवाड़ी की शिक्षिका ने इस बारे में गांव की महिलाओं को बहुत समझाया लेकिन बच्चों के साथ खाना नहीं भेजा गया। ऊंची जाति के बच्चे अनुसूचित जाति के बच्चों के साथ मिलकर कैसे भोजन कर सकते थे? अंत में शिक्षिका ने खाना न लाने पर बालवाड़ी को बंद करने की धमकी दी। गांव की औरतों को लगा कि अगर बच्चों के साथ खाना नहीं भेजा गया तो बालवाड़ी बंद कर दी जाएगी। बालवाड़ी बच्चों की अच्छी देखभाल कर रही थी। उनके उज्ज्वल भविष्य का आधार तैयार कर रही थी। गांव की औरतें इस बात के लिए तैयार नहीं थीं कि बालवाड़ी बंद कर दी जाए। अत: उन्होंने बच्चों के साथ खाना भेजना शुरू किया। अब बालवाड़ी में सभी जातियों के बच्चे एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। बालवाड़ी ने जात-पांत संबंधी पुरानी मान्यताओं को समाप्त कर दिया है। यह कोई साधारण नहीं, महान उपलब्धि है।

बालवाड़ी की शिक्षिकाओं का एक महत्वपूर्ण काम गांव की औरतों को संगठित करके महिला मंगल दल बनाना भी है। महिला मंगल दल की सदस्याएं अपने खाली समय का उपयोग कढाई, बुनाई, सिलाई और दस्तकारी में करती हैं। वे जनहित के मामलों को जोरदार ढंग से उठाती हैं। सरकारी कर्मचारियों को अपना कर्तव्य करने के लिए बाध्य करती हैं।

बालवाड़ी की शिक्षिकाएं 18 वर्ष से अधिक उम्र की सामान्य पढ़ी-लिखी लड़कियां होती हैं। नियुक्ति से पहले उन्हें अल्मोडा में सेवानिधि के कार्यालय में बालवाड़ी के काम-काज का गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। बालवाड़ी की शिक्षिकाओं का एक महत्वपूर्ण काम गांव की औरतों को संगठित करके महिला मंगल दल बनाना भी है। महिला मंगल दल की सदस्याएं अपने खाली समय का उपयोग कढाई, बुनाई, सिलाई और दस्तकारी में करती हैं। वे जनहित के मामलों को जोरदार ढंग से उठाती हैं। सरकारी कर्मचारियों को अपना कर्तव्य करने के लिए बाध्य करती हैं।

मयोली गांव (सुरई खेत) का ट्रांसफार्मर खराब हो गया था। द्वाराहाट स्थित बिजली विभाग के कर्मचारी कहते तो थे कि ट्रांसफार्मर बदल दिया जाएगा, पर करते कुछ नहीं थे। मयोली गांव के 'महिला मंगल' दल ने इस विषय में पहल करने का निश्चय किया। उसने मयोली और आस-पास के गांवों को इस बात के लिए तैयार किया कि वे द्वाराहाट जाकर बिजली विभाग के इंचार्ज से मिलें। दूसरे दिन इन गांवों की 40 औरतें सुबह चार बजे उठकर मोटर सड़क तक पैदल गईं। वहां से वे अपना पैसा खर्च करके द्वाराहाट पहुंचीं। वहां उन्होंने बिजली कार्यालय का घेराव किया और नारे लगाए। उन्होंने बिजली इंचार्ज से कहा कि तुम बिजली नहीं दे सकते हो तो कुर्सी छोड़ दो। बिजली विभाग को नारी शक्ति के सामने झुकना पड़ा। दो दिन बाद गांव में ट्रांसफार्मर लग गया और लोगों के घर बिजली की रोशनी में जगमगाने लगे।

आज उत्तरांचल राज्य को कुमाऊ गढ़वाल क्षेत्र में 30 से अधिक स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित 350 से अधिक बालवाड़ियां चल रही हैं। इनमें प्रतिदिन 7000 से अधिक बच्चे आ रहे हैं। जिनमें अधिकांश लड़कियां हैं।

बालवाड़ी की शिक्षिकाओं ने उत्तरांचल में सामुदायिक एकता को मजबूत किया है। उन्होंने न केवल वहां की महिलाओं के बच्चों की अच्छी देख-रेख की व्यवस्था की है बल्कि उन्हें शक्ति, आत्मविश्वास और

(शेष पृष्ठ 47 पर)

कहानी

और कुल्हाड़ी चुप हो गई

○ टी.सी. सुयाल

यही लगभग समय रहा होगा सुबह के दस या ग्यारह बजे का। केशव भैया अपने आंगन के किनारे पर रखे किसी पत्थर पर अपनी कुल्हाड़ी तेज करना चाहते थे। वह कभी इधर जाते तो कभी उधर। उन्हें कोई भी ठीक-ठाक-सा पत्थर कुल्हाड़ी में धार लगाने के लिए अपने आंगन में नहीं मिल पा रहा था। बहुत देर तक इधर-उधर टटोलते रहने के बाद एकाएक उनकी निगाह माधव काका के आंगन में झाड़ से ढके एक पत्थर पर टिकी तो वे अपनी रस्सी समेट कुल्हाड़ी उठा उधर की तरफ लपके। खुशी-खुशी सिमटकर बैठे गुनगुनाते हुए इधर-उधर देखते और कुल्हाड़ी पत्थर पर घिसते जाते। हां, बीच-बीच में वे अंगुलियों के स्पर्श से धार का मुआयना करना भी न भूलते।

जाड़ों की छुट्टियां, मेरे लिए कुछ फुर्सत के दिन थे। मैं गांव में था। हालांकि जाड़ों में दिन छोटे हो जाने के कारण पहाड़ों में लोग सुबह ही खाना खाकर दिनभर के लिए फुर्सत पा जाते हैं। मैं सुबह भोजन कर आंगन के किनारे बैठ धूप का सेवन कर रहा था। बस्ती में इस समय बड़ी सुनसानी थी। पर यह सुनसानी उस समय एकाएक भंग हुई जब मेरे पड़ोसी पचपन वर्षीय माधव काका धोती लपेटे, हाथ में हुक्का-चिलम लिए ठंड से कुड़कुड़ाते हुए लंबी डकार के साथ आंगन में आ पधारे। केशव भैया को अपने आंगन के किनारे कुछ करता देख सीधे उनकी तरफ ही बढ़े और कुछ देर ठिठक कर उनकी कार्य-प्रणाली को गहराई से देख और उनका ध्यान भंग कर कुल्हाड़ी तेज करने का अपना पुराना अनुभव बातों ही बातों में समझाने लगे। फिर हुक्का-चिलम केशव भैया के हाथों में थमा वह एक विशेषज्ञ की तरह खुद तीखा करने लगे और कुल्हाड़ी तीखी करने के अपने अनुसंधानों द्वारा खोजे गए तौर-तरीकों का भी बयान करते रहे। कुल्हाड़ी को हवा में उठा अंगुलियों के स्पर्श से धार का निरीक्षण कर जब सही समझा तो कुल्हाड़ी बगल में सरका काका वहीं पसरकर बैठ गए। मैं एक मूक दर्शक की तरह उनकी तमाम गतिविधियों को अपने मन-मस्तिष्क में समाहित करता जा रहा था। खाने-पीने की बातों से लेकर दिनभर के क्रियाकलापों की योजना तथा गांव की घटनाओं का जिक्र करते हुए माधव काका उस पत्थर की विशेषताओं का बखान करने पर उतर आए जिससे केशव भैया अपनी कुल्हाड़ी को धारदार बनाने का सफल प्रयास कर रहे थे और कहने लगे— न मालूम कितनी ही पीढ़ियां देख चुका होगा ये पत्थर यहीं पड़ा-पड़ा। न मालूम कितनी और कैसी-कैसी कुल्हाड़ियों के साथ इसका संपर्क बना होगा। फिर भी देखो! टस से मस नहीं हुआ है अपनी जगह से। आस-पास के गांव वाले भी इस पत्थर की विशेषता को भली प्रकार से जानते हैं। बगल वाले गांव की हरूली की मां तो घर की सभी दरातियां तेज करने यहीं लाती है और यहीं पर बस चिपकी रहती। हटने का नाम न लेती। नीचे की बस्ती का बड़ा हरिया तो अपनी कुल्हाड़ी यहीं घिसता दिखाई देता। फिर थोड़ा रुक आगे बोले— मेरे पिताजी भी कहा करते कि ये पत्थर मुद्दतों से वैसा का वैसा ही है। हीरा है हीरा। पूरे गांव में ही नहीं आस-पास के गांवों में भी नहीं मिलेगा ऐसा पत्थर। फिर थोड़ा भावावेश में बहकर बोले— यहां पड़े-पड़े इसने सब झेला है चाहे आंधी हो या तूफान, वर्षा हो या बर्फ, ठंड हो या गरमी। बस्ती के न जाने कितने उतार-चढ़ाव देखे हैं इसने। कुछ भी नहीं तो खाली समय में बकरी से लेकर भैंस तक सभी जानवर इसमें बंधते आए हैं। फिर एक ठहाका लगा ऊंची आवाज में बोल पड़े— एक बार गांव में जब चुड़ैल आने का अंदेशा हवा की तरह फैल पड़ा तो गांववासियों ने चाकू से लेकर कुल्हाड़ी तक के सभी औजार इसी पत्थर पर तेज किए थे और उन लोगों के बीच आपस में खूब तू-तू मैं-मैं भी हुई थी इसी जगह। कभी-कभी अतीत में खो फिर थोड़ा संभलकर कहने लगे— जब मैं पंद्रह या सोलह साल का था मैंने इसी पत्थर पर कुल्हाड़ी तेज कर न जाने कितने पेड़ों को धराशायी किया था और घर में लकड़ियों का ढेर लगा दिया था। खूब जलाते थे हम लोग जाड़ों में, देर रात तक मेरे घर लोग बैठे ठहाके लगाते।

अपनी आवाज में कुछ दम और चेहरे में कुछ जोश लाते हुए कहने लगे—अब तो सब लोग पाठशाला वाले हो गए हैं। इन्हें तो कुल्हाड़ी तेज करने क्या उठाने की तमीज तक नहीं है। अब जंगल भी तो कहां रहे। उनकी विशेषकर इस बात को दिमाग में रख मैं आगे सुनता रहा। वह कहते जा रहे थे— बड़े से बड़े पेड़ों को भी मैं कुछ न समझता, चुटकी में मैदान साफ कर देता। पत्नी को संबोधित कर बोले— परूली की मां की ढोते-ढोते कमर टेढ़ी हो जाती। गांव में बड़ी प्रतिस्पर्धा रहती। मैं हमेशा अव्वल आता। हरुवा, परुवा, नरुवा मेरे सामने कुछ न होते। थोड़ी देर के बाद ज्योंही उनकी निगाह अंदर से जूठे बर्तनों का ढेर ला रही परूली की मां पर पड़ी तो उनसे एकाएक न रहा गया और तपाक से बोल पड़े— तुझे वह दिन याद है जब कच्ची लकड़ी ढोते-ढोते तेरी कमर बैठ गई थी और फिर मजाक वाली हंसी चेहरे पर लाकर बोले— मैंने गरम तेल की मालिश की थी। उधर परूली की मां बर्तनों की आड़ में अपना चेहरा छुपा शर्मीली हंसी हंस किनारे निकल गई।

एक या सवा घंटे के दौरान लगातार बोलते रहने पर भी माधव काका का मुंह थकने को नहीं आ रहा था। अब केशव भैया अपनी रस्सी समेट और कुल्हाड़ी कंधे पर रख जंगल की तरफ चल दिए। पुन: सुनसानी बिखर जाने के बाद मैं भी घर के अंदर चला आया। दूसरे दिन मुझे वापस शहर जाना था। मैं पूरे रास्ते भर माधव काका के बारे में ही सोचता जा रहा था।

माधव काका के आंगन के किनारे एकमात्र विशालकाय खुमानी का वृक्ष था। माधव काका को उस वृक्ष की सेवा करते मैंने खूब देखा था। उस वृक्ष को वे अपने परिवार का ही एक हिस्सा समझते थे और उसकी अच्छी परवरिश करते। अब माधव काका अपनी उम्र व स्वास्थ्य दोनों के कारण भारी काम करने में असमर्थ थे। अधिक गरमी और अधिक ठंड इन दोनों से ही वे बड़े भयभीत रहते। धूप सेकनी हो तो उस पत्थर के पास सही जगह समझते और गरमी हो तो अपने आंगन के उस विशालकाय वृक्ष के नीचे हुक्का गुड़गुड़ाते या धोती से मुंह ढक वहीं पसरे मिलते। फिर उनकी बला से कुछ भी हो रहा होता। कहीं भी जाते उस पत्थर और पेड़ की छाया का गुणगान करते हुए ही अपनी बात शुरू करते।

आज मैं फिर गरमियों की छुट्टियां व्यतीत करने तथा गांव का ठंडा पानी पीने घर आ गया था। एकाएक माधव काका के आंगन को खुला-खुला व पत्थर वाला हिस्सा ढहा देख मैं स्तब्ध रह गया। पेड़ आंधी की चपेट में आ टूट चुका था और तेज बारिश में आंगन के ढह जाने के साथ न जाने वह पत्थर भी कहां खो चुका था। माधव काका को चैन न था। कभी अंदर जाते तो कभी बाहर। उनकी इस छटपटाहट को देख मुझसे रहा न गया और कह उठा—

काका! एक दिन आप पेड़ काटने की अपनी बहादुरी का बखान करते न थकते। आपने आगे कहा था कि अब जंगल भी कहां रहे। पेड़ तो स्वत: उगते हैं, स्वत: विकसित होते हैं और अपना समय पूरा कर स्वत: ही मर जाते हैं। इस बीच हमें देते हैं जीवन। घर के सामने के जंगल की तरफ इशारा कर मैंने फिर कहा—सोचो! अगर ये पूरा का पूरा जंगल कट जाए तो कैसा लगेगा। वीरान ही वीरान, उदासी ही उदासी। हरियाली हमें जीवन एवं हमारी आंखों का ताजगी देती है न! पेड़ काटना कोई बहादुरी नहीं। अगर बहादुरी है तो नए पेड़ लगाना। मैं उन्हें पेड़ों से होने वाले अनेक फायदे गिना अपने शिकंजे में ले आया था। अब माधव काका की छटपटाहट पेड़ काटने के बजाय पेड़ लगाने की ओर देख मैं मन ही मन बहुत खुश था। बेटा! इस चौमास में मैं पेड़ लगाने की भरपूर कोशिश करूंगा— ऐसा कहते हुए वे आज मेरे शहर जाने पर मुझे काफी दूर तक छोड़ने भी आए थे।

चौमास में जब मैं पुन: घर आया तो उस समय तेज बारिश थी और काका के हुक्के की गुड़गुड़ाहट भी बंद थी। एकाएक जब मैंने घर के झरोखे से बाहर झांकना चाहा तो एक वृद्ध पुरुष को भीगे कपड़े, हाथ में पुराना-सा छाता व पौधों का गट्ठर बगल में दबाए पड़ोस की तरफ ओझल होते देखा। हुक्के की गुड़गुड़ाहट सुन अब मैं समझ गया कि वे कोई और नहीं, माधव काका ही हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि माधव काका की कुल्हाड़ी अब चुप थी। इधर बारिश के बंद होने के साथ-साथ हुक्के की गुड़गुड़ाहट भी बंद हो चली थी। माधव काका अपना पुराना छाता उठा पौधों को बगल में दबाए जंगल की तरफ चल दिए थे। दूसरे दिन मैं पुन: शहर आ गया था।

हालांकि आज माधव काका नहीं रहे पर गांव में उनके द्वारा चारों ओर बिखेरी गई हरियाली अभी भी उनकी याद को तरोताजा कर देती है। ❑

हमारे कुछ पाठकों का अनुरोध रहा है कि पत्रिका में कुछ कहानियों-कविताओं का भी समावेश किया जाए। प्रयोग के तौर पर प्रस्तुत अंक में यह कहानी दी जा रही है। आप भी अपनी रचनाएं इस कालम के लिए प्रेषित कर सकते हैं। पत्रिका चूंकि विकासपरक एवं सामाजिक-आर्थिक विषयों से सम्बद्ध है, अत: कहानियां भी उसकी विषयवस्तु के अनुरूप हों तो बेहतर होगा। साथ ही प्रकाशित कहानियों पर आपकी प्रतिक्रिया का भी हम स्वागत करेंगे।

नए प्रकाशन

प्रशासनिक सिद्धांत एवं प्रबंध

पुस्तक : प्रशासनिक सिद्धांत एवं प्रबंध; प्रकाशक : नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर; पृष्ठ : 554; मूल्य : 185 रुपये।

जब रथ क्रांति का थम जाए
चिंतन पर काई जम जाए
तो समझो पीढ़ी हार गई
पुरवा को पछुवा मार गई।

बाल कवि बैरागी की उक्त पंक्तियों से शुरू होने वाली इस पुस्तक में लेखकद्वय का कहना है कि ज्ञान, कौशल तथा संस्कृति की दृष्टि से समृद्ध प्राचीन भारत की विरासत लंबे समय तक संरक्षित नहीं रह पाई। परिणामस्वरूप आज का भारत न्यूनाधिक मात्रा में पश्चिमी दुनिया से आयातित शैक्षिक मान्यताओं को पोषित कर रहा है।

प्रशासन तथा प्रबंध क्षेत्र के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्षों को लेकर लिखी गई इस पुस्तक में उन सभी सामान्य सिद्धांतों; प्रक्रियाओं तथा उपागमों का सांगोपांग विवरण दिया गया है जो आधुनिक युग में बड़े, जटिल तथा औपचारिक प्रकृति के संगठनों के सफल संचालन हेतु आवश्यक हैं। यह सिद्धांत तथा प्रक्रियाएं सरकारी तथा निजी दोनों ही प्रकार के प्रशासन तंत्रों में समान रूप से उपयोगी हैं। यद्यपि लोक प्रशासन तथा निजी प्रबंध में सैद्धांतिक दृष्टि से बहुत भारी अंतर नहीं है तथापि प्रबंध शब्द के अंतर्गत प्राय: निजी प्रशासन तंत्र की गतिविधियां सम्मिलित की जाती रही हैं।

पुस्तक को कुल 10 अध्यायों में विभक्त करते हुए प्रथम अध्याय में लोक प्रशासन के अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, महत्व सहित निजी प्रशासन एवं प्रबंध के सहगामी संबंधों की विवेचना की गई है। पुस्तक के दूसरे एवं तीसरे अध्याय में एक विषय के रूप में लोक प्रशासन की यात्रा तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ लोक प्रशासन के संबंधों पर विश्लेषणात्मक सामग्री प्रस्तुत की गई है।

पुस्तक के चौथे एवं पांचवें अध्यायों में औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठनों के निर्माण, मुख्य कार्यपालिका सूत्र-स्टाफ, संगठन की संरचना तथा प्रबंधकीय कार्यप्रणाली की सविस्तार चर्चा है। छठे अध्याय में संगठन के मूलभूत सिद्धांतों यथा- पदसोपान, प्रत्यायोजन, सत्ता, उत्तरदायित्व, नियंत्रण का क्षेत्र, आदेश की एकता, समन्वय, पर्यवेक्षण, नियंत्रण, केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण के समग्र पक्षों का विश्लेषणात्मक वर्णन दिया गया है। सातवां अध्याय एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध तथा हेनरी फेयोल के प्रशासनिक तथा प्रबंधकीय योगदान को समर्पित है।

आधुनिक प्रबंध की मुख्य चिंता संगठनात्मक व्यवहार पर केंद्रित है। अत: इस पुस्तक का सबसे बड़ा अध्याय (आठवां) संगठनात्मक व्यवहार से संबंधित सिद्धांतों यथा—संचार, निर्णयन, नेतृत्व, जन- संपर्क, अभिप्रेरणा तथा मनोबल पर केंद्रित है जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता हरबर्ट साइमन के प्रतिमान से लेकर आधुनिक समसामयिक प्रतिमानों एवं उपागमों की व्याख्या की गई है। नवम अध्याय प्रशासनिक कानून, प्रत्यायोजित विधान तथा प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की समीक्षा से युक्त है जबकि 'प्रशासनिक उन्नयन एवं प्रबंधकीय तकनीक' के नाम से लिखा गया अंतिम अध्याय स्वचालन, साइबरनेटिक्स, पर्ट, सी.पी.एम., ओ.एंड.एम., परिचालन अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी, कार्य अध्ययन, कार्य मापन, कार्य विश्लेषण तथा अन्य प्रबंधकीय तकनीकों की समीक्षा से परिपूर्ण है।

पुस्तक में प्रबंध तथा प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण तथा आधुनिक अवधारणाओं जैसे—नव लोक प्रबंध, राज्य बनाम बाजार, उद्यमी शासन, सुशासन, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंध,

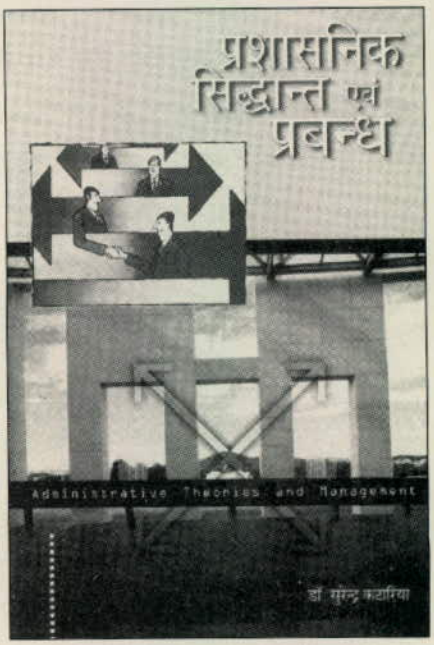

उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, संकट का प्रबंध, संगठनात्मक विकास, परिवर्तन का प्रबंध, लोक विकल्प उपागम, सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि का सरल एवं सहज भाषा में प्रस्तुतीकरण किया गया है।

पुस्तक की विषय सामग्री प्रतियोगी परीक्षार्थियों के अनुकूल रखते हुए अधिकाधिक चित्रों, सारिणियों, चार्टों तथा विश्लेषणात्मक तथ्यों का प्रस्तुतीकरण किया गया है। अत्यंत आकर्षक कवर एवं साफ-सुथरे मुद्रण से भरपूर इस पुस्तक की भाषा नितांत सरल, बोधगम्य तथा कई जगह रोचक कथानकों से भी सराबोर है। इस पुस्तक में प्रशासन तथा प्रबंध जैसे उबाऊ विषय को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया गया है। निस्संदेह पुस्तक शिक्षाविदों, विद्यार्थियों तथा जिज्ञासु पाठकों के मध्य लोकप्रिय सिद्ध होगी।

समीक्षक : सुदेश भारती

मोतियाबिंद : दृष्टिहीनता का एक प्रमुख कारण

○ विजय प्रताप विश्वकर्मा

मोतियाबिंद इस समय अंधता का सबसे बड़ा कारण है। यद्यपि इसका इलाज संभव है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के अनुमानित 4 करोड़ लोगों में से एक करोड़ 70 लाख अर्थात् 40 प्रतिशत लोग मोतियाबिंद के कारण अंधेपन के शिकार होते हैं। अगर इस रोग की तेज बढ़ोत्तरी पर काबू नहीं पाया गया तो अनुमान है कि सन् 2005 तक विश्व के 6 करोड़ लोग अंधे हो जाएंगे।

शारीरिक, प्राणिक, मानसिक एवं आत्मिक क्षमताओं से सुसंपन्न मानव सृष्टि का एक सबलतम् एवं उच्चतम प्राणी है। मानव की शारीरिक रचना मूर्त्त है, किंतु प्राणिक, मानसिक तथा आत्मिक स्वत्व अमूर्त्त हैं। समाज में मानव-शरीर रचना के विविध प्रतिमान दिखाई देते हैं। रूप, रंग, आकार-प्रकार, सुंदरता, सुघड़ता तथा शौष्ठव की दृष्टि से सर्वांग विकसित और सुंदरतम् शारीरिक रचनाएं विरलतया ही देखी जाती हैं। ऐसे रूपों में सामाजिक रचनाएं वे हैं जो रूप, रंग, आकार-प्रकार एवं अनुपात की दृष्टि से सुसज्जित हैं तथा जिनको समाज में सहज स्वीकृति प्राप्त है। सामाजिक-व्यवहार में ऐसी शारीरिक रचना से पूर्ण व्यक्ति सुसह्य हैं तथा परस्पर सुसमायोजित भी हैं। इन दोनों से भिन्न एक तीसरे प्रकार की शारीरिक रचना वाले व्यक्ति हैं जो 'अंग-दोष' अथवा किसी 'विकार' से ग्रसित, बाधित तथा पीड़ित हैं, जिन्हें शारीरिक रूप से 'विकलांग' कहा जाता है। इन्हीं 'अंग-दोष' अथवा 'बाधितों' की श्रेणी में से एक है—'दृष्टि बाधित' अथवा 'दृष्टि दोषयुक्त व्यक्ति'।

मनुष्य का नेत्र जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। वह प्रकाश की किरणों के प्रभाव और मस्तिष्क से उठी तरंगों को मिलाकर स्वविवेक के अनुसार वस्तुओं का 'संवेदीकरण' करता है, जबकि सामान्यत: एक दृष्टिसक्षम व्यक्ति एक ओर जहां लगभग 90 प्रतिशत सूचनाओं को नेत्रों की दृष्टि का सदुपयोग करके एवं वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण करते हुए उसे अपने मस्तिष्क तक पहुंचाता है, वहीं दूसरी तरफ, शेष 10 प्रतिशत सूचनाएं वह अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों जैसे—श्रवण, स्वाद, स्पर्श, गंध तथा आंतरिक अनुभूति आदि के द्वारा प्राप्त करता है। एक अशिक्षित व्यक्ति भी जिसने कभी पुस्तक या चित्र नहीं देखा हो, हजारों वस्तुओं का प्रतिबिंब देखता है और उसके आधार पर अपना मत बनाता है। परंतु, जिस मनुष्य ने किसी भी कारणवश अपनी दृष्टि गंवा दी है क्या, कभी किसी ने उसके बारे में भी सोचने की कोशिश की है? निश्चित रूप से इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता।

संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों की कुल जनसंख्या का 10 प्रतिशत भाग किसी न किसी प्रकार से विकलांग है। 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (डब्ल्यू.एच.ओ.) एन.पी.सी.बी. सर्वेक्षण 1985-89 के अनुसार दृष्टिहीनता के कारकों में लगभग 84 से 85 प्रतिशत दृष्टिहीनता या अंधापन 'कैटरेक्ट' या 'मोतियाबिंद' के कारण होता है। शेष दृष्टिहीनता के कारकों में 'नेत्र-प्रत्यावर्तनिक त्रुटि' की 7.27 प्रतिशत, 'सबल बाय' या 'ग्लूकोमा' की 1.86 प्रतिशत केंद्रीय 'कार्निया' की क्षतिग्रस्तता से 1.53 प्रतिशत और शेष 4.49 प्रतिशत दृष्टिहीनता अन्य कारकों द्वारा होती हैं।

यदि हम मोतियाबिंद से होने वाले कारकों से सावधान रहें, तो अंधेपन से बचा जा सकता है। बीड़ी, सिगरेट और सस्ते ईंधनों के धुएं से मोतियाबिंद के होने का खतरा बढ़ता है। नवीनतम खोजों से पता चला है कि तम्बाकू, खाना पकाने वाले सस्ते ईंधन और वाहनों के धुएं में प्रतिक्रियाशील 'ऑक्सीजन स्पीसीज' (आर.ओ.एस.) अधिक मात्रा में होते हैं जिनके कारण आंख के लेंस में आक्सीकारक प्रतिबल बढ़ जाता है और मोतियाबिंद शुरू हो जाता है।

मोतियाबिंद इस समय अंधता का सबसे बड़ा कारण है। यद्यपि इसका इलाज संभव है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के अनुमानित 4 करोड़ लोगों में से एक करोड़ 70 लाख अर्थात् 40 प्रतिशत लोग

मोतियाबिंद के कारण अंधेपन के शिकार होते हैं। अगर इस रोग की तेज बढ़ोत्तरी पर काबू नहीं पाया गया तो अनुमान है कि सन् 2005 तक विश्व के 6 करोड़ लोग अंधे हो जाएंगे।

हमारे देश में होने वाले अंधेपन की दर पश्चिमी देशों की तुलना में अधिक है विश्व का हर चौथा दृष्टिहीन व्यक्ति भारत का आता है। अक्तूबर 1994, में जहां भारत में लगभग 12 लाख व्यक्ति अंधेपन के शिकार थे, वहीं दिसंबर 1995 के अंत तक इनकी संख्या लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा तक पहुंच गई। प्रतिवर्ष लाखों लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। कॉर्निया की खराबी से होने वाले अंधेपन की संख्या लगभग 20 लाख है। भारत में दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम पर 'भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्' (आई.सी.एम.आर.) की एक नवीनतम् रिपोर्ट के अनुसार देश में दृष्टिहीनता की समस्याओं से जूझ रहे एक करोड़ 20 लाख लोगों में से 80 प्रतिशत लोगों को मोतियाबिंद है जिसे ऑपरेशन के जरिए ठीक किया जा सकता है।

तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या, नगरीकरण तथा औद्योगीकरण के फलस्वरूप हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। इसका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। किडनी, श्वसन-तंत्र और त्वचा कैंसर के साथ-साथ हमारी नेत्र-दृष्टि भी तीव्र गति से दुष्प्रभावित हो रही है। अत: हमें सावधान रहना होगा। सरकार, समाज एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के हाथ से हाथ तथा कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। जिस प्रकार हमने 'पल्स-पोलियो-अभियान' चलाकर विश्व के 145 पोलियोमुक्त देशों में शामिल होने का दृढ़संकल्प लिया है उसी प्रकार नेत्र विकारों या दृष्टि-दोषों को भी समूल नष्ट करने हेतु दृढ़संकल्प के साथ प्रत्यन करना होगा। वैसे तो पूर्ण दृष्टिहीनता के कारकों में 'जननिक' या 'प्रसव-पूर्व' कारक भी जिम्मेदार हैं, परंतु प्रसवोपरांत से ही हमें बच्चों की नेत्र-दृष्टि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आंखों में पानी आना, सिर के किसी भाग में दर्द होना, आंखों में खुजली या जलन होना, आंखें लाल होना आदि इसके प्राथमिक लक्षण हैं। 'जिरॉफथॉल्मिया' भी इसी क्रम में आंखों का एक ऐसा रोग है जिससे आंखें सूजकर लाल हो जाती हैं और उसमें खुजली होने लगती है। इससे प्रतिवर्ष 2 लाख 50 हजार लोग प्रभावित होते हैं जो एक गंभीर रूप धारण कर लेती है। इससे भी प्रतिवर्ष 25 हजार लोग 'दृष्टिहीन' या 'अंधेपन' के शिकार हो जाते हैं।

आज दृष्टिहीनता को फैलाने वाले लगभग 50 प्रतिशत रोगों का इलाज किया जा सकता है। इसके लिए भारत सरकार ने पिछले सभी मोतियाबिंद के मामलों से जुड़े लोगों और नेत्र विशेषज्ञों की सहायता से 'राष्ट्रीय दृष्टिहीनता कार्यक्रम' तैयार किया है। इसी संदर्भ में दृष्टिहीनता की वृद्धि को रोकने के लिए एक योजना तैयार की गई जिसमें 1885 तक 1.4 प्रतिशत से 1 प्रतिशत, 1990 तक 0.7 प्रतिशत का कार्य करने के बाद वर्ष 2000 तक 0.3 प्रतिशत (अल्मा-आल्टा घोषणा के अनुबंध के पूर्ण होने तक) कर देने की योजना बनाई गई तथा अभी भी इस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। सरकारी एवं निजी स्वास्थ्य-संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और समाज कल्याण संगठनों की तरफ से नि:शुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन एक सराहनीय कदम है। हालांकि, कुछ निजी एवं स्वार्थी आयोजकों, चिकित्सकों, एवं परिचारकों द्वारा तथा रोगियों का शोषण अवश्य होता है जिससे चिकित्सा-सुविधाओं की उपलब्धता पूरी तरह दुष्प्रभावित होती है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव मरीजों के स्वास्थ्य एवं उनकी दृष्टि पर पड़ता है। इन सभी समस्याओं के निराकरण हेतु अवांछित तत्वों से बचकर सार्थक कार्य करने की दिशा में सभी को व्यापक स्तर पर कार्य करना चाहिए जिससे हमें वांछित दिशा में सार्थक सफलता मिल सके। ❑

(स्वतंत्र लेखक)

(पृष्ठ 42 का शेष)

अपनी बात कहने का बल प्रदान किया है। बालवाड़ी की शिक्षिकाओं के प्रयास से अनेक औरतों ने अपने घर के आस-पास के क्षेत्र में सब्जी उगाना शुरू किया है। अपने शरीर में खून की कमी, कमर दर्द आदि के बारे में स्वास्थ्य सेविकाओं से सलाह लेना शुरू किया है। बालवाड़ी की 10 शिक्षिकाओं पर एक मार्गदर्शिका होती है। उसे माह में कम से कम दो बार इन गांवों में जाना और शिक्षिकाओं की समस्याओं के समाधान में सहायता करनी होती है।

बालवाड़ी के परिणामस्वरूप उत्तरांचल के गांवों में पर्यावरण रक्षा के साथ विकास की नई हवा बह रही है। अब लोग लड़कियों को बोझ नहीं समझते और जल्दी से जल्दी उनका विवाह करने की नहीं सोचते।

बालवाड़ी की शिक्षिका जहां तक संभव हो अविवाहित लड़की नियुक्त की जाती है। उसे अपने गांव में नहीं पास के गांव में नियुक्त किया जाता है। वह विवाह होने तक, अधिक से अधिक तीन-चार साल तक काम करती है। इससे सेवानिधि के सामने सदैव नई शिक्षिकाएं नियुक्त करने और उन्हें प्रशिक्षण देने की समस्या बनी रहती है। इस व्यवस्था का लाभ कार्यक्रम में अधिक लोगों को शामिल करना और लड़कियों को मातृत्व की जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार करना है। विवाह के बाद ये लड़कियां अपने बच्चों की अधिक समझदारी से देखभाल कर सकती हैं और गांव में अधिक सशक्त महिला मंगल दल बना सकती हैं। ❑

(स्वतंत्र लेखक)

RAO IAS

ALLAHABAD

भूगोल

वैकल्पिक विषय द्वारा

विजय कुमार मिश्र

(M) 9415215163

हिन्दी माध्यम

पत्राचार कोर्स एवं क्लास

कोचिंग, छात्रावास उपलब्ध

विषय उपलब्ध :-

सामान्य अध्ययन और निबन्ध, इतिहास, भूगोल, लोक प्रशासन, राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र, हिन्दी साहित्य, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र, विधि

- नवीनतम परीक्षा प्रणाली के अनुसार विषय की तैयारी
- 500 से अधिक मानचित्रों का अभ्यास
- प्रतिदिन होमवर्क तथा उनका सूक्ष्मता से परीक्षण
- सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पर भरपूर अध्ययन सामग्री
- पॉच महीने का गहन शिक्षण एवं प्रशिक्षण
- अभ्यास हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नावलियाँ, नियमित टेस्ट
- सर्वोत्तम शिक्षण परिवेश

IAS/PCS (Pre & Main) **बैच 3 जून से**

14/1, स्टैनली रोड, (लोक सेवा आयोग के सामने), इलाहाबाद फोन: 2601624

SATYA

विवरण पुस्तिका हेतु रू० 50/- M.O. से भेजें

सदस्यता कूपन

❑ नई सदस्यता ❑ नवीनीकरण ❑ पता बदलने के लिए

(जो लागू होता हो उस पर '✓' का चिन्ह लगाएं।)

मैं.....(पत्रिका का नाम एवं भाषा)

का ❑ वार्षिक (70 रुपये) ❑ द्विवार्षिक (135 रुपये) ❑ त्रिवार्षिक (190 रुपये) सदस्य बनने का इच्छुक हूं।

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर संख्या ..... तारीख .....

नाम .....

वर्ग ❑ विद्यार्थी ❑ शिक्षक ❑ संस्था ❑ अन्य

पता :.....

.....

.....

पिन .....

नवीनीकरण/पता बदलने के लिए कृपया अपनी सदस्य संख्या यहां लिखें ☐

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवाएं और कूपन के साथ निम्न पते पर भेजें :

विज्ञापन एवं प्रसार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066,

दूरभाष : 26100207, 26105590

पहली प्रति की प्राप्ति हेतु आठ से दस हफ्ते का समय दें।

विकास समाचार

इंटरनैट टिकट प्रणाली आगरा तक बढ़ाई जाएगी

रेल मंत्रालय में 11 अप्रैल, 2003 से इंटरनैट टिकट प्रणाली (आई.टी.एस.) आगरा तक बढ़ाने का फैसला किया है। इंटरनैट पर आरक्षण, भारतीय रेल कैटरिंग और पर्यटन निगम के सहयोग से शुरू किया गया है। दिल्ली में यह परियोजना तीन अगस्त, 2002 से शुरू की गई और इसके बाद यह सुविधा 15 बड़े शहरों तक बढ़ाई गई। ये बड़े शहर हैं चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद, सिकंदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, बड़ौदा, नागपुर, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, कानपुर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) यह प्रणाली (आई.टी.एस.) शुरू होने से यात्रियों को रेल आरक्षण काउंटर पर रेल टिकट खरीदने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। इन 15 शहरों में टिकटें घर भेजी जा सकती हैं या नई दिल्ली से ली जा सकती हैं।

रेल विभाग ने इस प्रणाली की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इसे अन्य महत्वपूर्ण शहरों में शुरू करने की 10 योजनाएं बनाई हैं।

मौजूदा समय में हर रोज आई.टी.एस. के तहत इंटरनैट द्वारा लगभग 2000 आरक्षित टिकटें जारी की जा रही हैं।

भारत और कनाडा के बीच भू-विज्ञान में आपसी सहयोग

भू-विज्ञानों के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए एक ढांचा गठित करने के लिए ओटावा मे भारत और कनाडा के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत की ओर से केन्द्रीय खान मंत्री श्री रमेश बैस और कनाडा की ओर से वहां के प्राकृतिक संसाधन मंत्री श्री धालीवाल ने इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह सहमति पत्र पांच वर्षों तक लागू रहेगा।

सहमति पत्र में सहयोग के लिए पर्यावरणीय भू-विज्ञान और भू-खतरे आर्थिक भू-विज्ञान, भू-विज्ञान मानचित्रण, हाइड्रोकार्बन का मूल विश्लेषण, समुद्रीय और तटीय भू-विज्ञान, भू-रसायनिक और भू-भौतिकी संबंधी अन्वेषण, भू-विज्ञान सूचना प्रणाली और मानचित्र कला समेत रिमोट सैसिंग और डाटा समन्वय के क्षेत्रों की पहचान की गई है।

650 करोड़ रुपये का लाभ कमाया पावर ग्रिड ने

वर्ष 2002-03 के दौरान पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने 650 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित करने में सफलता हासिल की। इस दौरान कंपनी का कुल कारोबार 2419 करोड़ रुपये का रहा।

इस बात की जानकारी कुछ समय पूर्व आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कंपनी के चेयरमैन आर.पी. सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि विद्युत में तमाम समस्याओं के बावजूद भी पावर ग्रिड ने उक्त अवधि के दौरान अपनी बकाया राशि में से लगभग 93 प्रतिशत की वसूली करने में सफलता हासिल की। इस दौरान कंपनी ने 2561 करोड़ रुपये का पूंजीगत निवेश भी किया जो पिछले वर्ष के आंकड़े, 2518 करोड़ रुपये की तुलना में 43 करोड़ रुपये अधिक है।

आलोच्य अवधि के दौरान पावर ग्रिड ने घरेलू पूंजी बाजार से करीब 1060 करोड़ रुपये की उगाही की।

कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड का रिकार्ड कारोबार

कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड ने पिछले वर्ष के 721.69 करोड़ रुपये के कारोबार की तुलना में वर्ष 2002-03 के दौरान 727 करोड़ रुपये का रिकार्ड वार्षिक कारोबार किया। कंपनी ने सहमति पत्र के 57 लाख टन के शानदार लक्ष्य की तुलना में मौजूदा वर्ष के दौरान 58 लाख टन के कंसंट्रेटें और पैलेटों की बिक्री की। वर्ष 2002-03 के दौरान 34.7 लाख टन की रिकार्ड मात्रा में पैलेट भेजे गए। पिछला रिकार्ड 1999-2000 में 31.5 लाख टन पैलेटों के लदान का था।

कुद्रेमुख आयरन कंपनी ने इस वर्ष के दौरान 115 करोड़ रुपये का कर-पूर्व लाभ और 89 करोड़ रुपये का करोपरांत लाभ कमाया जबकि पिछले वर्ष यह लाभ क्रमशः 1.02.18 करोड़ रुपये और 88.37 करोड़ रुपये था।

खनिज उत्पादन सूचकांक 4.4 प्रतिशत बढ़ा

अभी तक के समग्र रुझान के आधार पर वर्ष 2002-03 का खनिज उत्पादन सूचकांक (आधार 1993-94-100) 138.21 पर पहुंचने की आशा है। वर्ष 2001-02 का खनिज उत्पादन सूचकांक 132.39 था। इस प्रकार इसमें 4.4 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। वर्ष 2002-03 के दौरान परमाणु खनिजों को छोड़कर कुल 61,921 करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य का खनिज उत्पादन हुआ।

प्रमुखतया कोयला और लिग्नाइट क्षेत्र में 5.14 प्रतिशत और गैर ईंधन क्षेत्र के खनिजों के उत्पादन में 13.90 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि से इस अवधि के दौरान सभी खनिजों के उत्पादन सूचकांक (आधार 1993-94-100) में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

रजि. सं. डी. एल. 12036/2002 तथा डाक व्यय की अदायगी के साथ डाक में डालने के लिए लाइसेंस-प्राप्त
Reg. No. D.L. 12036/2002 Licenced to post with payment at RMS, Delhi.

पंजी सं. 951/5
R.N. 951/5

प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित कुछ नई पुस्तकें

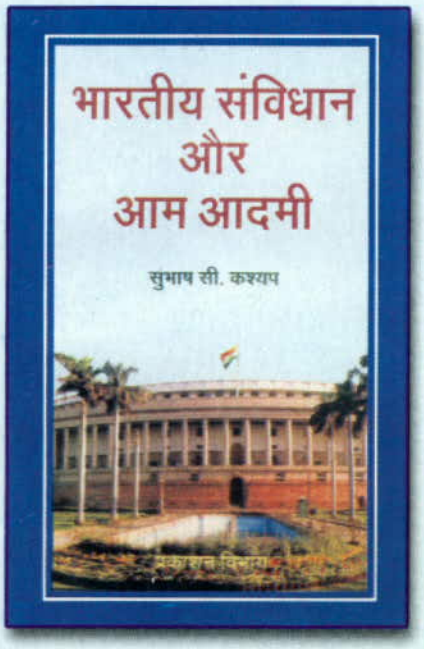

इस पुस्तक से यह अपेक्षा है कि यह राष्ट्र के सम्मुख एक मूल्य प्रणाली रखेगी और इसके विभिन्न पहलुओं को विकसित करने में एक स्त्रोत का काम करेगी।

(प्रसिद्ध संविधानवेत्ता सुभाष सी. कश्यप की अंग्रेजी पुस्तक 'सिटीजंस एंड द कांस्टिटयूशन' का हिंदी रूपांतर)

मूल्य 100.00 रुपये
पृष्ठ संख्या : 340

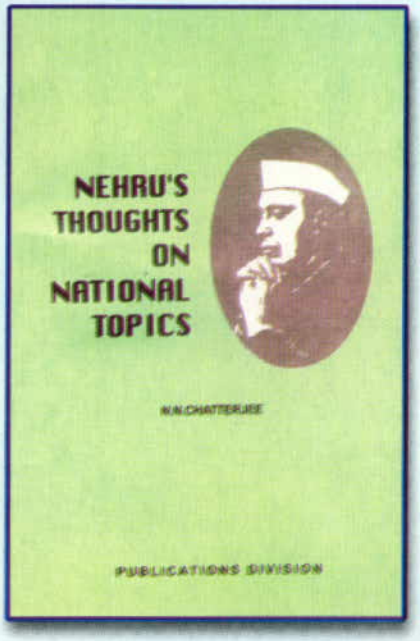

सामाजिक समानता एवं आर्थिक समृद्धि से युक्त एक मुक्त प्रजातंत्र की देश में स्थापना का जो सपना हमारे महान नेता पं. जवाहरलाल नेहरू ने संजोया था, उसके कुछ पहलुओं से यह पुस्तक युवा पीढ़ी को अवगत कराएगी।

मूल्य 40.00 रुपये
पृष्ठ संख्या : 77

राष्ट्रीय पार्कों का शिक्षा एवं मनोरंजन दोनो ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण स्थान है। पुस्तक में सभी राष्ट्रीय उद्यानों पर विशिष्ट जानकारी के साथ-साथ वन्य जीवन के सामान्य पहलुओं पर भी आवश्यक जानकारी शामिल की गई है।

मूल्य 95.00 रुपये
पृष्ठ संख्या : 224

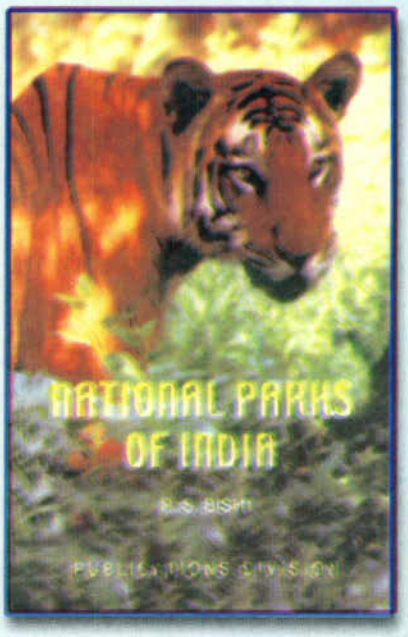

विक्रय केन्द्र

प्रकाशन विभाग के विक्रय केन्द्र

प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001; सुपर बाजार, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001; हाल नं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054; कामर्स हाउस, करीमभाई रोड, बालार्ड पायर, मुंबई-400038; राजाजी भवन, बेसेंट नगर, चेन्नई-600090; 8 एस्प्लेनेड ईस्ट, कोलकाता-700069; बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना-800004; प्रेस रोड, तिरुवनंतपुरम-695001; 27/6 राम मोहन राय मार्ग, लखनऊ-226001; प्रथम तल, गृहकल्प काम्प्लेक्स, नामपल्ली, हैदराबाद-500001; प्रथम तल, 'एफ' विंग, केन्द्रीय सदन, कोरामंडल, बंगलौर-560034, अम्बिका काम्प्लेक्स, प्रथम तल, यूको बैंक के ऊपर, पालदी, अहमदाबाद-380007; नोझम रोड, उजान बाजार, गुहावटी-781001

पत्र सूचना कार्यालय के विक्रय केन्द्र

सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, 'ए' विंग, ए. बी. इंदौर (म.प्र.); 80 मालवीय नगर, भोपाल-462003; बी/7/बी, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-302001

पी.एस. भटनागर, निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110 001 से प्रकाशित एवं मुद्रित तथा तारा आर्ट प्रेस, बी-4, हंस भवन, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110 002 में मुद्रित। दूरभाष : 23378626, 23379686
कार्यकारी संपादक : अंजनी भूषण